मार्च - 2021
वर्ष - 19 अंक - 1

सुगन्ध

सशक्त बनें
स्वतंत्र रहें
साहसी बनें
सजीव रहें

VIZAG STEEL
Pride of Steel

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
की गृह-पत्रिका

गणतंत्र दिवस समारोह - 2021 : राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देते हुए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ

आर आई एन एल गठन दिवस के अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ का संबोधन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम

संदेश

संगठन के राजभाषा विभाग द्वारा 'सुगंध' पत्रिका का प्रकाशन नियमित रूप से ज्वलंत मुद्दों से जुड़े भाव प्रधान विषयों पर किया जा रहा है। अत्यंत हर्ष का विषय है कि इस बार के अंक का विषय 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' है, जो अत्यंत ही सामयिक एवं आवश्यक है। समाज के विकास में महिलाओं का सहयोग जितना और जिस तरह से मिलना चाहिए, संभवतः अब भी उतना नहीं लिया जा रहा है। देश की लगभग आधी आबादी को विकास की मुख्यधारा से जोड़कर उनका गुणवत्तापूर्ण उपयोग करना बहुत जरूरी है। अतः शिक्षा-दीक्षा एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से महिला कार्यबल को जागरूक करके उनका सकारात्मक उपयोग करना समय की माँग है। शायद इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस वर्ष अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के लिए 'चुनौतियाँ चुनें' का नारा दिया है। अर्थात अब समय आ गया है कि महिलाएँ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हों और उसमें सफलता हासिल करें।

आशा है, इस विषय पर पर्याप्त चिंतनपूर्ण आलेखों से सुसज्जित अंक पाठकों की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा। इस प्रकार 'सुगंध' की प्रासंगिकता बनी रहेगी।

शुभकामनाएँ....

(प्रदोष कुमार रथ)

दिनांकः 31.03.2021

निदेशक (कार्मिक)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम

संदेश

यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड-विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र की हिंदी गृह-पत्रिका का मार्च-2021 अंक 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' विषय को समर्पित है। भारतीय समाज में महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए बहुत प्रावधान किये गये हैं। लेकिन किन्हीं अपरिहार्य कारणों से अभी भी महिलाओं, विशेष रूप से ग्रामीण व हाशिए पर पड़ी महिलाओं को उनका हक नहीं मिल सका है। महिलाओं को उनका हक दिलाने के क्रम में उन्हें जागरूक व समर्थ बनाना जरूरी है।

अतः मेरा मानना है कि महिलाओं को जब जागरूक व शिक्षित बना दिया जाएगा, तब वे अपना हक स्वतः ही लेने में सक्षम हो जाएँगी और उन्हें किसी अन्य से सहायता लेने की जरूरत नहीं होगी। हाल ही में हमने 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' मनाया है और इस वर्ष उसकी टैगलाइन 'ChoosetoChallenge' है। अर्थात दुनिया ने समझ लिया है कि महिलाएँ चुनौतियों का सामना करने के लिए अब तैयार हैं। वे किसी की मोहताज नहीं हैं, वे अपने अस्तित्व की राह खुद तराशने में सक्षम हैं।

एक बेहतरीन विषय का चुनाव करने के लिए राजभाषा विभाग की प्रशंसा करता हूँ और अंक की सफलता के लिए कामना करता हूँ।

के.सी.दास

(किशोर चंद्र दास)

दिनांकः 31.03.2021

आइना... जो कहता है

भाषा कभी शून्य में नहीं पनपती है और न ही उसका आकार शून्य में विकसित होता है। भाषा की उत्पत्ति ध्वनियों के उद्घोष से होती है। उसका विकास उसे बोलने वाले लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक या यूँ कहें कि उनकी सारी क्रियाकलापों की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित होती है। भाषा अपने बोलने वालों की मानसिकता एवं चिंतन को निरंतर आत्मसात करते हुए पुष्पित-पल्लवित होती है। भाषा के शब्द यूँ ही नहीं बनते, वे अपने अर्थ को जब संप्रेषित करते हैं, तब एक विशाल मानसिकता व विचार को लिए होते हैं। भाषा मनुष्य जीवन के हर बदलाव को एक धरोहर सरीखे संजोती है और जब जिसे जरूरत हो, वह बिना किसी काट-छाँट के सौंप देती है।

वैसे कोई भी विषय भाषा के बिना गूँगा और बहरा है। परंतु अर्थबोध व तत्वबोध की दृष्टि से भाषा व उसका साहित्य तथा उस समाज का इतिहास परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। इसलिए प्रायः ऐसा देखा जाता है कि इतिहासकार अपनी जड़ों को भाषा में ढूँढ़ता है तो भाषाविद शब्दों व भावों की उत्पत्ति के अंश को इतिहास के कथानकों की मूल में से निकालता है। ऐतिहासिक तौर पर विश्लेषण करने पर भाषाओं, समाज की स्थिति को स्पष्ट बोध होने लगता है।

महिला सशक्तीकरण के प्रश्न पर हमारी भाषाओं व उनके साहित्य तथा इतिहास में भारी विसंगति देखने के लिए मिलती है। कई बार विद्वानों द्वारा पौराणिक ग्रंथों की आड़ में महिला उत्पीड़न व समस्याओं को छुपाने अथवा उन समस्याओं पर मखमली मुलम्मा चढ़ाने की प्रक्रियाएँ परिलक्षित होती हैं। जब भी महिला अधिकारों की बात आती है, तो उन्हें लक्ष्मी, गृहस्वामिनी जैसे शब्दों के जाल में फँसाकर पुनः उनके अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। अतीत के विदुषियों (विशिष्ट लोगों की महिलाएँ) का नाम लेकर हम अपने गौरव का बखान करते हैं। 'सीता-राम' या 'राधा-कृष्ण' सरीखे उदाहरण प्रस्तुत कर हम कह लेते हैं कि हमारी संस्कृति में ईश्वर के नाम के पहले उनकी देवियों के नाम होते हैं। लेकिन जब बात धरातल पर आती है, तब पता चलता है कि 'पति-पत्नी' में पति मालिक अथवा स्वामी होता है और पत्नी उसकी अनुचर। दुनिया के इतिहास में झाँकने पर पता चलता है कि मालिक का अधिकार अपने अनुचरों पर जमीन, जायदाद आदि के बराबर ही होता था, चाहे वह दास प्रथा हो या भारतीय समाज की जातिप्रथा।

ऐसी ही अर्थ-भिन्नता 'स्वेच्छाचारी पुरुष' और 'स्वेच्छाचारिणी स्त्री' के अर्थबोध में भी दिखाई देता है। स्वेच्छाचारी पुरुष के व्यक्तित्व में उत्कर्ष और विस्तार का अर्थबोध छुपा है तो 'स्वेच्छाचारिणी स्त्री' के अर्थबोध में अपकर्ष व चरित्र हीनता का बोध मिश्रित है। आज आजादी के लगभग 75 वर्षों बाद भी महिला आजादी तो दूर, उनकी समानता के प्रश्न पर हम बिफर जाते हैं। आज भी लाखों शिक्षित व कामकाजी महिलाएँ भी असमानता व दमन की शिकार बनती हैं। अशिक्षित व साधन-विपन्न महिलाओं की तो बात भी करने लायक नहीं है।

हमारे साहित्य ने भी स्त्रियों के प्रति कम अत्याचार नहीं किया है। रीतिकालीन कवियों ने जिस तरह से श्रृंगार की ओट में चंद सोने-चाँदी के सिक्कों के लिए जो शर्म और लिहाज की सीमाओं को लाँघा गया है और राजाओं ने इसे बढ़ावा दिया है, वह अशोभनीय व शर्मनाक है। आज हम बाजारवाद के लिए नारी देह के उपयोग की जिस तरह से निंदा करते हैं, वैसे ही रीतिकालीन साहित्य में स्त्री देह का चित्रण भी निंदनीय है।

इसी प्रकार साहित्य में नारीवादी स्वर उभरने लगे तो उसे 'स्त्री-विमर्श' का नाम देकर उसे सामान्य साहित्य से अलग करके देखा जाने लगा और उसे 'वर्ग-संघर्ष' की श्रेणी में डालकर दरकिनार कर दिया गया। इन्हीं बातों से व्यथित होकर जगदीश्वर चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक 'स्त्रीवादी साहित्य विमर्श' में लिखा है - 'शब्दों के संसार में ऐसे शब्दों का अभाव है, जो पुरुष की तुलना में स्त्री की प्रभुता को व्यंजित करे अथवा स्त्री-पुरुष दोनों के मामले में भी समानता के द्योतक हों। असल में सत्ता और स्त्रीत्व एक-दूसरे के विरोधी हैं। सत्ता का संबंध पुरुषत्व से है, जबकि स्त्री की निम्नावस्था को भाषा में कुछ इस कदर गूँथा गया है, जिससे स्त्रीत्व के साथ समानता की धारणा ही असंगत प्रतीत हो।'

बड़े संघर्षों के बाद संवैधानिक आधार पर आज स्त्रीवादी स्वर जो मुखरित हो रहे हैं और महिलाओं की दशा में जो बदलाव हो रहे हैं, वे सुखद हैं और भविष्य में महिला सशक्तीकरण के लिए वे आंधी बनेंगे और समाज में समता, ममता व करुणा को मजबूत संबल प्रदान करेंगे।

'सुगंध' पत्रिका भी अपने अंकों के माध्यम से समाज में समता, ममता और करुणा का साम्राज्य स्थापित करना चाहती है और इसकी मजबूती के लिए दृढ़-संकल्पित है। 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के उपलक्ष्य में प्रकाशित इस अंक के माध्यम से हम उन सभी महिलाओं को नमन करते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों व चिंतनों से दुनिया को जागरूक किया है और अनंत कुर्बानियाँ दी हैं। साथ ही उन सभी रचनाकारों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने हमारे आह्वान को स्वीकार किया और इस अंक के प्रकाशन में योगदान किया। मैं 'सुगंध' के पाठकों के प्रति भी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिनके विचारों से हमें अधुनातन विषयों को चुनने में सहायता मिलती है।

संपादक

विषयसूची

सृजनात्मक स्तंभ

लेख

भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा	डॉ सुरेश उजाला	7
शिक्षित महिला - सक्षम महिला	श्रीमती ज्योत्स्ना रानी नायक	11
महिला समस्याओं के मुख्य कारण व निवारण	श्री शंकरलाल माहेश्वरी	13
नारी सशक्तीकरण के जीवंत आयाम.....	डॉ एस कृष्णबाबु	16
भारत में महिला सशक्तीकरण	डॉ स्वर्ण अनिल	20
वैश्वीकरण, निजीकरण व उदारीकरण....	श्रीमती ज्योति कुमारी रानी	24
महिला सशक्तीकरण में शिक्षा का योगदान	सुश्री वंदना राणा	27
सरकारों द्वारा महिला विकास के ... प्रयास	श्रीमती सी एच अनिता	29
महिला विकास में सरकार का योगदान	एस याशीम बी	32
'प्र' से .... राजभाषा का समुचित विकास	डॉ सुमीत जैरथ	43
भारत में महिला सशक्तीकरण ..... बाधाएँ	डॉ कविता विकास	49
सीन ऑफ सुई पर स्वांग ऑफ स्वैग (व्यंग्य)	श्री मलय जैन	63
महिला समस्याओं के मुख्य कारण व निवारण	श्री शुभम कुमार सिंह	64
कहानी		
फाँस (लघुकथा)	श्री महेश केसरी	10
बेटी (लघुकथा)	श्री महेश केसरी	19
बेटी धन	डॉ लक्ष्मी शर्मा	40
बिल्ली (लघुकथा)	श्री महेश केसरी	42
लौह महिला	डॉ मंजु शर्मा	46
प्रधान बुआ	इंजीनियर आशा शर्मा	60
समय (लघुकथा)	श्री महेश केसरी	66
बाल-सुगन्ध		
बाल कविताएँ		58-59
कविता		
डॉ अनु अनामिका की कविताएँ		54-55
डॉ जीवन एस रजक की कविताएँ		56-57
मानक स्तंभ		
गतिविधियाँ		35-38
संगीत सरिता		39
वी एस पी के बढ़ते कदम		
आर आई एन एल के पर्यावरण प्रबंधन पहल		51-52
अध्यात्म		
असत्य		53
आओ भाषा सीखें		67-68
जरा गौर करें		69

'सुगंध'

आर आई एन एल की अर्द्धवार्षिक गृह-पत्रिका

वर्ष-19 - अंक-1 अक्टूबर 2020 - मार्च 2021

संपादक

ललन कुमार

उप-संपादक

वी सुगुणा

गोपाल

प्रकाशन सहयोग

एम बी पडाल

जी आर ए नायुडु

डॉ जे के एन नाथन

संपादकीय कार्यालय

राजभाषा विभाग

कमरा सं.245, पहला तल

मुख्य प्रशासनिक भवन

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

विशाखपट्टणम-530031

मोबाइल: 9989317329 & 9989888457

ई-मेल: vspsugandh@gmail.com

'सुगन्ध' में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं एवं उनके प्रति 'राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड प्रबंधन' जिम्मेदार नहीं है।

'सुगन्ध' पत्रिका हमारे संगठन के वेबसाइट 'www.vizagsteel.com' के 'Publications' लिंक में भी उपलब्ध है।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें 15 दिसंबर, 2020 एवं 18 मार्च, 2021 को संपन्न हुईं। समिति द्वारा संगठन के विभिन्न विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा पश्चात यह सुझाव दिया गया है कि सभी विभागों द्वारा बाह्य अभिकरणों के साथ किये जा रहे पत्राचार एवं टिप्पणियों के निष्पादन को बरकरार रखे जायें और आगे इसमें बढ़ोत्तरी के लिए समुचित प्रयास किये जायें। समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों में हिंदी के प्रयोग के प्रति रुचि बढ़ाते हुए ऑनलाइन के माध्यम से हिंदी समारोह किया जाय। बैठकों में निदेशक गण, कार्यपालक निदेशक गण, महाप्रबंधक गण उपस्थित थे। समिति के सदस्य-सचिव एवं महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री ललन कुमार ने बैठकों का संचालन किया।

भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा

- डॉ सुरेश उजाला -

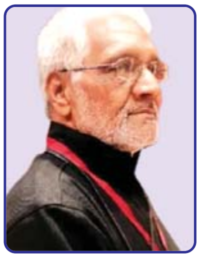

इतिहास गवाह है, प्राचीनकाल में स्त्रियों को पुरुषों के बराबर ही अधिकार प्राप्त थे। परिवार में स्त्रियों का प्रतिष्ठापूर्ण स्थान था। गृहस्थी का कोई भी कार्य स्त्री की सहमति के बिना नहीं हो सकता था। पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध किया गया है कि द्रविड़ सभ्यता आर्यों की सभ्यता से कहीं अधिक प्राचीन और भिन्न थी। आर्यों ने द्रविड़ों को राक्षस दानव-दस्यु-निशाचर इत्यादि नामों से संबोधित किया है। द्रविड़ लोग उस काल में असभ्य, जंगली और बर्वर थे। लेकिन सभ्यता की दौड़ में आर्यों से काफी आगे थे। द्रविड़ों का समाज मातृक था, यानि माता ही कुटुंब की प्रधान हुआ करती थी। ये लोग चचेरे भाई-बहनों में विवाह कर लिया करते थे। समाज में जाति-प्रथा का प्रचार इन लोगों में नहीं था। ब्राह्मण और शूद्र तत्कालीन समाज में मौजूद थे।

द्रविड़ सभ्यता के पश्चात् सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रारंभ होता है। सिंधु घाटी का तात्पर्य सिंधु नदी के दोनों किनारों पर स्थित उस प्रदेश से है, जो उसके जल से सींचा जाता था। अर्थात उस प्रदेश के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से है। इस काल में लोग माता देवी की अर्चना किया करते थे। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस काल में स्त्रियों का सम्मान बरकरार था, उन्हें सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा जाता था। माता के रूप में स्त्री और पुरुष दोनों समान रूप से सामाजिक-उत्सवों में सम्मिलित हुआ करते थे।

जब हम वैदिक काल की सभ्यता का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है, इस युग में भी स्त्रियों को ऊँचा व सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। स्त्रियाँ घर की मालकिन समझी जाती थीं। वह धार्मिक कार्यों में अपने पति के साथ सम्मिलित होती थी। इस काल में पर्दा-प्रथा नहीं थी। अतएव स्त्रियाँ सभी उत्सवों व पर्वों में भाग लेती थीं। लेकिन नियमानुसार स्त्रियाँ स्वतंत्र नहीं होती थी। उन्हें अपने पुरुष-संबंधियों के संरक्षण और नियंत्रण के अधीन ही रहना पड़ता था। शादी से पहले कन्याओं को अपने पिता के संरक्षण और नियंत्रण के अधीन ही रहना पड़ता था। पिता के न रहने पर अपने भाई के अधीन तथा शादी हो जाने के पश्चात् अपने पति के अधीन रहना पड़ता था।

विधवा हो जाने पर स्त्री अपने बेटे के अधीन हो जाती थी। इस प्रकार स्त्री को किसी रूप में पुरुष के अधीन ही जीवन-यापन करना पड़ता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति पहले से अधिक खराब हो गई। इस काल में राजवंशों और संपन्न परिवारों में बहु-विवाह की प्रथा का प्रचलन बढ़ गया। परिवार की स्त्रियों का जीवन इस काल में अत्यधिक कलहपूर्ण हो गया। इस काल में ही कन्याओं के जन्म को दु:ख का कारण समझा जाने लगा। कन्या के जन्म लेने से लोग दु:खी होने लगे। लेकिन कन्याओं की शिक्षा पर थोड़ा बल दिया जाता था। क्योंकि उस काल में गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषी स्त्रियों के नाम मिलते हैं, जो वैज्ञानिक वाद-विवादों में हिस्सेदार थीं। इस काल में धार्मिक अवसरों, सार्वजनिक सभाओं में स्त्रियाँ भाग ले सकती थीं।

बाल-विवाह प्रारंभ हो चुके थे, स्त्रियों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित होना पड़ा। हिंदू धर्म में जाति-व्यवस्था के कारण स्त्रियों को नितांत निम्नकोटि का समझा जाने लगा। अतएव इस काल में वे राजनैतिक व सामाजिक रूप से अपने महत्वपूर्ण अधिकारों से वंचित हो गई। इस काल में अशिक्षा के कारण स्त्रियों में रूढ़िवादिता बढ़ी। जाति-प्रथा में उनका विश्वास भी अशिक्षा के कारण बढ़ा। किंतु इस काल में भी जिन स्त्रियों को पाश्चात्य-शिक्षा मिल जाती थी, वे स्त्रियाँ बहुत ही प्रगतिशील हो जाती थीं। जाति-बंधनों की जटिलता को खत्म करने में स्त्रियाँ बढ़-चढ़ कर भाग लेती थीं। इससे जाति-प्रथा की कठोरता को समाप्त करने में बल मिलता था।

महाकाव्यों के काल में स्त्रियों की दशा ठीक नहीं रही। महाभारत में ऐसे वाक्य मौजूद हैं, जो स्त्रियों की सभी आपत्तियों का कारण है। पुत्री का जन्म एक अनर्थ की बात है। महाभारत काल में स्त्रियों का घर से निकलना, जुए में हार जाना, तिरस्कृत एवं अपमानित किए जाने के तमाम उदाहरण मौजूद है। कौरवों ने भरी सभा में द्रोपदी का चीर हरण कर अपमानित करने का प्रयास किया। तथापि वहाँ सभा में बड़े-बड़े महारथी, धर्मधुरीण मौजूद थे। लेकिन किसी ने इस निकृष्ट कृत्य का विरोध नहीं किया। सभी चुप रहे।

लक्ष्मण ने वनवास के वक्त शूर्पणखा के नाक-कान काट लिए थे। लेकिन अनार्य होते हुए भी रावण ने सीता के साथ कोई बदसलूकी नहीं की। स्त्रियाँ इस काल में आजादी के साथ हाट-बाट में आ-जा सकती थीं। वाद-विवादों में भी हिस्सा ले सकती थीं। पिता की संपत्ति में कन्याओं को भी इस काल में हिस्सा मिलता था। सती-प्रथा का भी इस काल में उल्लेख है। पांडु की दो पत्नियों में से एक अपने पति के साथ सती हो गई थी। प्राय: विधवाओं का विवाह कर दिया जाता था। राजाओं -महाराजाओं

को छोड़कर एक से अधिक विवाह करने की किसी को अनुमति नहीं थी। धार्मिक-क्रांति के समय में बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश प्रारंभ हो गया था। विहारों में स्त्री-पुरुष दोनों साथ-साथ रहते थे।

गौतम बुद्ध ने सभी दोषों का विरोध किया और उनका समाधान कर नई संस्कृति लागू की। बुद्ध कालीन सभ्यता में बालकों की तरह बालिकाओं का भी पालन-पोषण किया जाता था। संगीत और गृहकार्य में दक्ष होना स्त्री का प्रमुख गुण था। इस काल की स्त्रियाँ अपनी शादी स्वयं कर सकती थीं, यानि वर चुनने का अधिकार स्त्रियों को प्राप्त था। स्त्रियों को घर में तथा समाज में सम्मानजनक दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि पर्दा-प्रथा की जटिलता इस युग में बरकरार नहीं थी, लेकिन शील-लज्जा पुरुष के समक्ष बरकरार थी। इस युग में स्त्रियों को भिक्षुणी बनने का अधिकार था। कुछ बेबस स्त्रियाँ इस युग में गणिका अथवा वेश्या के कार्य पर भी निर्भर रहीं।

आहिस्ता-आहिस्ता मौर्य-कालीन समाज में स्त्रियों को उच्च सम्मान प्राप्त हुआ। इस काल में स्त्री परिवार की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी। उन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता इस युग में प्राप्त थी। पति के गलत व्यवहार पर विवाह संबंध-विच्छेद हो जाया करता था। विवाह की मर्यादा और सीमा के लिए संपन्न घरों में पर्दा-प्रथा का चलन था। स्त्रियों में इस काल में अंध विश्वास कुछ अधिक था। अर्द्ध-सभ्यता के अधीन स्त्रियों का क्रय-विक्रय भी होता था। सती-प्रथा इस काल में नहीं थी। स्त्रियाँ सम्राट की संरक्षिका तैनात की जाती थीं। कुछ स्त्रियाँ गुप्तचर का कार्य भी किया करती थीं।

गुप्त काल की वंशावलियों में पिता के नाम के साथ-साथ माता के नाम का भी उल्लेख होता था। प्रभावती गुप्ता जैसी योग्य रानियाँ राजनीति में भाग लेती थीं तथा शासन का संचालन भी किया करती थीं। इस काल में पर्दे की प्रथा नहीं थी। स्त्रियाँ आजादी के साथ समाज में घूम-फिर सकती थीं। किंतु उच्च घराने की स्त्रियाँ एक प्रकार के आवरण का इस्तेमाल करती थीं, शायद सती-प्रथा का प्रारंभ हो चुका था। थानेश्वर काल में शिक्षा पर समुचित ध्यान था। इस काल में स्त्रियाँ गाने-बजाने और नाचने में बहुत ही प्रवीण एवं दक्ष थीं। राजघरानों की स्त्रियाँ इस काल में संगिनी नहीं, अपितु उपयोग की एक मात्र वस्तु समझी जाती थीं। लेकिन माता के साथ श्रद्धा तथा प्रेम का व्यवहार किया जाता था। उच्च घरानों में पर्दा-प्रथा का प्रचलन था।

राजपूत सभ्यता के अंतर्गत स्त्रियों की मान-मर्यादा कायम थी। कन्या के रूप में पालन-पोषण और शिक्षा का ध्यान रखा जाता था। पत्नी और माता के रूप में स्त्रियों का सम्मान किया जाता था। राजकुल की स्त्रियाँ राजनीति तथा शासन के कार्यों में भाग लेती थीं। अनेक स्त्रियों ने राजकुमारी की अल्पावस्था के रहते संरक्षिका का कार्यभार संभाला। बहुत सी स्त्रियों ने प्रांतीय शासकों तथा गाँव की मुखिया के रूप में कार्य किया। अभी तक स्त्रियों में पर्दा-प्रथा नहीं थी। राजवंशी तथा संपन्न घरानों में बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था। निम्न वर्ग में इस काल में भी विधवा-विवाह का प्रचलन था।

उच्च वर्ग के लोगों में सती-प्रथा का चलन आरंभ हो गया था। लेकिन उच्च-वर्ग में विधवा-विवाह का प्रचलन नहीं था। आचरण-भ्रष्ट स्त्रियाँ समाज में वेश्यावृत्ति का काम करती थीं। देवदासी-प्रथा का प्रादुर्भाव भी इसी काल की देन है। दास-वंश में रजिया का नारी होना एक बहुत बड़ी असुविधा थी। रजिया को स्त्री होने के कारण बहुत से लोग राजपद के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। उसके अनुशासन को मानने के लिए उद्यत न थे। लेकिन रजिया ने सभी विरोधियों का सफलतापूर्वक सामना किया और अपने साहस-पराक्रम तथा अध्यवसाय का परिचय दिया।

रजिया ने साहसपूर्ण तरीके से यह सिद्ध किया कि वह राज पद के लिए सर्वथा योग्य एवं दक्ष है। रजिया भारत की प्रथम और अंतिम स्त्री सुल्ताना थी। हालाँकि विदेशों में रजिया से पहले स्त्रियाँ सिंहासन संभाल चुकी थीं। लेकिन भारत में राज-सिंहासन पर बैठने का पहला गौरव रजिया को ही जाता है। दिल्ली सल्तनत के राज-कुटुंब को बड़े ही सम्मानजनक नजरिये से देखा जाता था। हालांकि राजनीति में इसका प्रभाव नगण्य था। सुल्तान की सबसे बड़ी स्त्री 'मलिकाए-जहाँ' कहलाती थी और सुल्तान की माँ को 'खुदाबंदे जहाँ' या मखदूम-ए-जहाँ' के नाम से संबोधित किया जाता था।

स्त्रियों का तत्कालीन राजनीति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा था। मुस्लिम विजय के दौरान अनेक मुस्लिम विजेताओं ने राजपूतानियों के साथ विवाह कर लिया। जिनका प्रवेश मुस्लिमराज निवास से हो गया था, उन रानियों ने हिंदू रीति-रिवाजों तथा आचार-व्यवहार को अपने हरम में फैलाया। मुसलमानों से मेल उत्पन्न करने का प्रयास किया। समय के साथ-साथ स्त्रियों की स्थिति में निरंतर बदलाव आया। प्रेम, बलिदान और समर्पण की भावना स्त्रियों के लिए जहर बन गई। जो स्त्री बड़े-बड़े अवतारों को जन्म देती थी, उसकी संतानों ने ही उसे पैर की जूती बनाकर रख दिया। जहाँ स्त्री अपने पति के जीवन काल में उसके सुख, समृद्धि व इच्छा-पूर्ति की साधन होती थी, वहीं पति के न रहने पर वह उपेक्षा और घृणा की पात्र बन जाती। अच्छे कपड़े और आभूषण पहनना उसके लिए उपहास का कारण बन जाता।

स्त्रियों को इस अधोगति में पहुँचाने के लिए धर्म-ग्रंथों के उल्लेख और नियम भी कम उत्तरदायी नहीं हैं, जिसके कारण

भारत में स्त्रियों का आंदोलन नहीं हो सका, जिससे स्त्रियाँ घर की चारदिवारी में कैद होकर रह गईं। सामाजिक कुरीतियों ने स्त्रियों को इतना दीन-हीन बना दिया कि वे अपना अस्तित्व ही भूल गईं। स्त्रियों के उत्थान का काम सबसे पहले डॉ भीमराव अंबेड्कर ने दलितों, शोषितों-अछूतों में ही प्रारंभ किया। लेकिन बाद में स्त्रियों के उत्थान का काम दलित-शोषित, उपेक्षित समाज तक ही सीमित न रहा। डॉ अंबेड्कर ने मालाबार भूभाग, जहाँ आदिवासी लोग निवास करते थे, उन्हें वस्त्र पहनने सिखाये। मालावर में स्त्रियाँ अपने गुप्तांगों को पत्तों से ढक कर अपनी लाज बचाती थीं।

बाबा साहब डॉ भीमराव अंबेड्कर ने उन्हें मानव बनने का संदेश दिया। उन्हें कपड़ों को धारण करने का तरीका बताया। बंबई लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य तथा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लेबर मेंबर रहते हुए डॉ भीमराव अंबेड्कर ने स्त्रियों के उत्थान हेतु जो काम किये, उन्हें कौन विस्मृत कर सकता है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश के साथ उन्हें तमाम सुविधाएँ निर्गत कराईं।

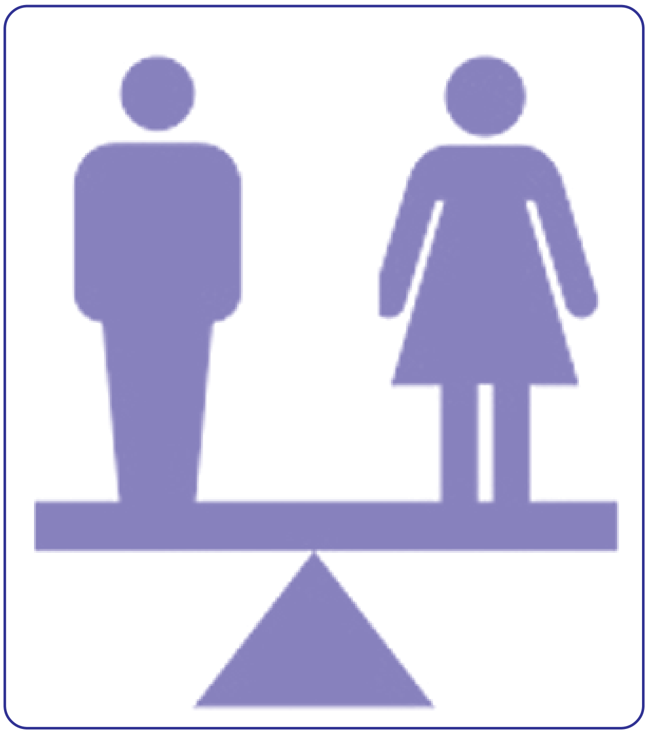

सबसे बड़ा काम तो डॉ भीमराव अंबेड्कर ने स्त्रियों को पुरुषों के बराबर अधिकार दिलाए। यह काम संविधान की धारा -14 और 15 में अपेक्षित प्रावधान करके पूर्ण किया। चौदहवीं धारा के अंतर्गत भारतीय राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा। पंद्रहवी धारा के अंतर्गत राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। हिंदू कोड बिल का परम उद्देश्य दोनों धाराओं के सूत्रों को परिभाषित करना तथा धर्मशास्त्रों में स्त्रियों के खिलाफ मान्यताओं, रीतियों तथा नियमों को प्रभावहीन बनाकर नये एवं प्रगतिशील समानता के नियमों का निर्माण करना था।

हिंदू कोड बिल को लेकर तमाम प्रकार के अंतर्विरोध मंत्रिमंडल के सदस्यों के बीच रहे। इसलिए इस बिल के पारित होने में देर हुई। डॉ अंबेड्कर इससे बहुत दु:खी थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि नेहरू जानबूझ कर शिथिलता बरत रहे हैं। आगे चलकर नेहरू जी के आग्रह पर इस बिल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया। पहले भाग पर सदन में तीन दिनों तक बहस जारी रही, लंबे वक्तव्य होते रहे। वक्तव्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। **20** सितंबर, **1951** में डॉ अंबेड्कर ने हिंदू कोड बिल तथा तलाक के पक्ष में सबल तर्क प्रस्तुत किए। **25** सितंबर को यह भाग पास कर दिया गया। मंत्रिमंडल, पार्लियामेंट तथा बाहर खिलाफत की वजह से हिंदू कोड बिल उस वक्त पारित न हो सका। लेकिन बाद में उसे अलग-अलग भागों में पास करके कानूनी जामा पहनाया गया।

यह पूर्णतया स्पष्ट है कि इस बिल के कारण स्त्रियाँ अपने विषय में सोचने-समझने लगीं। आज स्त्रियों में जो राजनीतिक चेतना दिखाई पड़ रही है, वह इस बिल का ही प्रभाव है। अतएव स्त्री समाज की गुलामी की बेड़ियाँ काटने का श्रेय डॉ अंबेड्कर को ही जाता है। आज स्त्रियाँ देश-निर्माण में सहायक सिद्ध हो रही हैं। आज स्त्रियाँ देश में नवचेतना और जागृति की मिसाल हैं। अपने कर्तव्यों का पालन स्त्रियाँ आज पूर्ण रूपेण अधिकारों के साथ करने में समर्थ हैं। बाबा साहब समाज की प्रगति का मूल्यांकन स्त्री-समाज की प्रगति से ही किया करते थे।

बीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक और इक्कीसवीं शताब्दी की शुरुआत की एक अत्यंत जरूरी संकल्पना उभर कर हमारे सामने आई है। भूमंडलीकरण, जिसके दौरान प्रत्येक मानव को अपनी पहचान मिली है। भूमंडलीकरण का अर्थ मुक्त अर्थ-व्यवस्था से है, जिसका मुख्य अंग वस्तुएँ, पूँजी, तकनीकी व श्रम का निर्बाध आदान-प्रदान है। जो संपूर्ण विश्व को एक गाँव में परिवर्तित कर रहा है। सैटेलाइट और कंप्यूटर के द्वारा संचार के क्षेत्र में एक क्रांति सी उत्पन्न हो गई है। इंटरनेट, आई एस डी, ई मेल के द्वारा आज सारी दुनिया कुछ ही समय में किसी भू-भाग में अपना संपर्क स्थापित कर सकती है। भूमंडलीकरण ने आज नये आयाम प्रस्तुत किए हैं, जिसकी वजह 'वसुधैव कुटुंबकम' की भावना हमें प्रवल होती दिखाई पड़ रही है। इस भूमंडलीकरण ने औरत हो या आदमी सबको एक नई पहचान दी है, जिसके नाते भारत में स्त्री जगत को भी एक नई पहचान मिली है। उनकी स्थिति में भी भूमंडलीकरण के कारण एक अभूतपूर्व बदलाव आया है।

लेख

आज भारतीय स्त्री भी हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री की सहभागिता आज सुनिश्चित है। वह बिना किसी लिंग-भेद के आधार पर समय के साथ आने वाली चुनौतियों का डटकर सामना कर रही है। आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आज स्त्री वर्ग का योगदान है। आज के नये दौर में स्त्रियों की अपनी एक अलग पहचान है। भारत एक पुरुष प्रधान देश है, जहाँ पुरुषों की स्त्री के बारे में सदैव दोहरी मानसिकता रही है। एक ओर 'यत्र नारीश्च पूज्यंते, रमंते तत्र देवता' तो दूसरी तरफ 'शूद्र, गँवार, ढोल, पशु, नारी - ये सब ताड़न के अधिकारी' कहकर उत्पीड़ित किया गया है, उसे मानसिक आघात पहुँचाया गया है।

आज के वक्त का जब हम आकलन करते हैं तो पता चलता है कि भूमंडलीकरण ने जहाँ हर व्यक्ति की एक नई पहचान कराई है, वहीं इससे उपभोक्तावाद तथा बाजारवाद को बढ़ावा मिला है। स्त्री जगत भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाया है। आज स्त्रियों के साथ उत्पीड़न, हिंसा, यौन-शोषण व बलात्कार दिन-प्रति दिन बढ़े हैं। उपभोक्तावादी संस्कृति ने स्त्रियों को मात्र भोग की वस्तु बनाकर रख दिया है। आज स्त्री विमर्श के समय में स्त्रियों को निर्णायक भूमिका में होना चाहिए था। मगर टेलीविजन, केबिल टी वी, इंटरनेट, मीडिया ने स्त्री को केवल उत्तेजक, मोहक और भोग्य की छवि में ही प्रस्तुत किया है, उसकी वास्तविकता को नकारा है। आज महिलाएँ भ्रूण हत्या, बलात्कार, दहेज हिंसा, घरेलू हिंसा आदि की शिकार हैं। चारों ओर स्त्री का शोषण आज भी जारी है। स्त्री की पहचान के स्थान पर भूमंडलीकरण उसके वजूद के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा है।

हमारा देश अधिकांश ग्रामीण इलाकों में निवास करता है, जहाँ हमारी आधी आबादी भी साथ रहती है। कुछ स्त्रियों के केवल नाम लेकर हम बहुसंख्यक स्त्रियों को अनदेखा नहीं कर सकते। क्योंकि वे गरीब और असहाय स्त्रियाँ भी अपने वजूद को बचाने के लिए निरंतर संघर्षरत हैं। अतएव हमें स्त्रियों के साथ भी न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता की भावना के साथ काम करना होगा। तभी भारतीय समाज में स्त्रियों की दशा और दिशा सुधार पाएगी।

- 108-तकरोही
पंडित दीनदयाल पुरम मार्ग
इंदिरा नगर, लखनऊ-226012
मोबाइल: +91 9451144480

फाँस

- श्री महेश केसरी -

ठंड अब हल्की-हल्की पड़ने लगी थी। कार्तिक मास के छठ पर्व की तैयारियाँ जोरों से चल रही थी। सेठ मूलचंद अग्रवाल वैसे तो दान-धर्म के मामले में सबसे आगे रहते थे। लेकिन इस साल उनके घर पर छठ पर्व नहीं हुआ था। सो दूकान बंद करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी उनका एक बहुत पुराना ग्राहक बजरंगी कुछ जरूरी सामान लेने उनके पास आ गया। दूकान पर आते ही बजरंगी तत्परता से सेठ मूलचंद जी से बोला, 'भाई मूलचंद जी, मुझे दस किलो गुड़ और दो किलो घी दे दो।'

मूलचंद जी ने सामान देते हुए बजरंगी से कहा, 'अमा यार तुमको पता नहीं है कि आज छठ पर्व का पहला अर्घ्य का दिन है। कुछ पूजा-पाठ, पुण्य का काम भी करने दिया करो यार। सामान लेना है तो थोड़े जल्दी आया करो।'

बजरंगी हँसते हुए बोला, 'पूजा-पाठ और पाप-पुण्य की बात तुम न ही करो तो ज्यादा अच्छा है सेठ जी...।'

सेठ मूलचंद अचकचाते हुए बोले, 'क्यों न करें भाई, क्या पूजा-पाठ, दान-धर्म में हम किसी से कम हैं क्या...? क्या हम हिंदू नहीं हैं?'

इधर बजरंगी भी आज सब कुछ कहे जाने के मूड में था। बोला, 'हिंदू तो हैं, लेकिन इंसान नहीं हैं। पिछले साल कर्फ्यू में आपने कितने ही बेकसों की हाय ली थी। चीनी 20 रुपये किलो की जगह 35 रुपये किलो बेचा था। आटा रहते हुए भी आपने ब्लैक रेट पर बेचा था। कितने लोगों की बद्दुआएँ ली थीं। फिर आप कौन सा पुण्य का काम कर रहे हैं?'

हालाँकि यह बात बजरंगी ने मजाक में ही मूलचंद जी से कही थी। लेकिन यह बात मूलचंद जी के मन में किसी फाँस की तरह अटक गई थी। क्या बजरंगी सही कह रहा था...???

- श्री बालाजी स्पोर्ट्स सेंटर
मेघदूत मार्केट फुसरो
बोकारो-829144, झारखंड
मोबाइल: +91 9031991875

शिक्षित महिला - सक्षम महिला

- श्रीमती ज्योत्स्ना रानी नायक -

सशक्तीकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता विकास से है, जो उसमें इतनी योग्यता और गुणवत्ता का संचार कर दे कि वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णयों के लिए किसी अन्य पर निर्भर न रह जाए। महिला सशक्तीकरण में हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं, जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय स्वयं लें और समाज में अपना खुद का स्थान बनाते हुए पुरुष के समकक्ष कदम से कदम मिलाकर चल सके।

माना जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति आधुनिक काल की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। उस समय महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पारिवारिक एवं समाजिक कार्यों में भाग लेती थीं। लेकिन ऐसे अवसर संभवत: सभी वर्गों की महिलाओं के लिए उपलब्ध नहीं थे। ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं, जहाँ महिलाओं को अति सम्मान व श्रद्धा से देखा गया है। लेकिन कई बार ऐसे भी प्रमाण मिले हैं, जब उन्हें मात्र भोग-विलास की वस्तु समझा गया है। इस तरह के दुविधापूर्ण शास्त्रीय रहस्योद्घाटनों से शास्त्रों की प्रमाणिकता संदेह के घेरे में आती है।

'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंति तत्र देवता।'

प्राचीन शास्त्रों में इस वाक्य के माध्यम से नारी का महिमामंडन तो खूब हुआ है, लेकिन चारित्रिक धरातल और सामाजिक कसौटी पर यह कई बार असफल व अप्रमाणिक होता दिखाई दिया है। कालांतर में साम्राज्यवादी एवं पुरुषवादी ताकतों के प्रभाव में धीरे-धीरे महिलाओं की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान विभिन्न सामाजिक आंदोलनों एवं महामनीषियों के प्रयासों के कारण महिलाओं की समस्याओं जैसे शिक्षा, बाल-विवाह, विधवा विवाह, शोषण, घरेलू हिंसा आदि पर विचार किया जाने लगा।

आजादी के बाद मिले संवैधानिक अधिकारों के कारण भारतीय महिलाओं का तेजी से विकास हुआ और उन्होंने अनेक कीर्तिमान स्थापित करते हुए आज जो मुकाम हासिल किया है, वह अनुकरणीय है। लेकिन सफलता हासिल करने वाली महिलाओं और हाशिए पर खड़ी महिलाओं की संख्या में भारी अंतर है। अत: इसे समानांतर प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्योंकि आज भी भारी संख्या में महिलाएँ और बालिकाएँ शोषण और भेदभाव की शिकार होती हैं। इसलिए आज का समाज महिला सशक्तीकरण पर विचार कर रहा है और कोशिश की जा रही है कि महिलाओं की स्थिति को और बेहतर बनाया जाए। अगर भारत को आने वाले समय में एक विकसित देश बनना है तो इसके लिए अति आवश्यक है कि देश की महिलाओं का सशक्तीकरण हो।

इसी अवधारणा की पुष्टि में भारतीय संविधान ने अपने संकल्प में देश के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्रदान करने की बात कही है। उसी भावना के अनुरूप महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाकर उनका सशक्तीकरण किया जाए तो बेहतर होगा। हालाँकि भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण का मामला बहुत हद तक उनके भौगोलिक (शहरी और ग्रामीण), शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर भी निर्भर करता है।

महिला सशक्तीकरण के रास्ते में ज्यादातर रुकावटें निम्न प्रकार से आती हैं:

भारत में विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं को पारिवारिक और सामाजिक मामलों में निर्णय लेने की आजादी नहीं होती। किसी-किसी परिवार में, जिसमें महिलाएँ पुरुषों से अधिक भले ही कमाती हों, निर्णय लेने का हक उन्हें नहीं होता। कई बार तो उनके संवैधानिक पदों के निर्णय भी कोई और लेता है। यह सब महिला सशक्तीकरण की भावना के खिलाफ हैं।

इसी प्रकार संस्कृति और सभ्यता के नाम पर महिलाओं को घर की चहारदिवारी से बाहर, खास तौर पर मध्यवर्गीय परिवारों में लड़कियों को अकेले घर से बाहर जाने की आजादी नहीं दी जाती है, जो उनके साथ घोर अन्याय है और महिला सशक्तीकरण की भावना के विरुद्ध है।

आज भी अधिकांश महिलाओं को पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार नहीं है। लड़कों के मुकाबले बहुत कम लड़कियाँ स्कूल जा पाती हैं। भारत में बहुत सी बालिकाएँ कभी स्कूल का मुँह तक नहीं देख पातीं और जो कुछ स्कूल जाने का सौभाग्य पाती भी हैं, तो उनमें से बहुतायत दसवीं तक आते-आते पढ़ाई छोड़ देती हैं। महिलाओं के लिए आज भी रोजगार के अवसर बहुत कम होते हैं। नियोक्ता भी कुछ मामलों में महिलाओं को रोजगार का अवसर नहीं देना चाहते। इसीलिए भारत में पुरुषों के मुकावले बहुत कम महिलाएँ काम कर पाती हैं। इसकी वजह से वे परिवार की खराब आर्थिक हालात का मजबूरन सामना करती हैं।

यह बात भी सही है कि महिलाओं के विवाह और रोजगार में नकारात्मक संबंध है। शादी के बाद बहुत सी महिलाओं को

नौकरी करने की इजाजत नहीं दी जाती या उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है।

भारत में ज्यादातर महिलाएँ कृषि क्षेत्र में काम करती हैं, जहाँ वे अपने पति, पिता अथवा भाइयों के सानिध्य में काम करती हैं। तुलनात्मक रूप से शासन-प्रशासन, तकनीकी व प्रबंधकीय क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं की संख्या बहुत कम है।

भारतीय मीडिया में महिला विमर्श को दूर रखना एक अपराध है। इस क्षेत्र में महिलाएँ तो दिखती हैं, लेकिन उनकी भूमिका मात्र सौंदर्य एवं दर्शक आह्लाद की तुष्टि तक सीमित है। उनका प्रतिनिधित्व विषय अधारित विमर्शों में कम है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है, लेकिन अफसोस कि महिला-विमर्श मीडिया के एजेंडा में ही नहीं है।

घरेलू हिंसा महिला सशक्तीकरण के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। एक अनुमान के अनुसार भारत में हर पाँचवीं में से दो महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हैं। अगर, हम सही मायनों में भारतीय महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले रुकावटों को दूर करना होगा। उन्हें आजाद सोच के साथ बाहर निकलने और बाहर जाकर काम करने को बढ़ावा देना होगा। इसी तरह से उन्हें सभी मामलों में निर्णय लेने की आजादी भी देनी होगी। साथ ही उन्हें सभी तरह के संसाधनों के ऊपर समान नियंत्रण व उपभोग का अधिकार भी देना होगा।

घरेलू हिंसा के मामले में सरकार को सख्त कदम उठाकर कानूनों को कड़ाई से लागू कराना चाहिए, ताकि कोई भी कसूरवार गवाहों के अभाव में छूट न पाए। हो सके तो कानूनों में समय-समय पर बदलाव भी करना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी का मंतव्य है कि 'यदि सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक विषमता आदि से छुटकारा पाना है, तो महिला सशक्तीकरण की बेहद आवश्यकता है। सबसे पहले महिलाओं को इस बात का एहसास होना चाहिए कि वे सक्षम हैं।'

शिक्षा लोगों को सक्षम बनाती है। व्यक्ति में शिक्षा की आरंभिक नींव किसी महिला की गोद में ही पड़ती है, जहाँ सबसे पहले पारिवारिक रिश्तों का महत्व, आदर एवं मान-सम्मान सिखाया जाता है। फिर भी कैसी विडंबना है कि जो महिला गोद में बिठाकर सबको शिक्षित करती हो, वह स्वयं अशिक्षित रह जाती है। इससे यह प्रमाणित होता है कि शिक्षा से समाज का आधार स्वस्थ और मजबूत बनता है। शास्त्रों की सूक्तियों में कहा गया है कि शिक्षा के बिना मानव पशु समान है।

इसीलिए संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त है और अपने सर्वांगीण विकास के लिए उन्हें चाहिए कि हर तरह की शिक्षा ग्रहण करें और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। महिलाओं के लिए बौद्धिक शिक्षा के साथ रोजगारपरक शिक्षा ग्रहण करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे एक ओर स्वावलंबन से सशक्तीकरण का मार्ग प्रशस्त होता है तो वहीं दूसरी ओर आज के बौद्धिक अतिवादी युग में उनकी साख को मजबूती भी मिलती है।

जब कोई महिला शिक्षित होती है तो वह खुद को सबल बनाते हुए दूसरों की प्रेरणास्रोत बनती है। फलत: हमारा पूरा समाज सशक्त होता है। वर्तमान में महिलाएँ काफी सशक्त हुई, परंतु वे अक्सर पुरुष-वर्चस्व मानसिकता की शिकार हो जाती हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत का एक बड़ा हिस्सा गाँवों में रहता है, जहाँ शिक्षा का अभाव व सशक्तीकरण दोनों नदारद हैं। अत: वहाँ दोनों साथ-साथ चलने चाहिए। हालाँकि वहाँ गरीबी के कारण स्त्री-शिक्षा पर जोर नहीं दिया जाता। ऐसे मामलों में सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि जैसे बालिकाएँ स्कूली शिक्षा पूरा करें, उन्हें आमदनी के स्रोत उपलब्ध हो जाएँ, ताकि उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सके और वे घरेलू व बाह्य दोनों तरह के शोषण का शिकार होने से बच सकें। इससे समाज की मानसिकता बदलेगी।

निष्कर्षत: कहना यह है कि महिला शिक्षा से परिवार और परिवार से देश शिक्षित व सशक्त बनेगा। महिलाएँ समाज की वास्तविक शिल्पकार होती हैं। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं के बिना पुरुष का अस्तित्व ही नहीं है और यदि महिला मानसिक व प्रतिभा के स्तर पर क्षमतावान होगी तो निश्चित ही पुरुष प्रतिभावान बनेगा। इसीलिए शास्त्रों में स्त्री व पुरुष को परस्पर एक दूसरे का पूरक बताया गया है। अत: हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेटियों के साथ-साथ अपने बेटों को नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाना है, ताकि वे महिलाओं की अहमियत समझ सकें।

शासन व प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अत: देश के समेकित विकास के लिए महिलाओं का शिक्षित होना आवश्यक है। महिलाएँ किसी भी काम को बड़े ही सिद्दत से करती हैं। इसीलिए माँ एवं गृहिणी जैसे कर्मचारी हमेशा सफल रहे हैं। शिक्षित माँ और गृहिणी और बेहतर काम करती हैं। अत: कहा जा सकता है कि शिक्षा जलता हुआ दीपक है, जो अपने आलोक से सभी के जीवन को प्रकाशवान करता है।

- उपाध्यक्ष
विस्टील महिला समिति
उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम
मोबाइल: +91 6370104346

महिला समस्याओं के मुख्य कारण व निवारण

- श्री शंकरलाल माहेश्वरी -

भारतीय संस्कृति की पावन परंपरा में नारी को सदैव सम्माननीय स्थान प्राप्त हुआ है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति व अवनति वहाँ के नारी समाज पर अवलंबित है। जिस देश की नारी सशक्त, जागृत एवं शिक्षित हो, वह देश संसार में सबसे उन्नत माना जाता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रमंते तत्र देवता'। नारी नर की खान है। वह पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए गौरव और विश्व के लिए करुणा संजोने वाली महाकृति है। एक गुणवान नारी कँाटेदार झाड़ी को भी सुवासित कर देती है और निर्धनतम परिवार को भी स्वर्ग बना देती है। एक आदर्श नारी धैर्य, त्याग, ममता, क्षमा, स्नेह, समर्पण, सहनशीलता, दया, परिश्रमशीलता तथा सदाशयता से परिपूर्ण होती है। वस्तुत: भारतीय नारी पृथ्वी की कल्पलता के समान है।

माँ के रूप में यशोदा, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय, भक्त के रूप में मीराबाई, पत्नी के रूप में सीता आदि नारियों ने समाज को गौरवान्वित किया है। नारी पूज्या है, वंदनीया है, विधाता की कमनीय कृति है। भारतीय संस्कृति के समस्त आदर्श स्वरूप नारी में ही प्राप्य हैं, जैसे विद्या का आदर्श सरस्वती में, धन का लक्ष्मी में, पराक्रम का दुर्गा में, सौंदर्य का रति में और पवित्रता का गंगा में। जीवन के उद्गम काल से लेकर सायंकाल तक मानव मात्र नारी के द्वारा ही अनुप्राणित होता है।

हमारे वैदिक ग्रंथों, ऋचाओं और साहित्य में नारी को शक्तिपुंज, सृष्टिसृजेता के रूप में चित्रित किया है। वह जननी है, कल्याणस्वरूपा हैं तथा आसुरी वृत्तियों का परिहार करने हेतु समग्र शक्ति संपन्न अतुलित शक्तिदात्री है। हमारे धर्म शास्त्रों में नारी को पुरुष से भी अधिक महत्व दिया जाता रहा है। इसीलिए नारी का नाम पुरुष से पहले लिया जाता है, जैसे - लक्ष्मीनारायण, सीताराम, उमाशंकर, राधेश्याम आदि। भारतीय नारी अपनी गरिमामयी स्थिति की प्रतीक रही है। इस संदर्भ में गार्गी, मदालसा, अनुसूया, अरुंधति, मैत्रेयी आदि विदुषी नारियों के नाम इस बात के प्रमाण हैं।

उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में बदलाव प्रारंभ हो गया। बालविवाह, बहुविवाह आदि का विशेष प्रचलन होने लगा तथा नारी स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न होने लगी। इस काल में नारी जीवन पर अंकुश लग गया और वह सामाजिक नीति-नियमों से अपनी स्वतंत्रता खो चुकी। वैवाहिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई। बौद्धकाल तथा इसके बाद नारी जीवन में आशातीत परिवर्तन हुआ। अब वह केवल भोग की वस्तु बनकर रह गई। बालविवाह, पर्दाप्रथा, अनमेल विवाह, बहुविवाह, उत्तराधिकार की शून्यता का प्रादुर्भाव हो गया। तत्कालीन संतों, कवियों और लेखकों ने भी नारी जीवन को हेय बना दिया। उसे केवल घर की चारदिवारी का ही प्राणी मानकर अबला का स्वरूप दे दिया गया। नारी को अवगुणों की खान, महाठगिनी और भोग्या तक वर्णित किया गया।

मध्यकाल में नारी स्वरूप में काफी परिवर्तन हुआ। समाज में महिलाओं की सहभागिता संकुचित होती चली गई। वह संपत्ति के रूप में समझी जाने लगी। घर की दीवारों में बंद हो गई तथा यहीं से शोषण की त्रासदी प्रारंभ हो गई। पुरुष वर्ग का निरंकुश शासन नारी को निरंतर पदाक्रांत करने की प्रक्रिया में सक्रिय होता रहा। महिला शिक्षा को प्रतिबंधित किया गया। केवल कुलीन वंशीय नारी ही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसी ऊहापोह में नारी रीतती चली गई। कहा जाता रहा कि नारी का स्वतंत्र रहना उचित नहीं। इसीलिए तो बचपन में पिता, युवावस्था में पति तथा वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में जीवन यापन की प्रक्रिया स्वीकार की गई।

19 वीं सदी के मध्यकाल को पुनर्जागरण काल कहा जाता है। इस काल में नारी कल्याण हेतु आंदोलन हुए। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में महिलाओं की गौरवमयी भागीदारी रही। अब नारी इतनी प्रतिबंधित नहीं रही। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहनराय, स्वामी विवेकानंद जैसे मनीषियों ने नारी के गरिमामयी स्थान को प्रतिष्ठित किया। वस्तुत: 20 वीं सदी के प्रथमार्द्ध को नारी जागरण तथा उत्तरार्द्ध को नारी प्रगति का काल कहा जा सकता है। आज की नारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों का नेतृत्व करने लगी है।

महिला सशक्तीकरण के इस युग में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सरकारी प्रयास होने लगे हैं। महिला आरक्षण भी इस प्रयास का एक उदाहरण कहा जा सकता है। आज की नारी चारदिवारी से मुक्त होकर स्वतंत्र वातावरण में साँस लेने लगी है। वर्तमान में नारी विज्ञान, तकनीक, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, न्याय, अंतरिक्ष, खेल तथा कृषि व अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रगण्य मानी जाने लगी है। भारत में 19 वीं सदी के अंतिम दशकों में नारी शिक्षा व नारी के सर्वांगीण विकास को गतिमान किया गया। सांस्कृतिक पुनर्जागरण से नारी जागृति का दौर स्वतंत्रता प्राप्ति व उसके बाद अब तक एक लंबी यात्रा तय कर चुका है।

आधुनिक काल में नारी में नवचेतना का संचार हुआ। पढ़-लिखकर नारी ने प्रशासनिक, सामाजिक, औद्योगिक, चिकित्सा,

विज्ञान, पुलिस, सेना व विमानन के क्षेत्र में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ती रही। शिक्षा के साथ ही महिलाओं में नेटवर्किंग क्षमता, मधुर व्यवहार, स्थायित्व की मानसिकता, सीखने की जिज्ञासा, परिवर्तन की बलवती इच्छा, स्पष्ट अभिव्यक्ति, सकारात्मक सोच, विनम्रता तथा आगे बढ़ने की उत्कट अभिलाषा आदि विशेष क्षमताओं का बाहुल्य है।

गोल्ड स्मिथ ने कहा है कि 'स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है, क्योंकि वह जानती कम और समझती अधिक है।' इतना सब कुछ होते हुए भी ग्रामीण व मध्यवर्गीय महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक दयनीय तथा असहाय अवस्था में जीवन यापन कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ अधिक संख्या में अशिक्षित तथा बेरोजगार हैं। कहा गया है कि यदि एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तो वह एक ही आदमी शिक्षित हो पाता है। लेकिन यदि एक औरत को शिक्षित किया जाता है तो एक पीढ़ी शिक्षित होती है।'

महिला सशक्तीकरण का आशय है कि महिलाओं को फैसले लेने का अधिकार देना, अपनी जिंदगी के बारे में निर्णय लेने की पूरी आजादी देना तथा उनमें ऐसी क्षमता पैदा करना, जिससे कि वे समाज में अपना सही स्थान प्राप्त कर सकें और अपनी निजता की रक्षा करते हुए खुलकर साँस ले सकें। महिलाएँ सशक्त तब हो सकेंगी, जब उनकी दूसरों पर निर्भरता समाप्त होगी। इससे वे स्वयं अपनी अलग पहचान बना सकेंगी। आत्म विश्वास एवं आत्मनिर्भरता की भावना के साथ आगे बढ़ सकेंगी और आर्थिक रूप से समर्थ होकर सक्षम नागरिक के रूप में समाजोत्थान में अपनी भूमिका का निर्वहण कर सकेंगी। डॉ किरण मजूमदार, सुश्री विद्या छावड़िया, डॉ अमृता पटेल, प्रियंका मल्होत्रा, राजश्री बिड़ला, सुश्री ऋतु कुमार, सुलज्जा फिरोदिया मोटवानी आदि इसके ज्वलंत प्रमाण हैं।

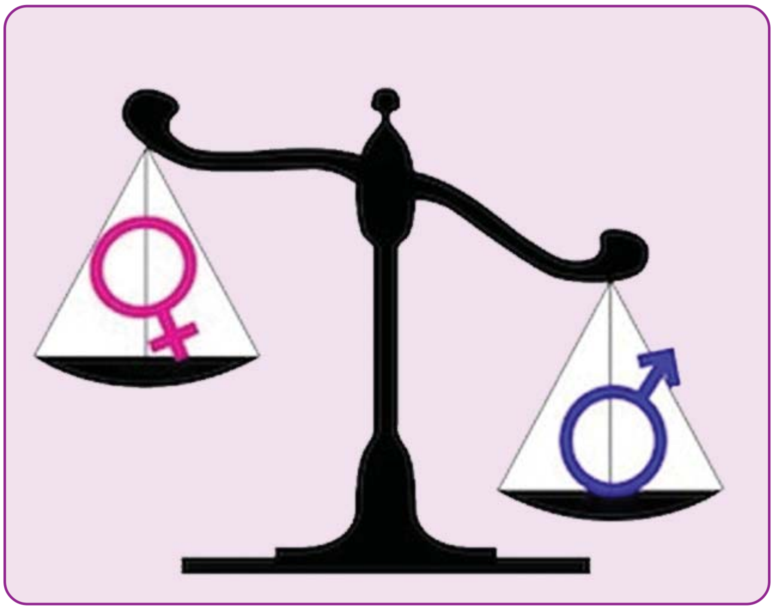

आत्मनिर्भरता के मामले में जहाँ शहरी क्षेत्र की महिलाएँ अधिक संख्या में रोजगारशील हैं, वहीं ग्रामीण महिलाएँ या तो कृषि आधारित कार्यों में संलग्न हैं या दैनिक मजदूरी करके जीवन बिता रही हैं। जो महिलाएँ असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, उन्हें प्राय: पुरुषों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक मिलता है, भले ही वे पुरुषों के बराबर कार्य करती हों। इस प्रकार कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है।

भारतीय समाज में कई महिलाएँ घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। विशेषकर ग्रामीण महिलाएँ परिवार में आपराधिक समस्याओं से ग्रसित हैं। शिक्षा की दृष्टि से जहाँ शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने विशेष सफलता अर्जित की है, वहीं ग्रामीण महिलाओं का शिक्षा स्तर काफी नीचे है। जहाँ पुरुषों का शिक्षा दर **82** प्रतिशत के लगभग है, वहीं महिलाओं का शिक्षा दर **61** प्रतिशत है।

समाज में कन्या भ्रूण हत्याएँ निरंतर बढ़ती जा रही हैं, जिससे स्त्री-पुरुष का लिंगानुपात प्रभावित हो रहा है। समाज में महिलाओं के साथ दुराचार, बलात्कार, छेड़छाड़ की घटनाएँ आए-दिन बढ़ती जा रही हैं। भारतीय नारी शोषण के कई रूप हैं। बाल-विवाह, विधवा विवाह निषेध, बेमेल विवाह, लड़कियों को बेचना, भ्रूण परीक्षण, गर्भपात, भ्रूण हत्या, औरतों की नीलामी आदि अमानवीय कुकृत्यों से महिलाएँ उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं।

यू एन विमेन के आँकड़ों के अनुसार विश्व भर में **35%** महिलाएँ या तो शारीरिक या यौन शोषण की शिकार हो गई हैं। विश्व भर में औसतन **137** महिलाएँ प्रतिदिन अपनों के द्वारा मारी जाती हैं। भारत में प्रत्येक **5** मिनट में एक गर्भ वती की मृत्यु होती है। भारत के गृह मंत्रालय के अपराध पंजीकरण ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार हर **47** मिनट में एक बलात्कार तथा हर **44** मिनट में औसतन एक महिला का अपहरण होता है।

इन समस्याओं के निवारण हेतु संयुक्त परिवार प्रथा को बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए सामाजिक संगठनों, सूचना तकनीक, सोशल मीडिया के प्रयोग, विचार गोष्ठियों, पत्र-पत्रिकाओं तथा सभा-सम्मेलनों के आयोजन द्वारा वैचारिक क्रांति से संयुक्त परिवार प्रथा को सुदृढ़ बनाये जाने का प्रयास होना चाहिए, जिससे महिलाओं को सहज जीवन यापन करने तथा कई प्रकार की दुश्चिंताओं से मुक्ति पाने में सुविधा मिलेगी।

महिला साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी सार्थक योजनाओं का क्रियान्वयन हो तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएँ शिक्षित हो सकें, ऐसा प्रयास आवश्यक है। महिलाओं के व्यक्तित्व विकास तथा कौशल विकास के लिए

विशेष कार्य योजना के क्रियान्वयन की आवश्यकता है। विशेष सर्वेक्षण द्वारा महिला प्रतिभाओं की तलाश कर उन्हें अपेक्षित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा व प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हो, प्रतिभाशाली व गरीब बेटियों के लिये नि:शुल्क शिक्षा एवं छात्रावास की सुविधा हो। विधवा व परित्यक्ताओं के लिये शिक्षा सहज-सुलभ हो। कंप्यूटर तथा नवीनतम संचार साधनों से भी महिलाओं को अवगत कराया जाए।

महिला स्वास्थ्य संरक्षण की व्यवस्था अनिवार्य है। स्वस्थ महिलाएँ ही पारिवारिक सुख-समृद्धि में सहायक होती हैं तथा सामाजिक सरोकारों में क्रियाशील भागीदार बनती हैं। अत: महिला स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए यौन शोषण, प्रसवकालीन समस्या, महिला दुराचार, घरेलू हिंसा पर नियंत्रण आवश्यक है। बालिका शिक्षा से संबद्ध सरकारी सुविधाओं तथा योजनाओं की जानकारी का प्रचार-प्रसार हो, ताकि अधिकतम महिलाएँ लाभान्वित हो सकें। कुपोषण से बचाव तथा सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी कार्य योजनाओं की जानकारी का होना भी आवश्यक है, अत: इन कार्य योजनाओं का प्रचार-प्रसार होना चाहिए।

घरेलू हिंसा महिला वर्ग के लिये अभिशाप है। हिंसा से अभिप्राय यह है कि वह अपने या अन्य व्यक्ति या समूह द्वारा सोच-समझकर शारीरिक शक्ति का प्रयोग या धमकी, जिसका परिणाम या संभावना चोट, मृत्यु या मनोवैज्ञानिक हानि का विकसित होना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार घरेलू हिंसा का कारण पारिवारिक विपन्नता, महिलाओं की स्वच्छंद वृति, बालविवाह, दहेजप्रथा, फिजूलखर्ची, भ्रूण हत्या, अन्धविश्वास तथा स्वार्थपरता आदि है। अशिक्षा, सहिष्णुता का अभाव तथा कुसंस्कारों के कारण घरेलू हिंसा होती है। ग्रामीण व पिछड़ा वर्ग इस प्रकार की हिंसा से विशेष प्रभावित है।

कामकाजी महिला से परिवार की आर्थिक दशा, सुरक्षा, बच्चों को सुशिक्षा, तनाव मुक्ति, समय का सदुपयोग, रोगोपचार की सुविधा बनी रहती है। अत: आवश्यक है कि महिलाओं के लिए निम्नलिखित सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ:

- महिला साक्षरता की व्यवस्था करना
- रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराना
- औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना
- कार्यक्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना
- कौशल विकास कार्यक्रमों के आयोजन को बढ़ावा देना
- महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना
- सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देना
- प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कामगार गर्भवती महिलाओं को मजदूरी के नुकसान की भरपाई एवं उनके पोषण को सुनिश्चित करना

भारत में स्वतंत्रता-प्राप्ति के पश्चात महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है तथा उनमें पुरुषों के समकक्ष आगे बढ़ने की चेतना उत्पन्न हुई है। यह बड़े गर्व की बात है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बालिका दिवस के अवसर पर 19 वर्षीय श्रेष्ठी गोस्वामी को एक दिन का मुख्यमंत्री बनाकर बेटियों को जो सम्मान और गरिमा प्रदान की है, वह अत्यंत सराहनीय कदम है।

हमारे समाज में नारी वह धुरी है, जिससे जीवन का पहिया अबाध रूप से आगे बढ़ता है। समाज में नारी और पुरुष दोनों ही अपनी सीमाओं में प्रतिबंधित हैं। स्त्री और पुरुष अपनी मर्यादा में रहते हुए एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो राष्ट्र और समाज का उत्थान अवश्य संभव है।

महिला सशक्तीकरण के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ, सुदृढ़ और श्रेष्ठ वातावरण की आवश्यकता है, जिसमें महिलाएँ परिवार, समाज और देश में अपना वर्चस्व स्थापित कर निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए राष्ट्र व समाज को गौरवान्वित कर सकेंगी। एक सशक्त महिला ही अपनी संतान के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के साथ ही देश के भविष्य का निर्माण करती है।

यह निर्विवाद सत्य है कि नारी सशक्तीकरण के अभाव में देश व समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। नारी वर्ग को सुदृढ़ बनाकर असामाजिक तत्वों का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। महिला और पुरुष के समन्वित सहयोग से ही समाज प्रगति पथ पर अग्रसर होगा। आज की नारी ने उच्च शिक्षा प्राप्ति के साथ ही रोजगारशील एवं आत्मनिर्भर बनकर सामाजिक चेतना में अपनी भागीदारी का निष्ठापूर्वक निर्वहण करने लगी है। वस्तुत: यदि महिलाएँ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, निर्णय क्षमता और उज्ज्वल चरित्र के साथ सादा जीवन और उच्च विचार के सूत्र को अंगीकार करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी तो निश्चय ही देश को एक सूत्र में बांधकर रख सकती हैं तथा देश व समाज को प्रगति पथ पर अग्रसर करने में सफलता अर्जित कर सकेंगी।

स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि 'स्त्रियों की अवस्था में सुधार न होने तक विश्व में कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। किसी पक्षी का एक पंख से उड़ना नितांत असंभव है। सदैव याद रहे, एक नारी सुयोग्य संतान द्वारा पूरे राष्ट्र का निर्माण करने का श्रेय प्राप्त कर सकती है।'

- पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी
पोस्ट - आगूँचा
जिला - भीलवाड़ा, राजस्थान
मोबाइल: +91 9413781610

नारी सशक्तीकरण के जीवंत आयाम: हिंदी कथा साहित्य के विशेष संदर्भ में

- डॉ एस कृष्णबाबु -

हिंदू संस्कृति के अनुसार नारी को शक्ति स्वरूपिणी माना गया है और अनादिकाल से भारत के वैदिक वाङ्मय में उसे इसी गरिमा से विभूषित किया गया। पौराणिक युग तक आते-आते उसकी उस अद्भुत क्षमता में प्रेम, ममता, मातृत्व, वात्सल्य, त्याग जैसी अद्वितीय संवेदनाओं को शामिल किया गया। शनै: शनै: भारतीय सांस्कृतिक चेतना में विकसित परंपराओं एवं रूढ़ियों के कारण उसकी उपर्युक्त क्षमताओं का शोषण प्रारंभ हुआ, जिसे नारी अपनी सहनशीलता के कारण स्वीकार करती आई। एक क्षण ऐसा आया, जब उसके इन अद्भुत गुणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि 'कार्येषु दासी, करणेषु मंत्री, भोज्येषु माता, शयनेषु रंभा, क्षमया धरित्री...।' उत्तर मध्य युग तक आते-आते नारी ने इन सभी गुणों को आत्मसात करती हुई अपने पुरुष, परिवार, समाज एवं राष्ट्र तक के लिए अपने संपूर्ण जीवन की बलि चढ़ा दी।

साहित्यिक समीक्षा के क्षेत्र में नारी विमर्श का जो दौर चला, उसमें नारी की इस चिंताजनक स्थिति के मूल में पुरुषों तथा सामाजिक व्यवस्था को ही जिम्मेदार ठहराया गया। शिक्षा, प्रशासन, व्यवसाय, राजनीति, अध्यात्म आदि समसामयिक सामाजिक व्यवस्था के विविध क्षेत्रों में नारी की ऊपर कथित हीनतापूर्ण स्थिति के प्रति विशेष सहानुभूति दर्शाई जाती है। ऐसा करते समय वैसी सहानुभूति व्यक्त करनेवाले व्यक्ति नारी की उस स्थिति के कारण बननेवाले विविध घटकों के प्रति जो आक्रोश व्यक्त करते हैं, वह निस्संदेह तर्कसंगत एवं न्यायपूर्ण माना जाता है। परंतु वे लोग इन विविध कारणों में एक विशेष कारण को कदाचित विस्मृत कर ही जाते हैं। उस मूल कारण को उजागर करने का एक लघु प्रयास प्रस्तुत आलेख का मुख्य आशय है।

यदि पूछा जाय कि वर्तमान नारी के विडंबनापूर्ण एवं तनावग्रस्त जीवन के मूल में कौन-सा ऐसा कारण है, जिस पर वर्तमान विचारकों, समीक्षकों अथवा बुद्धिजीवियों की दृष्टि नहीं पड़ी हो तो यह कहना अनुपयुक्त नहीं होगा कि नारी भी नारी को कई बार दु:ख देने में संकोच नहीं करती। कभी सास-ननद के रूप में तो माँ-बहन के रूप में, कभी माँ या बेटी के रूप में अथवा कभी सहपाठी या सहचरी के रूप में नारी ही कई बार नारी का अहित करती हुई दिखाई देती है। शिक्षा, व्यवसाय एवं प्रशासन के क्षेत्रों में प्रतियोगितात्मक माहौल के कारण कई बार नारी ही अन्य महिलाओं को जटिल समस्याओं में फँसा देने की दुखद चेष्टा करती है।

आधुनिक हिंदी कथा जगत में ऐसे कथाकार हैं, जिन्होंने अपनी कृतियों में ऐसी महिलाओं का प्रभावी चित्रण किया है, जिनके कारण पारिवारिक एवं सामाजिक क्षेत्र की अन्य नारियों को तरह-तरह के कष्ट झेलने पड़े हैं। आखिर नारी को दु:ख देने की प्रवृत्ति किसी नारी, पुरुष अथवा परिवार में क्यों विकसित होती है? उत्तर में कहा जा सकता है कि कभी स्वार्थ के कारण तो कभी मोह के कारण, कभी अपने अधिकार के छिन जाने के कारण तो कभी विवशता के कारण तो कभी अनुभवहीनता के कारण। परंतु समसामयिक कथाकारों ने ऐसी स्त्रियों के सम्मुख ऐसी ही महिलाओं के चित्र अथवा उन्हें अपने जीवन में प्राप्त कड़ुवे अनुभवों का वर्णन करके उन्हें यह शिक्षा देने का प्रभावी प्रयास किया है कि कम से कम ये महिलाएँ अपनी संगत में आनेवाली अन्य स्त्रियों के प्रति उपयुक्त व्यवहार करते हुए उन्हें सुख देने की चेष्टा करें।

सबसे पहले उपन्यास सम्राट माने जानेवाले कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद जी कृत 'निर्मला' उपन्यास को ही लिया जा सकता है। प्रस्तुत उपन्यास में 'निर्मला' की माँ अपने पति की अकाल मृत्यु के कारण निर्मला का विवाह तीन बच्चों वाले विधुर वकील मुंशी तोताराम से कर देती है। परंतु उनकी नई गृहस्थी में तोताराम की विधवा बहन रुक्मिणी की भूमिका अत्यंत दु:खप्रद होती है। वह हमेशा निर्मला की प्रवृत्ति को शंका की दृष्टि से देखती है। वह अंत तक उसे अपने भतीजों के लिए पिशाचिनी ही समझती रही। वह नई वधू निर्मला को आड़े हाथों लेने का, काँटों में घसीटने का, तानों से छेदने का, रुलाने का कोई अवसर जाने नहीं देती। उसके कारण निर्मला को जीवन भर अनेक तकलीफें झेलनी पड़ती हैं। निर्मला के अवसान काल में उसके प्रति रुक्मिणी अपने कटु व्यवहार पर पश्चात्तप्त होती है। परंतु 'तब पछताने से क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत'। प्रेमचंद के 'गबन' उपन्यास में भी नायिका जालपा आभूषणों के प्रति अपने भयानक मोह के कारण अपने गृहस्थ जीवन को अत्यंत जटिल एवं कष्टदायी बना लेती है।

प्रेमचंद के पश्चात जैनेंद्र कुमार आधुनिक हिंदी जगत के सुप्रसिद्ध मनोविश्लेषणात्मक कथाकार हैं। जैनेंद्र कुमार कृत 'त्यागपत्र' एक व्यक्तिवादी उपन्यास है और मृणाल इसकी नायिका है। प्रस्तुत

उपन्यास में मृणाल की भाभी एक नारी होते हुए भी मृणाल के जीवन को अस्तव्यस्त एवं ध्वस्त कर देती है। प्रमोद, मृणाल की भाभी का बेटा है, जो उससे बड़ा ही स्नेहपूर्वक व्यवहार करता रहता है। आए-दिन मृणाल शहर के बड़े स्कूल में पढ़ने जाने लगती है। वहाँ शीला नामक छात्रा से उसका परिचय बढ़ता है तो कभी-कभी वह शाम को उसके घर पर पढ़ने जाया करती है। वहाँ शीला के भाई के साथ उसका स्नेह बढ़ता है, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रमोद की माँ उसके साथ खूब मार-पीट करती है। अगले ही दिन से मृणाल की पढ़ाई बंद कर दी जाती है और कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी एक ऐसे आदमी से कर दी जाती है, जिसकी वह दूसरी शादी है। गर्भवती होकर जब मृणाल मायके आती है, तब मायके वालों को पता चलता है कि उसे अपने पति की मार-पीट भी सहनी पड़ती है। एक मृत शिशु को जन्म देने के पश्चात मृणाल के पति को उसके विवाह पूर्व प्रेम का पता चलता है और उसे घर से निकाल देता है। इसके उपरांत मृणाल का सारा जीवन अत्यंत दुखदायी घटनाओं से गुजरता है, जिन्हें पढ़ने से पाठकों की आँखों में आँसू भर आते हैं। वास्तव में मृणाल के इस दुखद अंत के मूल कारण पर विचार करें तो हमें स्पष्ट होगा कि एक नारी होकर उसकी भाभी ने ही उसके जीवन को बरबाद किया। यदि वह शीला के भाई के साथ मृणाल के प्रेम को सहृदयता से समझने का प्रयास करती और शीला के चरित्र के बारे में पता लगाकर उसके साथ मृणाल की शादी करने की चेष्टा करती तो मृणाल के सुखांत की संभावना स्वत: स्पष्ट है।

व्यक्तिवादी एवं अस्तित्ववादी चिंतन से अनुप्राणित वस्तुचेतना भरी कृतियों का सृजन करनेवाले कथाकार राजेंद्र यादव के पहले उपन्यास 'सारा आकाश' का एक प्रसंग इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय है। प्रस्तुत उपन्यास का नायक समर एक मध्यवर्गीय बेरोजगार युवक है। उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ प्रभा नामक एक दसवीं पास लड़की से की जाती है। सुहाग रात के दिन उनके घर के सामने वाले घर की बुट अपने ऊपर मिट्टी का तेल उँडेलकर जल जाती है। इससे भयभीत होकर प्रभा समर से बात नहीं करती तो वह नाराज हो जाता है। उसकी इस नाराजगी को उसकी भाभी और भड़काती रहती है, जिससे समर और प्रभा के बीच की दूरी बढ़ती ही जाती है। कुछ दिन पश्चात समर की भाभी को बच्चा होता है और उसके नामकरण संस्कार के अवसर पर एक अनहोनी हो जाती है। पंडित जी ने जिस मिट्टी के ढेले को गणेश जी बनाकर पूजा की थी, उस मिट्टी के ढेले से प्रभा बर्तन माँज देती है। इस घटना को लेकर घर में काफी देर तक हल्ला मच जाता है। माता और भाभी की बातें सुनकर और उनके आँसू देखकर समर एकदम नाराज हो जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगाकर प्रभा को जोर से थप्पड़ मारता है। द्रष्टव्य है कि समर के परिवार की अन्य महिलाएँ प्रभा पर तरह-तरह के अत्याचार करते जाते हैं, जिन्हें असहाय होकर उसे सहना ही पड़ता है।

समसामयिक समाज में ऐसे कई माँ-बाप देखने को मिलते हैं, जो अपनी बेटी की आमदनी पर आश्रित होकर उसकी शादी तक को टालने के तरह-तरह के बहाने ढूँढ़ते रहते हैं। वस्तुत: इस प्रकार की विचारधारा का आविर्भाव कदाचित पुरुष होने के कारण पिता के मन-मस्तिष्क में हो सकता है। परंतु एक नारी होते हुए अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही कोख से जन्मी एक दूसरी नारी के जीवन को उजाड़ने की चेष्टा करनेवाली माता का व्यक्तित्व क्या कभी क्षंतव्य हो सकता है? उषा प्रियंवदा कृत 'पचपन खंभे लाल दीवारें' नामक उपन्यास की नायिका सुषमा आज के बदलते परिवेश में पारिवारिक उत्तरदायित्वों का सफल निर्वाह करती देखी जाती है। शिक्षित एवं आत्मनिर्भर नारी का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसे घर-परिवार का सारा आर्थिक बोझ अपने कंधों पर उठाना पड़ता है। परंतु जब उसके विवाह की बात आती है तो उसके परिवार के अन्य सदस्य उसके मार्ग में अवरोधक बन जाते हैं। प्रस्तुत उपन्यास में पैंतीस वर्षीय सुषमा एक महिला विद्यालय में व्याख्याता एवं छात्रावास की वार्डन भी है। पक्षाघात से पीड़ित पिता और अपने सगे भाई-बहनों का दायित्व सिर्फ सुषमा को ही निभाना पड़ता है।

भारतीय समाज में लड़की के विवाह की जिम्मेदारी सबसे बड़ी एवं जटिल समस्या मानी जाती है। सुषमा की मौसी कृष्णा द्वारा सुषमा की शादी के बारे में पूछे जाने पर उसकी माँ कितनी सफाई से हाथ झाड़ लेती है, 'तुम जानो कृष्णा! सुषमा की शादी तो अब हमारे वश की बात नहीं रही। इतना पढ़-लिख गई, अच्छी नौकरी है और अब तो क्या कहने हैं? हॉस्टल की वार्डन भी बननेवाली है। बंगला और चपरासी अलग से मिलेंगे। बताओ, इसके जोड़ का लड़का मिलना तो मुश्किल ही है।' यहाँ पर लेखिका ने एक मध्यवर्गीय बुजुर्ग नारी की मानसिकता को बखूबी चित्रित किया है। कामकाजी युवती की एक समस्या यह भी है कि कमानेवाली बेटी का विवाह कई बार उसके माता-पिता ही नहीं करना चाहते। ऐसी अवस्था में पिता जो भी कहें, एक नारी होने के नाते माता को अपनी पुत्री के लिए उपयुक्त वर ढूँढ़कर विवाह करने की कम से कम चेष्टा करनी चाहिए।

सुरेंद्र वर्मा कृत 'मुझे चाँद चाहिए' उपन्यास की नायिका वर्षा वशिष्ठ के आदर्श चरित्र के कुछ महत्वपूर्ण संस्कारों का उल्लेख प्रस्तुत संदर्भ में अत्यंत उपयुक्त होगा। इतना मात्र कहा जा सकता है यदि कोई नारी परंपरा और आधुनिकता के बीच वाले सनातन द्वंद्व के सम्मुख दुविधाग्रस्त होकर खड़ा रहे और इनमें से किसका चयन किया जाय, इस पर निर्णय लेने के लिए छटपटाए तो वर्षा वशिष्ठ के व्यक्तित्व से उसे अवश्य यह शिक्षा प्राप्त होगी कि इन

दोनों को ही समान महत्व देते हुए वह अपने जीवन पथ पर अग्रसर होकर सफलता प्राप्त कर सकती है।

प्रस्तुत उपन्यास के अंतर्गत वर्षा वशिष्ठ के जीवनवृत्त का व्यापक परिचय प्राप्त करने के पश्चात किसी भी पाठक को यह तथ्य पूर्णरूपेण अवगत हो जाएगा कि उसने शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के साथ अपने व्यक्तित्व में आधुनिकता और समसामयिकता के अनेकानेक संस्कारों को आत्मसात कर लिया था। फिर भी जब हमें पता चलता है कि वह अपने दद्दा के प्रति उनके विरोध के बावजूद आदर, श्रद्धा और गौरव के भाव प्रकट करती रहती है तो अत्यंत आश्चर्य हो जाता है।

ऐश्वर्य और कला के क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर पर पहुँचने के पश्चात भी जब उसे सूचना मिलती है कि उसके दद्दा उसके यहाँ थोड़े दिन रहने आ रहे हैं तो वह अपने घर के सभी सदस्यों को ऐसे निर्देश देती है, जिन्हें पढ़कर कोई भी पाठक चकित रह जाता है। यथा - 'झल्ली, यहाँ से पांडेय जी को फोन करो। कहना, थोड़े-से गंगाजल का प्रबंध कर दें। फिर दद्दा के सामने अपनी पापी रसोई शुद्ध कर लो। थोड़े-से बर्तन दद्दा के लिए अलग निकाल लो। उनका खाना दोनों जून तुम और हेमलता बनाना। सुबह-शाम जब मुझे समय मिलेगा तो मैं हाथ बटाऊँगी। यह काम हेमलता पर मत छोड़ना। अपनी दुलारी भाभी को कहीं बुरा न लग जाय। दद्दा के लिए सब्जी और दाल-चावल धोने का काम भी झुमकी से मत करवाना। मैं रात को जब लौटूँगी, तो झुमकी को मना लूँगी। हाँ, फ्रिज से अंडे और डीप फ्रीजर से मटन-चिकन निकालकर चौकीदारों को दे दो। हम लोग भी अब प्याज-लहसुन नहीं खायेंगे। दद्दा को महक आ जाती है।'

उपर्युक्त के अनंतर सुशीला टाक भौरे कृत 'वह लड़की' नामक उपन्यास के कुछ नारी पात्रों तथा उनकी मानसिकता का उल्लेख किया जा सकता है। प्रस्तुत उपन्यास की नायिका शैला एक समाज सेविका है। नौकरीशुदा यह महिला अपने पारिवारिक दायित्व बड़ी निष्ठा के साथ निभाते हुए नारी मुक्ति आंदोलन संबंधी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेती रहती है। नागपुर के अपने ससुराल में रहनेवाली शैला के बचपन की एक सहेली नमिता भी नागपुर में ही अपने पति और परिवार के साथ रहती है। उसका पति नवीन बड़ा ही लालची, धूर्त एवं अत्याचारी होने के कारण नमिता को तरह-तरह की प्रताड़नाएँ देता रहता है। उसकी धृष्टता में नमिता की सास और ननद भी उसका साथ देती हैं। नमिता अपनी सास एवं ननद के कुटिल व्यवहार और छल प्रपंच से तंग आ गई है। वे लोग अपने बेटे को नये-नये पैंतरे सिखाकर नमिता को दबाकर रखने के लिए प्रेरित करती रहती हैं।

इसी उपन्यास की एक और पात्र ममता की भी लगभग यही हालत है। ममता तो शैला की मुँहबोली बहन है। उसका दायरा तो मात्र अपने ससुराल तक सीमित है। वह अपनी सास कमला के आदेश के विना साँस भी नहीं ले सकती। उसका पति राजेश तो अपनी माँ के हाथ का खिलौना जैसा है। उन लोगों के कारण ममता को किसी से मिलने या बातें करने की इजाजत नहीं। यहाँ तक कि शैला से भी। उसके साथ हर बार बहाने बनाकर शैला को ममता से मिले विना ही वापस भेज देती है। ममता को जब बेटी पैदा होती है तो ससुराल वाले कहते हैं कि उसे एक बेटा हो। उनके इसी दवाव के कारण एक-एक करके ममता की चार बेटियाँ हो जाती हैं। चौथी बेटी के प्रसवकाल में ममता का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है तो उसका फैमिली प्लॉनिंग ऑपरेशन किया जाता है। अब ममता की सास कमला को डर होने लगता है कि यदि ममता को कुछ हो जाता तो केवल अपने बेटे की आमदनी से चार-चार लड़कियों का पालन-पोषण कैसे संभव होगा? उसे अपनी बहू की हालत पर किसी प्रकार की दया नहीं आती। वह अपना रवैय्या बदल कर शैला की सहायता से ममता को नौकरी करने के लिए बाध्य कर देती है। स्पष्ट है कि भारतीय परिवारों में ज्यादातर सास-ननदें यह भूल जाती हैं कि उनके घर में आई हुई बहुएँ भी उन्हीं की भाँति नारी ही हैं।

सुषमा बेदी कृत 'चिड़िया और चील' नामक कहानी संग्रह की 'भटकन' कहानी की वीणा के आत्मोद्गार इस संदर्भ में विशेष उल्लेखनीय हैं। यह कहानी भारतीय व्यवस्थित परिवार एवं पाश्चात्य मुक्त जीवन प्रवृत्ति के तुलनात्मक चिंतन पर आधारित है। वीणा और बेबी दो बहनें हैं। वीणा के पति पाँच साल के एसाइनमेंट पर हालैंड की राजधानी हेग आते हैं। आखिरी साल में वीणा की बहन बेबी उनके रहते ही यूरोप देखने की जिद करती है। वीणा की सहायता से वह हालैंड तो आ जाती है। परंतु वहाँ आकर पूरी तरह बदल जाती है। वह केवल तीन महीने के लिए आती है और नौकरी के बहाने नये-नये देश घूमना, नये-नये लोगों से मिलना, होटलों में रहना, न कोई रोकटोक, न कोई बंधन। वीणा के बहुत कहने पर भी वह व्यवस्थित पारिवारिक जीवन व्यतीत करना नहीं चाहती और अपने इच्छानुसार स्वतंत्र रहती हुई मुक्त जीवन व्यतीत करना चाहती है। वीणा पहले यह अनुभव करती है कि बेबी का यह दृष्टिकोण भटकन है। परंतु कहानी के अंत तक आते-आते उसे संदेह हो जाता है कि आखिर उसका बंधा हुआ पारिवारिक जीवन भटकन है या भौतिक सुख को महत्व देनेवाला बेबी का मुक्त जीवन। वह स्मरण करती है कि उसे अपने व्यवस्थित, अर्थात एक तरह से बंधे हुए पारिवारिक जीवन में कितना बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा! कितना सहा है उसने। जब वह करनाल में थी तो चुपचाप अपना घर-परिवार संभालती थी। सास की या बड़ी भाभी की कोई भी बात अच्छी लगे या न लगे तो भी पी जाती थी। तात्पर्य यह है कि कई बार नारी को अपनी मानी

जानेवाली अन्य स्त्रियों से ही कटु आलोचनाएँ एवं असह्य पीड़ाएँ सहनी पड़ती हैं, जिनसे मुक्ति की चेष्टा नारी सशक्तीकरण के लिए अनिवार्य मानी जा सकती है।

डॉ सुधा ओम ढींगरा कृत 'टारनेडो' कहानी की जेनिफर एक माँ होते हुए भी अपनी खुद की बेटी क्रिस्टी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाती, जिसका क्रिस्टी के सोलहवें वर्षगांठ पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में स्वयं स्वीकार करती है। यह तो एक अलग बात है कि क्रिस्टी को वंदना जैसी अच्छे संस्कार वाली महिला की छत्रछाया प्राप्त हुई। अन्यथा उसको भी जेनीफर की ही भाँति अपना जीवन बरबाद कर लेना पड़ता।

अंतत: इतना कहा जा सकता है कि शोषण की वजह से नारी जीवन में जो अस्तव्यस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनके मूल में अन्य विविध कारणों के साथ-साथ कई बार नारी भी होती है, जो एक अत्यंत दुखदायी विषय है। वर्तमान युग के विद्यालयों की कई अध्यापिकाओं के मध्य ईर्ष्या-द्वेष की भावना, महिला महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की प्राचार्याओं के बीच अपार वैमनस्य तथा प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों में प्रतियोगितात्मक वैरुध्य आदि की मात्रा सारी मर्यादाएँ पार करती जा रही हैं, जिन्हें दूर किये बिना नारी का सशक्तीकरण तथा उसके व्यक्तित्व को सम्मानजनक बनाने की प्रक्रिया कभी भी सफल नहीं हो सकती। कथा साहित्य का माध्यम नारी मात्र के लिए यह कार्य अत्यंत प्रभावी ढंग से करता आया है और निस्संदेह आगे भी करता रहेगा। समीक्षकों, बुद्धिजीवियों और ऐसे साहित्यिक विषयों पर संपन्न होनेवाली संगोष्ठियों के आयोजकों का यह कर्तव्य होगा कि वे ऐसे साहित्य का प्रचलन करें तथा नारी जाति को यह समझाने की चेष्टा करें कि वे अपने जीवन में आनेवाली स्त्रियों के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके जीवन को सुखमय बनाने का समग्र प्रयास करें।

- अध्यक्ष, वाजा ए पी
श्री वेंकट सौशील्यम, फ्लैट नं.201
लॉसंस वे कॉलोनी
विशाखपट्टणम-530017
मोबाइल: +91 8885990777

बेटी

- श्री महेश केसरी -

वंदना ने विनीत की बातों का जोरदार विरोध करते हुए कहा, 'नहीं, अब की मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाली। तुम्हारी किसी वहकावे में मैं अब नहीं आने वाली हूँ। मैं किसी भी हाल में इस बच्ची को नहीं गिराऊँगी...।' वंदना अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोली।

'लेकिन, मैं भी अब लड़की नहीं चाहता!!' विनीत का स्वर भी अपेक्षाकृत ऊँचा होता चला गया। 'इन सात सालों में मैं दो बच्चियों का बाप पहले ही बन चुका हूँ। मुझे अब बेटा चाहिए, बेटा... और कुछ नहीं...! तुम्हारे कहने पर ही मैंने दो बार बच्चे का लिंग जाँच नहीं करवाया, नहीं तो...!' बाकी के शब्द जैसे विनीत के गले में ही घुटकर रह गये थे।

'अरे बेटा-बेटी कोई अपने हाथ की चीज तो नहीं है न कि अपने मन से कोई बना ले। यह तो कुदरत की बनाई हुई चीज है...!' वह आगे कुछ बोल न सकी।

पता नहीं, कब से विनीत का दोस्त विनोद आकर उन दोनों की बातें सुन रहा था। कमरे में एकदम चुप्पी तैरने लगी। माहौल को हल्का करने की गरज से विनीत विनोद से मुखातिब हुआ, 'अरे विनोद तुम कब आये...?'

'बस, अभी... अभी...' विनोद अन्यमनस्क सा बोला। फिर वह वंदना और विनोद से मुखातिब होते हुए बोला, 'अच्छा..., फिर कभी सही मौका देखकर आता हूँ।' विनीत इससे पहले कि कुछ कहता, विनोद तेजी से कमरे से बाहर निकल गया था।

आज जिंदगी में पहली बार विनीत को लगा कि वह बेलिबास हो गया है। सूट-बूट और टाई में भी वह अपने आप को नंगा महसूस कर रहा था। क्या-क्या सुना होगा विनोद ने...? अभी घंटे भर पहले ही वह एक सेमिनार से होकर लौटा था, जिसका विषय था 'भ्रूण हत्या निषेध और बेटियों को कैसे बचाया जाय।' उसके भाषण से समूचा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा था और उसका चेहरा दर्प से चमकने लगा था।

लेकिन अभी वह एयरकंडीशन कमरे में भी पसीने से नहा गया था... और कमरे में फिर एक बार चुप्पी के कतरे तैरने लगे थे।

- श्री बालाजी स्पोर्ट्स सेंटर
मेघदूत मार्केट फुसरो
बोकारो-829144, झारखंड
मोबाइल: +91 9031991875

लेख

भारत में महिला सशक्तीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- डॉ स्वर्ण अनिल -

महिला सशक्तीकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करते समय हमें भारत की सामूहिक चेतना पर भी विचार करना होगा, जो हमारे उस मनोवैज्ञानिक इतिहास को बनाती है, जिसकी जड़ें, जाने-अनजाने चिरंतन शक्ति के रूप में हम सब में प्रतिष्ठित रहती हैं। हमारी सामूहिक चिति अपने आदि पुरुष के रूप में स्वयंभू मनु और आदि नारी के रूप में शतरूपा को स्वीकारती आई है। आज का संचार क्रांति का युग, उपनिवेशवाद की जातिगत हीनता के प्रचारित षड्यंत्रों का सत्य जान चुका है। इसीलिए विश्व वेदों के वैज्ञानिक स्वरूप को स्वीकार रहा है। ज्ञान-विज्ञान की नई खोजों नें वेदों में वर्णित कई सत्यों को प्रमाणित किया है।

विस्तार में न जाकर मैं इतना ही कहूँगी कि ऋग्वेद के अनुसार आदि-सृष्टि अमैथुनी सृष्टि थी। प्रजापत्य कल्प के स्वयंभू मनु और शतरूपा ही मानव संतति के आदि-जनक और आदि-जननी कहलाते हैं। स्वयंभू मनु एवं शतरूपा ने सहस्त्रों वर्षो तक तपस्या की और फिर ईश्वर के निर्देश पर उस मैथुनी सृष्टि को जन्म दिया, जिसकी परंपरा में हम सब मानव कहलाए। अपने पुत्र-पुत्रियों को जन्म देने के बाद, उनको सामाजिक व राष्ट्रीय दायित्व वहन करने की कुशलता देने के बाद, वे दोनों पुन: तपस्या में तल्लीन हो गए। मनु और शतरूपा दोनों समान दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक योग्यताओं से परिपूर्ण, समान धरातल पर प्रतिष्ठित ऐसे युगल हैं, जिनको वेदज्ञान (ब्रम्ह) के ज्ञाता (ब्रम्हा) होने के कारण ठीक वैसे ही ब्रम्हा की साकार रचना माना गया, जैसे हम आज तक विवाह के समय वर-वधू को उमा-शंकर या सीता-राम मानते आ रहे हैं।

पश्चिम की अप्रामाणिक मान्यताओं में आदि पुरुष और आदि स्त्री आदम और ईव को माना जाता है। उनके संबंध में प्राप्त प्राचीनतम ग्रंथ 'बुक ऑफ जेनेसिस' के अनुसार आदम और ईव के अस्तित्व में आने की दो कथाएँ प्रचलित हैं, जिनमें एक के अनुसार ईश्वर ने सृष्टि रचना के छठे दिन अपनी छाया से आदम व ईव की रचना की। दूसरी कथा के अनुसार ईश्वर ने धूल से आदम का निर्माण किया और उसमें प्राणवायु का संचार किया। उसे सुंदर 'ईडन उद्यानी' में रहने का स्थान दिया। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए जीवों का निर्माण किया। ईश्वर ने आदम के लिए मानव साथी की जरूरत को समझा और उसकी पसली से ईव का निर्माण किया। ईडन में आदम और ईव निर्दोष स्थिति में, निश्छल आनंद में मग्न रहते थे। इसी उद्यान में एक वृक्ष था, जिसे अच्छे-बुरे के ज्ञान का वृक्ष कहा जाता है। उस पर लगे फल को खाने से ईश्वर ने आदम को स्पष्ट रूप से मना किया था। मान्यता के अनुसार एक सर्प ने पहले ईव को उकसाया और फिर ईव ने आदम को उस वृक्ष का वर्जित फल खाने के लिए उकसाया। आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर वह फल खा लिया। इससे उनकी निष्कपटता समाप्त हो गई। दंड स्वरूप ईश्वर ने ईडन के उस पवित्र उद्यान से उन दोनों को निष्कासित कर दिया।

पश्चिमी मान्यताओं में प्रथम नारी ईव को ही प्रथम पुरुष आदम को स्वर्ग (ईडन) से पतित करने का कारण माना गया है। प्राचीनतम यूनानी साहित्य में हेरा से लेकर अफरोडाइट तक सभी नारी चरित्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति हेतु नर को पथभ्रष्ट करने के लिए अपने सौंदर्य का प्रयोग करती हैं। यूनानी समाज में पिता द्वारा चुने गए पुरुष से विवाह, संतानोत्पत्ति और घर की चारदीवारी तक अपने को सीमित रखना महिलाओं का कर्त्तव्य था। एकाकी युवती का यूनानी समाज में सम्मानित स्थान नहीं था। यूनानी दार्शनिक, सिकंदर के गुरु अरस्तू, जिनके विचारों का पश्चिमी समाज के अधिकांश क्षेत्रों में गहरा प्रभाव रहा है, का कथन है कि 'मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि महिलाओं में अपने बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बुद्धि ही नहीं होती। पुरुषों के मुकाबले वे हर प्रकार से तुच्छ और विकृतियों से भरी हैं।' (पॉलिटिक्स 1254 बी)

पश्चिम के नारी विषयक प्राचीन मान्यताओं की व्याख्या भारतीय महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में इसलिए आवश्यक है कि कई लोगों में एक भ्रांति है कि महिलाओं का सशक्तीकरण पश्चिम की देन है। वास्तव में विदेशी आक्रांताओं के आने से पूर्व के भारतीय इतिहास में महिलाओं की स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमें संस्कृत की 'मह' धातु से बने शब्द 'महिला' पर विचार करना होगा, जिसमें वैदिक युग की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। तब देश में ऐसी सामाजिक व्यवस्था थी कि सम्मान, आदर, महत्ता, श्रद्धा और महत्वपूर्ण जैसे भाव महिलाओं से स्वत: ही जुड़े हुए थे।

भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति को दिव्य एवं श्रेष्ठ माना गया है। यही कारण है कि भारतीय आदि ग्रंथ ऋग्वेद 'आप: मातरम' से शुरु होता है। सरस्वती माता, गंगा माता, भारत माता, धरती माता जैसे शब्द यहीं प्रयोग में आते हैं। वैदिक काल से यहाँ देवी की उपासना हुई है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा में यदि हम केवल वैदिक काल के ऋग्वेद को ही देखें तो उसमें 26 ऋषिकाओं द्वारा रचित ऋचाएँ हैं।

वर्तमान युग में विभिन्न साक्ष्यों की प्राप्ति के बाद विज्ञान भी मानता है कि समाज के विकास में मातृसत्तात्मक समाज की

व्यवस्था आदिम है, पितृसत्तात्मक बाद की। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के श्लोक में कहा गया 'अदिति: द्यौ आदिति: अंतरिक्षं आदिति: माता स: पिता', अर्थात आदिति द्युलोक, अंतरिक्ष, माता-पिता-पुत्र और विश्वदेव है। अदिति पंचजन है। जो कुछ है, हो चुका है - वह सब अदिति ही है। विचार करें तो प्रकृति का, सृष्टि का एक अविच्छिन्न चिरंतन प्रवाह अदिति है।

वैदिक ऋषिकाओं में एक तेजस्वी व्यक्तित्व 'इंद्राणी' का है। वही इंद्राणी, जिनके कारण लोकप्रिय पर्व रक्षाबंधन का प्रारंभ हुआ। असुर पुलोमा की अद्वितीय सुंदरी और विदुषी पुत्री शची पौलौमी, जिनको देवराज इंद्र ने उनकी स्वीकृति के बाद पत्नी बनाया। इंद्र की पत्नी बनने के बाद शची इंद्राणी कहलाई। ऋग्वेद में इंद्राणी का स्थान प्रधान है। वे इंद्र को शक्ति प्रदान करने वाली और अनेक ऋचाओं की द्रष्टा ऋषिका हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल में वे घोषणा करती हैं -

'अहं केतुरहं मूर्धामुग्रा विवाचनी'।
ममेदनु क्रतपति सेहनाया उपाचरेत।।'

अर्थात मैं ही विजयिनी ध्वजा हूँ। तीव्र बुद्धिवाली व प्रत्येक विवेचना में समर्थ हूँ। मेरे पतिदेव सदैव मेरे कार्यो का अनुमोदन करते हैं।

ऋग्वेद के दशम मंडल के 'इंद्राणी सूक्ति (159) में इंद्राणी का कुशल सेनानी रूप द्रष्टव्य है। 'शची' वैदिक नारी की स्थिति व सम्मान का यथार्थ दर्शन कराती है। वे कहती हैं, 'प्राचीन काल से ही नारी यज्ञों और महोत्सवों में भाग लेती रही हैं। यहाँ जिस प्राचीन काल की बात इंद्राणी कर रही हैं, वह वेदों के रचना काल से भी बहुत पुराना रहा होगा।

ऋग्वेद 10। 85 में संपूर्ण मंत्रों की ऋषिका सूर्या सावित्री है। 47 मंत्रों वाला 'विवाह सूक्त', जिनका वाचन हम भारतीय यथावत् विवाह के पावन मंत्रों के रूप में युगों की लंबी कालावधि को लांघ कर आज भी करते हैं। यह सत्य है कि सूर्या सावित्री द्वारा नियत विवाह मर्यादा का प्रसार, इस संस्कृति के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित करता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में युद्ध में विश्पला के पैर टूटने व अश्विनी देवों द्वारा उसके कृत्रिम पैर लगाने, योद्धा मुद्गलानी के रथारूढ़ हो कर शत्रु विजय करने, जैसी कई वीरांगनाओं का वर्णन है।

वेदों के दसवें मंडल में व्यसनी पतियों को छोड़ने एवं जुआरी पति को त्याग देने की चर्चा है। जैसे -

'द्वेष्टि श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विन्दते मर्डितारम्।
अश्वस्येव जरतो वस्न्यस्य नाहं विन्दामि कितवस्य भोगम्।।'

- ऋग्वेद 10 मंडल/34 सूक्त/3 मंत्र - ऋषि: कवष ऐलूष

जुआ खेलने वाले से उसकी सास द्वेष करती है। उसका आदर नहीं करती है (जाया-अपरुणद्धि) पत्नी उसे नहीं चाहती और उससे पृथक हो जाती है। कोई सुख देनेवाला उसे नहीं मिलता। वह उचित भोगों से वंचित रहता है।

वैदिक युग में स्त्रियाँ यज्ञोपवीत धारण कर, वेदों का अध्ययन एवं होम आदि करती थीं। अशिक्षित पत्नी यज्ञादि करने में समर्थ नहीं हो सकती, इसलिए कन्याओं के लिए शिक्षा अपरिहार्य एवं महत्वपूर्ण मानी जाती थी। स्त्रियों को लौकिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार की शिक्षाएँ दी जाती थीं। सहशिक्षा को बुरा नहीं समझा जाता था। वैदिक काल में शिक्षा ग्रहण करने वाली दो प्रकार की कन्याएँ होती थीं - ब्रह्मवादिनी एवं सद्योवात। सद्योवात, विवाह होने तक अध्ययन करती थीं। इन्हें प्रार्थना एवं यज्ञों के लिए आवश्यक वैदिक मंत्र पढ़ाए जाते थे। रुचि के अनुसार संगीत-नृत्य आदि कलाओं की भी शिक्षा दी जाती थी। ब्रह्मवादिनी को यज्ञकार्य, वेदों एवं भाष्यों के अध्ययन के अधिकार प्राप्त थे।

घोषा ने सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया है कि 'मैं राजकन्या घोषा, सर्वत्र वेद की घोषणा करनेवाली, वेद का संदेश पहुँचानेवाली स्तुति पाठिका हूँ।' इनमें से कुछ ऋषिकाओं ने तो आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त की थी। ऋग्वेद, जो विश्व का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है, उसके मंत्रों में 70 ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का नामोल्लेख है।

वैदिक काल की स्त्री स्वाधीन है। पुरुषों के समान अधिकार रखने वाली स्वाभिमानी है। मंत्र द्रष्टा ऋषिका है। युद्ध में वीरांगना है। वैद्य है, शल्यक्रिया से शिशुजन्म वैज्ञानिक है। यज्ञ कार्य एवं गृहस्थी का काम सब साथ-साथ करते हैं। ऋग्वेद के आठवें मंडल के मंत्र हमें स्वस्थ, समरसतापूर्ण समाज का दर्शन करवाते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल में कहा गया है कि जो स्त्रियाँ समस्त वेदों का सांगोपांग मनन कर पढ़ती हैं, वे सब मनुष्यों की उन्नति का कारण बनती हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल से ही महिलाएँ प्रकृति की अदम्य शक्ति, ब्रह्मवादिनी होने, सत्यशोधक और सूक्तों की प्रवक्ता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। ये सब वैदिक समाज में भारतीय नारी की सामाजिक स्थितियों का दिग्दर्शन करवाती हैं।

वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण-उपनिषद काल की बात करें तो वैवस्वत मनु की पुत्री इड़ा का वर्णन करते हुए उसे यज्ञानुकाशिनी बताया है (तैत्तिरीय ब्रा.1)। इड़ा पिता से कहती है -

'साऽब्रवीदिडा मनुम्। तथा वा अहं तवाग्निमाधास्यामि।
यथा प्र प्रजया पशुभिर्मिथुनैर्जनिष्यसे। प्रत्यस्मिल्लोके स्थास्यसि।
अभि सुवर्गं लोकं जेष्यसीति।'

अर्थात मैं अग्नि का ऐसा आधान करूँगी, जिससे तुम्हें पशु, भोग, प्रतिष्ठा और स्वर्ग प्राप्त हो।

ब्रह्मज्ञान पर संगोष्ठियों की परंपरा वाले उस युग में गार्गी वाचक्नवी जनक की ब्राह्मण सभा में सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ करती हैं। गृहस्थ पत्नी के रूप में मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य जी की पत्नी को सामने रखती हूँ तो देखती हूँ कि पति-पत्नी में दार्शनिक संवादों के साथ दैनिक चर्या का पालन करते हुए जब याज्ञवल्क्य वन गमन करना चाहते हैं तो सभी सांसारिक वैभवों के संबंध में प्रश्न कर, मरण धर्मा जीवन के अनुभव से अमृत तत्व को पाने के संवाद (बृहदारण्यकोपनिषद-2, 4) के बाद मैत्रेयी भी पति के साथ वन चली गई थी। पुराणों की सती अनसूया का ब्रह्मतेज; महारानी मदालसा, जिनकी लोरी की शक्ति, तीन पुत्रों को संन्यासी और चौथे पुत्र अलर्क को राजा के कर्तव्यबोध से परिचित करवा श्रेष्ठ सम्राट बनाती है। 'यत्र नार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता' का उद्घोष करता युग, नारी के जीवन की ऐसी बृहद्‌गाथा है, जिससे हर पीढ़ी ने हर बार नई जीवन-दृष्टि पाई है।

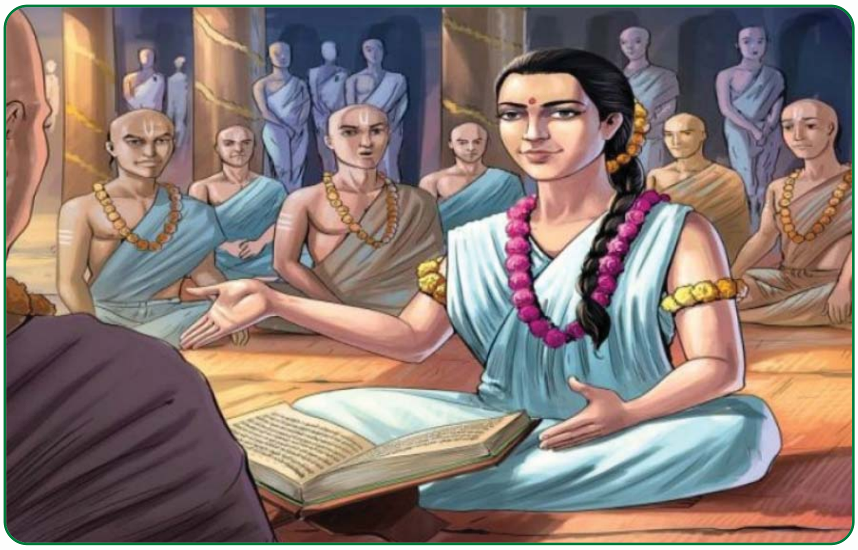

त्रेता युग के अपने युगानुरूप बदलते परिवेश में कैकेयी युद्धभूमि में अपने पति की रक्षा अपने युद्धकौशल से करती है। शिवधनुष को उठाने वाली सीताजी का व्यक्तित्व तो नारी शक्ति व क्षमताओं के कई प्रतिमान स्थापित करता है। कौशल्या, सुमित्रा, अहिल्या, मंदोदरी, ऊर्मिला, मांडवी, श्रुतिकीर्ति, शबरी और द्वापर युग की गंगा, सत्यवती, कुंती, गांधारी, रुक्मिणी, द्रौपदी, सुभद्रा, हिडिंबा, चित्रांगदा, उलूपी, मौरवी जैसी शास्त्र और शस्त्र में निपुण नारी चरित्रों की विरासत समेटी हुई है।

शुक्लयजुर्वेद की मंगलकामना 'पुरंधिर्योषा:', अर्थात हमारे देश की महिलाएँ देश का दायित्व उठाने वाली रहें - भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का उद्घोष है। भगवान ऋषभदेव, जिन्हें प्रथम जैन तीर्थंकर माना जाता है, महापुराण के अंतर्गत आदिपुराण में यह वर्णन आता है कि ऋषभदेव की दोनों पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी ने समस्त विद्याओं में पारंगत होकर सरस्वती की साक्षात प्रतिमा को जीवंत कर दिया था। वे अर्यका बन आर्याओं अर्थात श्रेष्ठ नारियों की गणस्वामिनी बनीं।

बौद्ध कालीन थेरी गाथाओं (दीक्षा प्राप्त भिक्षुणियों की गाथा) की चर्चा करें तो **73** भिक्षुणियों की **522** गाथाओं में, देश में भ्रमण करती, धर्म और दर्शन के विषय में विद्वानों से शास्त्रार्थ करती विदूषियों के अनुभव हैं। धर्म के अनुसरण के विषय में भी महिलाएँ पुरुषों से स्वतंत्र थीं। उस समय के समाज में महिलाओं के प्रति दुष्ट प्रवृत्तियों वाले तत्व भी विद्यमान थे, जिनसे भिक्षुणियों को भी सावधान रहना पड़ता था। थेरियों के उदानों में उस समय की महिलाओं की सामाजिक अवस्था का जो चित्र मिलता है, इसमें मुख्यत: महिलाओं की शिक्षा स्वतंत्रता, आर्थिक स्वावलंबन दिखाई देता है।

मौर्यकाल में स्त्रियों का स्थान संतोषजनक था। उन्हें समाज में स्वतंत्रता प्राप्त थी। स्त्रियों को पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी। स्त्रियाँ प्राय: घर के उत्तरदायित्व संभालती थीं। कौटिल्य ने 'अर्थशास्त्र' में स्त्रियों को 'अनिष्कासिनी' कहा है, अर्थात जिनको किसी भी कारण से राज्य से बाहर नहीं निकाला जाएगा। मौर्यकाल में स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने वाली विधवाओं को छंदवासिनी तथा धनी विधवा को आढय कहा जाता था। मौर्यकाल में स्त्रियाँ गुप्तचर का कार्य भी करती थीं। निपुण व शस्त्र ज्ञानी स्त्रियाँ सम्राट की अंगरक्षिका का कार्य करती थीं। अर्थशास्त्र में ऐसी स्त्रियों के लिए असूर्यपश्या, अवरोधन तथा अंत:पुर शब्दों का प्रयोग किया गया है। मौर्यकाल में स्त्रियों को शास्त्रों व शस्त्र दोनों की शिक्षा का पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

गुप्तकालीन समाज का वर्णन करते चीनी यात्री फाह्यान एवं ह्वेनसांग के अनुसार इस समय महिलाओं में पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं थी। यदि किसी स्त्री का अपहरण कर लिया जाता तो पुन: सामाजिक सम्मान के लिए उन्हें प्रायश्चित्त-अनुष्ठान के बाद पति एवं परिवार द्वारा स्वीकार कर लिया जाता था। 'विधवा विवाह' समाज में स्वीकृत था। पति द्वारा परित्यक्त या विधवा स्त्री, अपनी इच्छा से दूसरा विवाह करे तो उसे 'ऐपुनर्भू' तथा उसकी संतान को 'पनौर्भव' कहा जाता था।

गुप्त काल में कात्यायन ने स्त्री को अचल संपत्ति की स्वामिनी माना। इस युग में पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। संतान विहीन पति की मृत्यु के उपरांत विधवा पत्नी उसकी संपत्ति की उत्तराधिकारी होती

थी। स्त्रियों के स्त्रीधन पर प्रथम अधिकार उसकी पुत्रियों का होता था। इस समय की स्त्रियों के विदूषी और कलाकार होने का उल्लेख है।

वास्तव में भारतीय इतिहास के मध्य काल में भारत भूमि पर विदेशी आक्रमणकारियों के प्रभाव के कारण स्थितियों ने ऐसी करवट ली कि महिलाओं का अपनी प्राचीन गौरवशाली अस्मिता से संबंध कट सा गया। सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत स्तरों पर उनका निरंतर ह्रास हुआ। भारत में सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और विधवा विवाह पर रोक, देवदासियों का शारीरिक शोषण आदि सामाजिक जीवन के अभिन्न अंग बन गए। असहिष्णु होती स्थितियों के बीच भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में अपने कीर्तिमान स्थापित कर अपनी चिरंतन अस्मिता को जीवंत रखा।

बारहवीं शती की कर्नाटक की संत अक्का महादेवी, सन् 1320 के लगभग कश्मीर की लोकप्रिय संत कवयित्री ललद्यद, 16वीं शताब्दी की राजस्थान की संत कवयित्री मीराबाई, महाराष्ट्र की जनाबाई और गुजरात की संत लोयण आदि अनेक संत महिलाओं के प्रभाव ने इस युग में अपनी अलग पहचान बनाई थी। 15वीं शताब्दी में सिक्खों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया।

भारत के मध्यकाल के राजनैतिक इतिहास के पृष्ठों में वीर शिवाजी की माता जीजाबाई, गढ़ मंडला की रानी दुर्गावती, चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी, मेवाड़ की रानी कर्णावती, ओरछा की रानी सारंधा, अहमदनगर की चांद बीबी, पन्ना धाय, रजिया सुल्तान, नूरजहाँ, जहाँआरा आदि प्रशासनिक सूझबूझ, बुद्धिमत्ता व वीरता के ज्वलंत प्रतीक हैं। भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम की नारी-शक्ति के साहस व शौर्य के सम्मुख आततायी विदेशी सत्ता भी अचंभित थी। महारानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, हजरत महल, ऊदा देवी, अजीजन बाई, अवंतिबाई, रानी गाइंदिल्यू आदि अनेक शौर्य प्रतिमाएँ हैं, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपनी अदम्य शक्ति व साहस की घोषणा करती हैं।

परवर्ती युग में अंधकार में धकेली गई नारी के आदि स्वरूप को पुन: प्रतिष्ठित करने की दिशा में स्वतंत्रता आंदोलन के समय समाज में प्रयास हुए। सन् 1828 से राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों, ब्रह्म समाज, आर्य समाज जैसी संस्थाओं ने सती प्रथा के विरुद्ध अधिनियम, बाल विवाह निषेध, स्त्रीशिक्षा एवं विधवा विवाह पर बल दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने केवल भागीदारी नहीं, नेतृत्व भी प्रदान किया। कस्तूरबा गांधी, भीकाजी कामा, सावित्रीबाई फुले, अरुणा आसफअली, सरोजिनी नायुडु, कैप्टन लक्ष्मी सहगल, राजकुमारी अमृत कौर, विजय लक्ष्मी पंडित, रानी गाइंदिल्यू आदि के सहयोग से भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की।

हम सब जानते हैं स्वाधीन भारत के संविधान निर्माण की संविधान सभा में 15 महिलाओं की भागीदारी थी। संविधान के अधिनियमों के अंतर्गत महिलाओं को समानता के अनेक अधिकार प्रदान किए गए। 1980 के दशकों तक महिला सशक्तीकरण से जुड़े कई मुद्दों कन्या भ्रूण हत्या, महिला साक्षरता, कार्य क्षेत्रों में लिंगभेद की समाप्ति आदि पर महिला संगठनों ने मिलकर काम किया। 1975 की प्रथम विश्व महिला कांग्रेस के बर्लिन में हुए सम्मेलन में भारतीय महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई। अब तक महिला संगठनों के प्रयासों से महिला विषयक विधेयकों में भी राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर कई संशोधन हुए हैं।

2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया एवं महिलाओं की प्रगति, विकास व सशक्तीकरण को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय नीति लागू हुई। 1985 में स्थापित 'महिला एवं बाल विकास विभाग' को 30 जनवरी 2006 को मंत्रालय का दर्जा दिया गया है। उत्तरोत्तर विकास की ओर बढ़ते भारतवर्ष की प्रगति में पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती महिलाओं के पक्ष में कई नियम बनते रहे हैं।

मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण यह है कि अर्द्धनारीश्वर की परिकल्पना वाली भारतीय संस्कृति में महिला सशक्तीकरण का रूप पाश्चात्य महिला मुक्ति के वैश्विक परिदृश्य से भिन्न है। क्योंकि यहाँ की नारी का चिंतन पुरुष को प्रतिद्वंद्वी नहीं, वरन् समान सहभागी के रूप में देखता है। अपने अतीत से प्रेरणा लेकर समाज की सकारात्मक शक्तियों द्वारा इस दिशा में गंभीर प्रयास शुरु किए जा चुके हैं। आवश्यकता केवल इन प्रयासों को फलीभूत होते हुए देखने के लिए कर्मनिष्ठ होने की है!

मैं भारत की महिलाओं को मध्यकालीन परिवेश द्वारा खींची गई जीर्ण-शीर्ण पुराने बंधनों की लीक को मिटाते हुए वैसे ही देखती हूँ, जिसका वर्णन भारतीयता के अमर पुरोधा जयशंकर प्रसाद जी रचित 'कामायनी' के दर्शन सर्ग में श्रद्धा ने अपने उद्‌गार में प्रकट किया है -

'यह विष जो फैला महा विषम, निज कर्मोन्नति से करते सम।
सब मुक्त बनें, काटेंगे भ्रम, उनका रहस्य हो शुभ संयम।
गिर जाएगा जो है अलीक, चल कर मिटती है पड़ी लीक!'

- ब्लॉक 19/फ्लैट नं.992
लोदी कॉलोनी
नई दिल्ली-110003
मोबाइल: +91 9868987579

वैश्वीकरण, निजीकरण व उदारीकरण का महिलाओं पर प्रभाव

- श्रीमती ज्योति कुमारी रानी -

वस्तुत: उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण विश्व के सभी भागों में रहने वाले लोगों के मध्य आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को गति प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। भारत में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया अथवा खुली अर्थव्यवस्था लागू करने के कई कारण हैं। जिन्हें समझे बिना वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना कठिन है।

देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोवियत यूनियन की समाजवाद पर आधारित अर्थव्यवस्था को भारत के लिए बेहतर समझा तथा उसी तर्ज पर भारत में भी अर्थ-व्यवस्था के विकास के लिए प्रयास किए। लेकिन समय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था अक्षमता की शिकार होती चली गई। सरकारी क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की कार्यकुशलता में कोई खास वृद्धि नहीं हुई और उल्टे सरकारी कर्मचारी अक्षम एवं भ्रष्टाचार में लिप्त होने लगे। इस प्रकार अर्थव्यवस्था चरमारने लगी। **1991** अप्रैल में ऐसी स्थिति आ गई, जब भारत के पास कुछ ही दिनों की विदेशी मुद्रा बची गई थी। भारत विदेशी कर्ज तले डूबा जा रहा था। तब आर्थिक मामलों के जानकर एवं अर्थशास्त्री यह मानने लगे थे कि भारत में वित्तीय आपातकाल की स्थिति आने वाली है। ऐसे माहौल को देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री पी वी नरसिंहा राव ने अपने वित्तमंत्री डॉ मनमोहन सिंह के सुझाव पर इस उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रियाओं की ओर देश की अर्थव्यवस्था का रुख कराया।

इस प्रकार **24** जुलाई **1991** को उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीतियाँ भारत में लागू कर दी गई। देश के तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह की अगुवाई में भारत समाजवादी नीतियों से समझौता कर एक खुले बाजार वाली अर्थ-व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा। एक के बाद एक विदेशी कंपनियाँ भारत में निवेश करने लगीं। विदेशी मुद्रा का भंडार फिर से भरने लगा। भारत की विकास दर दहाई का आँकड़ा छूने लगी। संक्षेप में कहें तो वह सब भारत में होने लगा, जो विदेशों में होता था। बड़ी-बड़ी इमारतें बनने लगीं, दिन-रात की पारी में काम होने लगे, कुछ संस्थानों में महिलाओं एवं पुरुषों को बिना किसी भेदभाव व फर्क के रात की पारियों में भी काम करने के अवसर प्राप्त होने लगे। इस तरह लोगों को व्यापार व रोजगार के कई अवसर मिलने लगे।

हालाँकि विदेशी कार्यशैली के प्रभाव में आकर भारतीयों की कार्यशैली प्रभावित हुई और अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव तो पड़ा। साथ ही भारतीय जनमानस व रहन-सहन के सभी आयामों तथा भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक आयामों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। एक तरह से हर भारतीय पर इसका असर धीरे-धीरे पड़ने लगा। जिंदगी भाग-दौड़ वाली हो गई। भारत के नौजवानों, पेशेवरों आदि के लिए दुनिया की सीमाएँ खुलने लगीं और भारतीयों ने भी इसका खूब बढ़-चढ़कर लाभ उठाना शुरू किया।

लेकिन इस बदलाव से सबसे अधिक भारतीय महिलाओं का जीवन प्रभावित हुआ। एक ओर जहाँ कामकाजी महिलाओं की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हुई, वहीं दूसरी ओर उनके लिए सामाजिक व आर्थिक विकास व समानता के नए अवसर भी खुले, जिस पर विस्तार से आगे चर्चा की जाएगी।

जैसाकि आप जब सुबह के आठ-नौ बजे के आसपास अपने कार्यस्थल/ड्यूटी/काम पर जाते हैं, तो क्या आप अपने आसपास कामकाजी या नौकरीपेशा वाली महिलाओं को पाते हैं? आपका उत्तर जरूर 'हाँ' होगा, क्योंकि आज शहरों में तो महिलाएँ पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। अब स्त्री-पुरुष में प्राय: कोई भेदभाव नहीं रह गया है। लेकिन आज जैसी स्थिति **25-30** साल पहले नहीं थी। भारतीय महिलाओं को बस घरेलू कामकाज करने के लायक ही माना जाता था।

वैश्वीकरण के युग में अब बेटा-बेटी का अंतर कम हो रहा है। महिलाओं को समान अवसर मिलने लगे हैं। उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हालाँकि हर तथ्य के सकारात्मक एवं नकारात्मक दो पहलू होते हैं। इसलिए हमें इस उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण के दोनों पहलुओं पर विचार करना होगा।

सकारात्मक प्रभाव:

शायद आपने ध्यान दिया होगा कि अब प्राय: महिलाएँ अपने नाम से आगे श्रीमती या सुश्री अथवा कुमारी नहीं लिखतीं? आवेदन-पत्र भरते समय (विशेषत: निजी या बहुराष्ट्रीय कंपनियों में) महिला की वैवाहिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। महिलाएँ भी यही चाहती हैं कि उनकी वैवाहिक स्थिति का प्रभाव उनके कार्य पर न पड़े। इसलिए महिलाएँ अब अपने नाम से आगे 'Ms.' ही लिखती हैं। तर्क यह है कि जैसे पुरुष सिर्फ 'Mr.' लिखते हैं, वैसे ही महिलाएँ भी सिर्फ 'Ms.' ही लिखें। जैसे पुरुष की वैवाहिक स्थिति का पता नहीं चलता, वैसे ही महिलाओं को भी

कार्यस्थल पर वैवाहिक स्थिति के आधार पर वर्गीकृत न किया जाए। कहने में या जानकर भले ही यह बात कुछ असहज लगे, पर इस बदलाव से महिलाओं की सामाजिक स्थिति को बदलने में बड़ी मदद मिलती है। कई बार ऐसा पाया गया है कि साक्षात्कार मंडल शादीशुदा महिलाओं का चयन नहीं करता है। वे इस पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं कि शादीशुदा महिलाएँ कार्यालय की अपेक्षा पारिवारिक कार्यों को अधिक तवज्जो देती हैं, जबकि अनुसंधानों से स्पष्ट है कि महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा अधिक उत्पादक सिद्ध हो रही हैं।

जब महिलाएँ 'मिस्टर' और 'मिसेज/मिस' की लड़ाई पर भारी पड़ गई हैं, तब उनके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे ही। आज के दौर में महिलाएँ वे सभी काम करती हैं, जिसे पहले पुरुष के लिए ही संभव माना जाता था। आज जब महिलाएँ पुरुष की बराबरी कर रही हैं तो चाहे वह सेना हो या रात्रि पारी में काम करना, महिलाएँ सभी तरह के काम कर ले रही हैं। पूर्व में महिलाओं से यह अपेक्षित था कि वे शाम ढलने के बाद घर से बाहर ना निकलें और यदि किसी कारणवश बाहर निकलें भी तो किसी पुरुष के साथ ही निकलें। लेकिन आज स्थिति विपरीत है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उनकी सुरक्षा का इंतजाम करती हैं।

यह जानना अपेक्षित है कि भारत में महिलाएँ सेना में भी भर्ती हो रही हैं और वायु सेना के विमान भी उड़ा रहीं हैं। **1** जनवरी, **2021** से स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की अध्यक्ष भी एक महिला ही हैं। ये सभी उदाहरण ये स्पष्ट करते हैं कि वैश्वीकरण का महिलाओं के रोजगार पर काफी सकारात्मक असर पड़ा है।

रोजगार और आत्मनिर्भरता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ रोजगार के अवसर आते हैं, वहाँ आत्मनिर्भरता भी साथ आती है। **1991** से पूर्व जब निजी कंपनियाँ भारत में नहीं थीं, तब भारत में रोजगार के अवसर भी सीमित थे। पहले जो रोजगार के अवसर उपलब्ध थे, वे पुरुषों के लिए ही मिलते थे। तब महिलाएँ घर के कामों तक ही सीमित रह जाती थीं। उन्हें हर छोटी सी छोटी आवश्यकता के लिए पुरुषों पर आश्रित रहना पड़ता था। लेकिन बदले अवसरों ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बना दिया है।

रोजगार-आत्मनिर्भरता-सम्मान तीनों परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे-जैसे महिलाओं को रोजगार मिलता गया, आत्मनिर्भर होती गई और उन्हें सम्मान मिलना शुरु हुआ। जब वे रसोई तक सीमित थीं, तब उन्हें हीन भावना से देखा जाता था। लेकिन अब महिलाएँ घर-परिवार के निर्णयों में सक्षम भूमिका निभा रही हैं। आज महिलाएँ जब सुबह काम पर निकलती हैं, तो उसके परिवार वाले गर्व महसूस करते हैं। सास-ससुर गर्व से कहते हैं कि मेरी बहू किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती है। पिता का सिर गर्व से ऊँचा हो जाता है, जब वह किसी लड़के वाले के घर जाकर कहता है कि मेरी बेटी अफसर है और शादी तभी होगी, जब उसे शादी के बाद भी नौकरी करने देंगे।

यह सम्मानजनक बदलाव उदारीकरण की नीति का सफलतम उदाहरण है। रोजगार के चलते दहेज प्रथा पर लगाम भी लगा है। अब लड़की खुद अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की हिम्मत करती है। पहले लड़कियाँ अपने पिता को यह कह ही नहीं पाती थीं कि उन्हें वह लड़का पसंद भी है या नहीं, जिससे उसकी शादी की जा रही है।

महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार मिलने से भी उनका सम्मान बढ़ा है। इसी तरह पहले बेटा-बेटी फर्क बचपन से ही किया जाता था। लेकिन ज्यों-ज्यों समय बीतता गया और लड़कियाँ नए मुकाम हासिल करती गई, त्यों-त्यों माता-पिता को यह आभास होता चला गया कि उनकी बेटियाँ बेटों से कम नहीं हैं। यह सारा खेल संवैधानिक रूप से प्राप्त समानता के अधिकार का है। समानता के अधिकार के कारण लड़कियों को भी लड़कों जैसा ही शिक्षा के अवसर मिलने लगे और परिणाम भी वैसा ही हुआ जैसा अपेक्षित था।

नकारात्मक प्रभाव:

उदारीकरण, वैश्वीकरण एवं निजीकरण का सबसे नकारात्मक पहलू कार्यस्थल पर महिलाओं का शोषण है। महिलाएँ कार्यस्थल पर सुरक्षित तौर पर कार्य कर रही हैं या नहीं, इस पर ध्यान जल्दी नहीं जाता। महिलाएँ कई बार अपने सहकर्मी या मालिक/बॉस द्वारा किए जा रहे शोषण को उजागर नहीं कर पाती हैं। हमारी रूढ़िवादी सामाजिक मानसिकता के कारण इसमें उन्हें बदनामी की चिंता सताती है। क्योंकि आज भी अधिकांश लोग

शोषण की शिकार महिला को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते। ऐसे में महिलाओं की स्थिति अपने घर और सगे-संबंधियों में भी सम्मानजनक नहीं रह जाती। दूसरी ओर उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता का सहारा बनी नौकरी भी छूट जाने का डर उन्हें खासा परेशान करता है। इसलिए कभी-कभी उन्हें अत्याचार को चुपचाप सहना पड़ता है। इससे अपराधियों का हौसला बुलंद होता है और समाज में महिलाओं का शोषण बढ़ता है।

बदलते माहौल में महिलाएँ पुरुष के साथ कदम से कदम मिला कर तो चल रही हैं, लेकिन पुरुष मानसिकता से सबलता का बुखार अभी तक उतरा नहीं है। जब महिलाएँ घर से बाहर जाकर काम कर सकती हैं तो पुरुष घर के काम क्यों नहीं कर सकते? लेकिन दु:ख के साथ हमें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि आज महिलाएँ दोहरी जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए मजबूर हैं। सुबह सबसे पहले उठना, घर का सारा काम करना, बच्चों की जरूरतों को पूरा करना आदि जिम्मेदारियों के कारण वे मानसिक व शारीरिक दुर्बलता के शिकार हो रही हैं। इसी तरह पुरुषों की मानसिक विद्रूपताओं के कारण आज भी महिलाओं को पुरुषों के बराबर कार्यकुशल नहीं समझा जाता है। इसलिए कई जगहों पर महिलाओं को वैतनिक असमानता का शिकार होना पड़ रहा है। इस मामले में भी कई जगह महिलाएँ इसलिए भी चुप रह रह जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आवाज उठाने पर उन्हें नौकरी से ही हाथ धोना पड़ सकता है।

ऐसे ही पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण के दौर में महिलाओं को वस्तु समझने की भावना प्रबल हुई है। जैसाकि वस्तुओं के विज्ञापनों में साफ दिखता है और यह निंदनीय है। आज का समाज भले ही विकसित होने का दावा करता है, लेकिन मूल्यों और नैतिकता के मामले में उदारीकरण, वैश्वीकरण व निजीकरण के कारण समाज का पतन ही हुआ है। महिलाओं का बाजारीकरण भी उदारीकरण का एक दुष्प्रभाव ही है।

अब जब कि महिलाएँ बाहर निकल रही हैं, बाहर के सभी काम कर रही हैं तो घर पर सिर्फ बच्चे और बूढ़े ही रह जाते हैं। बच्चे तो स्कूल जाते हैं, फिर शाम को खेलने के बहाने बाहर चले जाते हैं। लेकिन जिन्हें सबसे ज्यादा मानसिक यातनाओं का सामना करना पड़ता है, वे बुजुर्ग महिलाएँ, जिनकी कुछ सोच परंपरागत मानसिकता की होती है, वे अन्य महिलाओं की तरह बाहर भी समय व्यतीत नहीं कर पाती हैं और घर के अंदर रहकर कुंठित होती रहती हैं। ये भी उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का एक दुष्प्रभाव ही हैं।

निजीकरण का महिलाओं पर प्रभाव:

जिस प्रकार उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभाव महिलाओं पर हुआ है, उसी प्रकार निजीकरण का भी महिलाओं पर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ा है। जैसाकि पूर्व में कामकाजी महिलाओं से संबंधी समस्याओं का जिक्र किया गया है। प्राय: वे सभी समस्याएँ निजीकरण के कारण ही हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाओं को ऊँचे पदों पर इसलिए आसीन नहीं किया जाता कि वे महिला हैं। निजी कंपनियों का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है। इसलिए कई बार वे खर्च बचाने के लिए महिला कर्मचारियों को कानूनी तौर पर दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं देती। नौकरी के इतर परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो सरकार, स्वास्थ्य व शिक्षा जैसी सुविधाओं का तेजी से निजीकरण कर रही है। इसका दुष्प्रभाव भी महिलाओं पर अधिक पड़ रहा है।

हालाँकि निजीकरण के कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं , जो महिलाओं के लिए नए आयाम खोलते हैं, जिनका जिक्र पूर्व में किया जा चुका है। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के चलते बदले माहौल में स्त्रियों की जिंदगी काफी बदल गई है। बदलती नीतियों के कारण आज वे समानता के अधिकार का मधुर पान कर रही हैं, फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज भले ही महिलाएँ सेना में भर्ती हो रही हैं, अंतरिक्ष में अपना परचम फैला रही हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों, शासन-प्रशासन,. मीडिया, फिल्म, फैशन के शीर्ष स्थानों पर काबिज हो रही हैं और वे सभी जगह उस मुकाम को हासिल कर रही हैं, जो अब तक उनकी कल्पनाओं से परे थे। प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक नोआमी वुल्फ ने इस दौर को 'पावर-फेमिनिजम' की संज्ञा दी है।

लेकिन सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को देखकर यह मान लेना कि महिलाएँ इस दौर में सब कुछ हासिल कर चुकी हैं, यह कहना गलत होगा। कुछ पाने के लिए उन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ा है। समाज की सोच के खिलाफ जाने के कारण उन्हें कई यातनाएँ झेलनी पड़ी हैं, कई बार परिवार से दूर रहना पड़ा है। माँ की नौकरी के चलते एक बच्चा अपनी माँ की ममता का पूरी तरह से आनंद नहीं ले पाया है तथा एक परिवार को कई खुशियों का बलिदान करना पड़ा है। इसलिए आज भी महिलाएँ वे मुकाम हासिल नहीं कर पा रही हैं, जिनकी वे हकदार हैं।

- फ्लैट सं.412, बी ब्लॉक
अभिराम ब्लू हेवेंस, अगनंपूडि
विशाखपट्टणम
मोबाइल: +91 9102044677

महिला सशक्तीकरण में शिक्षा का योगदान

- सुश्री वंदना राणा -

'शिक्षा मनुष्य का गहना सुंदर
पहनकर इसको तन मन होता कुंदन,
महके-निखरे इससे ही जीवन
फूलों से खिलता जैसे मधुवन।'

जी हाँ! स्त्री हो या पुरुष, शिक्षा दोनों ही के लिए महत्वपूर्ण है, अति आवश्यक है। जब भी सशक्त समाज की संकल्पना की जाती है, शिक्षित समाज की बात की जाती है और सशक्त समाज, सशक्त जीवन शिक्षा से ही तो सशक्त बनता है। जब सशक्तीकरण की बात आती है तो सर्वप्रथम महिला सशक्तीकरण की बात होने लगती है...क्यों...? क्या महिलाएँ सशक्त नहीं हैं, क्या ये अबला हैं, ऐसे बहुत से प्रश्न दिलोदिमाग में आने लगे हैं।

यहाँ तक कि कई महिलाएँ भी अपने आप को एक प्रश्नचिन्ह की तरह देखती हैं। इसलिए कि वे पढ़ी-लिखी, शिक्षित नहीं होती हैं। उनमें आत्मविश्वास नहीं होता है। उन्हें विश्वास ही नहीं है कि वे सशक्त हैं शिक्षा के अभाव में...। यहाँ इस बात को ठोस आधार पर कहा जा सकता है कि महिला सशक्त तभी से है, जब से सृष्टि बनी है। ब्रह्मा जी को संसार बनाने-चलाने के लिए नारी की उत्पत्ति करनी पड़ी थी। नारी है तो नर है, यहाँ पर यह बात सौ आने खरी उतरी है।

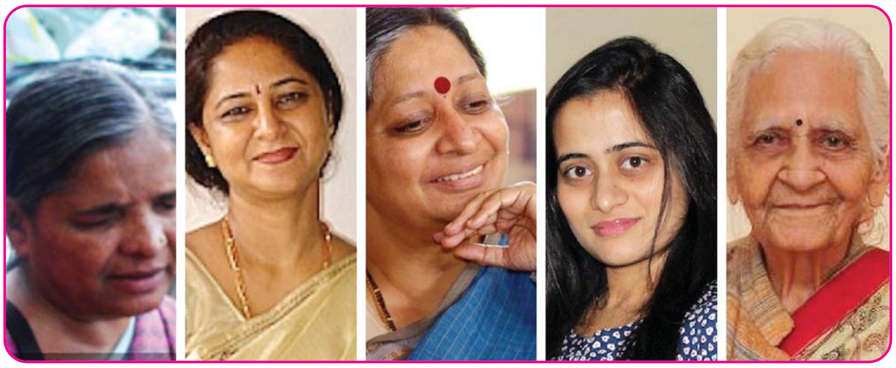

नारी सशक्त है, इसलिए वह सृजनकर्ता है, सृजन करती है और सृजन करने वाला कभी असशक्त नहीं हो सकता...। इसलिए महिला सशक्तीकरण के लिए शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि शिक्षा चेतना जगाती है, पशु से अलग करती है। आत्मविश्वास जगाती है। शिक्षा से ही स्वावलंबन मिलता है और दशा व दिशा निर्धारित होती है। शिक्षा से जीवन का सर्वांगीण विकास होता है। कहा जा सकता है कि शिक्षा एक नींव है, जिस पर जीवन टिका होता है। इसलिए नारी शिक्षा बेहद जरूरी है प्रदेश और समान के उत्थान के लिए..।

जब हम छोटे थे, हमारे माता-पिता ने हमारी शिक्षा पर अधिक जोर दिया। वे कहते थे, 'बेटियाँ पढ़-लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जायें, जिससे हमारी सारी चिंताएँ खत्म हो जाएँ। हम घर बैठे ही गंगा नहा लें। वे यह भी कहते थे कि बेटी पढ़-लिख कर एक कुल को ही नहीं, दो कुलों को शिक्षित करती है, जिसका पूरे समाज पर प्रभाव पड़ता है। हम तो बाल्यावस्था में थे, इतनी गूढ़ बातों का अर्थ नहीं समझते थे। बड़े हुए पढ़-लिख कर, तो मालूम हुआ कि वे ऐसा क्यों कहते थे। हमने पढ़ाई पूरी की, अपने पैरों पर खड़े हुए, यानि आत्मनिर्भर बने। किसी पर बोझ बनकर नहीं जिए। हम बहनों ने माता-पिता का मान रखा और बाद में उनका सहारा बने। माता-पिता ने अपने पूरी जिंदगी हमारा जीवन सँवारने में लगा दी। उन्होंने बेटियों के लिए शिक्षा को जरूरी आधार माना। इसलिए हम शिक्षित हुई और जीवन की राह में स्वावलंबी होकर एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं।

यह बात उनकी कसौटी पर खरी उतरी कि पढ़ी-लिखी बेटी एक नहीं, दो कुलों को रोशन करती है। विवाह उपरांत हमने दोनों कुलों को संभाला-सँवारा और अपनी शिक्षा के बल पर देश, समाज व परिवार में एक अलग मुकाम हासिल किया। शिक्षा के योगदान से ही हमारी सोच सशक्त और सुंदर बनती है। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सोने-चाँदी के गहनों से शिक्षा रूपी गहने की चमक अधिक होती है और यह चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। स्त्री जब इस गहने को पहनती है तो और भी सुंदर दिखती है, निखरती है। इसलिए हर माता-पिता को अपनी बेटी को यह गहना जरूर पहनाना चाहिए। बेटे के साथ-साथ बेटी को भी उचित शिक्षा दिलवानी चाहिए।

आजकल हम देखते हैं, बेटियों के माता-पिता काफी जागरूक हुए हैं। बेटियों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ताकि वे समाज में सशक्त होकर आगे बढ़ें। पढ़ी-लिखी बेटियाँ ही अपने जीवन की राहों को प्रशस्त करती हैं। आज हम देखते हैं, बेटियाँ स्वावलंबी हो रही हैं। आज से पहले जो कार्य पुरुष प्रधान समाज करता था, आज महिलाएँ करने लगी हैं। साइकिल, स्कूटी से आगे निकल कर बस, ट्रक चला रही हैं। यह महिला सशक्तीकरण का एक सशक्त उदाहरण है। आजकल महिलाएँ पायलट हैं, भारी-

भारी मोटर साइकिल चलाती हैं, जिसे हम पिछले गणतंत्र दिवस पर देख भी चुके हैं। महिलाओं ने पहले अपने अदम्य साहस का परिचय दिया था और आज भी दे रही हैं। यदि आज का भारत सुंदर, स्वस्थ और प्रगतिशील हो रहा है तो वह महिलाओं के सशक्त योगदान से ही। सशक्त महिला के पीछे उसका अपना परिवार भी सशक्त भूमिका निभाता है, जिससे महिलाएँ आगे बढ़ रही हैं।

वर्तमान में खेतों-खलिहान, आसमान, सड़क, घर हर जगह महिलाएँ अपने सशक्तीकरण का परचम लहरा रही हैं। पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक बढ रही हैं। महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि ऐसा कोई कार्य नहीं, जो उनके लिए संभव न हो। यह महिला सशक्तीकरण नहीं तो और क्या है?

महिलाओं ने शिक्षाप्रद होते हुए हर बुराई को दूर किया। अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई। बिना शिक्षा के महिलाएँ, देश और समाज की क्या, अपनी भी तरक्की नहीं कर सकती हैं। वे अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति तब तक जागरूक नहीं हो सकतीं, जब तक वे शिक्षित नहीं होतीं।

अधिकतर समाज में वे ही महिलाएँ उपेक्षा की शिकार होती हैं, जो पढ़ी-लिखी नहीं होतीं। लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के ऊपर हिंसा का दौर चलता रहा। खासकर उन पर जो अशिक्षित थीं। आज भी कई महिलाएँ घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, कई महिलाएँ दहेज की आग में जल रही हैं और यह सब महिलाओं के प्रति तभी होती हैं, जब वे अशिक्षित और अपने अधिकारों के प्रति अनभिज्ञ होती हैं।

कई जगहों से ऐसी खबरें भी आती हैं कि पढ़ी-लिखी बेटी ने बारात को लौटा दिया, क्योंकि शादी में दहेज की माँग हो रही थी। गाड़ी, गहने, कैश माँगे जा रहे थे। इसलिए लड़की ने लड़के वालों की माँग ठुकरा कर शादी करने से इनकार कर दिया। बारात वापस चली गई। और कहीं एक बेटी दहेज की बलि चढ़ने से बच गई। वह इसलिए बच गई कि वह शिक्षित थी और अपने अधिकारों के प्रति सचेत थी।

इसलिए देश की हर बेटी को पढ़ना चाहिए। हमारी सरकार ने भी 'बेटी बचाओ - बेटी पढ़ाओ' अभियान के माध्यम से यह साबित किया है कि जब बेटियाँ पढ़ेंगी, तभी बचेंगी और इन्हें पढ़ाना और बचाना माता-पिता की जिम्मेदारी होती है। हम देखते हैं कि घर में जब महिला पढ़ी-लिखी नहीं होती है तो बहू पर दवाब डालती है कि वह बेटे को जन्म दे। जब बहू को बेटी होती है तो उसे प्रताड़ना मिलती है, उस पर अत्याचार होते हैं। यदि सास और बहू पढ़ी-लिखी हों तो भ्रूण हत्या की बुरी घटनाएँ खत्म हो जाती हैं।

देश की आबादी बढ़ने का यह भी एक कारण है। जब आबादी बढ़ती है तो समस्याएँ भी उसी रफ्तार से बढ़ती हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि महिलाएँ समाज में शिक्षित हों। उनकी सोच बदले और घर-परिवार में खुशहाली बनी रहे। जब घर-परिवार में खुशनुमा वातावरण होगा तो जाहिर है देश और समाज भी खुशहाल होगा। क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। हमसे ही समाज है। जब हमारी सोच सुंदर और स्वस्थ होगी, तभी हमारा जीवन भी सुंदर और स्वस्थ होगा।

भ्रूण हत्या जैसी बुराइयाँ तभी सिर उठाती हैं, जब बेटियाँ अशिक्षित होती हैं और ऐसी बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठा पाती हैं। घर वालों के दबाव में परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों से अनभिज्ञ रहती हैं। यदि पढ़ी-लिखी महिला होगी तो भ्रूण हत्या न होने देगी। पेट में पल रहे शिशु की जाँच यह सोचकर न करवाएगी कि उसके पेट में पल रहा बच्चा कहीं लड़की तो नहीं है? वह यह सोचेगी कि लड़का हो या लड़की, दोनों बराबर हैं। यदि महिला ही महिला की रक्षक बन जाए तो समाज में बेटियाँ बचेंगी भी, पढ़ेंगी भी और सशक्त भी होंगी।

कहते हैं 'बच्चे की पहली गुरु 'माँ' होती है।' अगर अपने बच्चे की रक्षा में जब खड़ी होती है तो कोई उसे मार नहीं सकता और कोई उसे हरा नहीं सकता। महिला सशक्तीकरण में शिक्षा के योगदान को महिला ही कारगर कर सकती है अपनी बेटी को पढ़ा-लिखाकर। यानि इसमें फिर माँ की ही अहम भूमिका स्पष्ट नजर आती है। बेटी-माँ-बेटी कड़ी से कड़ी पढ़ी-लिखी, शिक्षित होंगी तो उनका मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक और नैतिक विकास होगा।

कहा जाता है कि 'शिक्षा बिना नर नार पशु समान।' शिक्षा के बगैर सच में नारी पशु की भांति है, जैसे पशुओं को खदेड़ा जाता है, वैसे ही बिना पढ़ी-लिखी, यानि अशिक्षित स्त्री को समाज खदेड़ता है। शिक्षा स्त्री को तन, मन और आत्मा से सशक्त बनाती है। अंत में अपने लेख को इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करना चाहूँगी कि जिस तरह दाल या पावभाजी बिना नमक के फीकी है, बेस्वादी है उसी तरह शिक्षा के बगैर नारी अधूरी है, असुंदर है असशक्त है। शिक्षा के गहने, आभूषण पहनकर ही उसका जीवन, उसका सौंदर्य, उसका व्यक्तित्व निखरेगा।

- सैट-3, टाइप-3
कैंडल लोज, लौंगवुड
शिमला, हिमाचल प्रदेश-171001
मोबाइल: +91 9418439685

सरकारों द्वारा महिला विकास के लिए किये जा रहे प्रयास

- श्रीमती सी एच अनिता -

महिला सशक्तीकरण का तात्पर्य उन्हें शिक्षा एवं रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार लाना है। दूसरे शब्दों में महिलाओं को समाज में अपने वास्तविक अधिकारों की प्राप्ति के क्रम में सक्षम बनाना ही महिला सशक्तीकरण है। किसी भी राष्ट्र के विकास में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं का भी समान योगदान होता है। महिलाओं के इसी योगदान के सम्मान में देश भर में मातृ दिवस, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

वैसे देश में अब तक कई महिलाओं ने जीवन के कई क्षेत्रों में अपनी योग्यता एवं कौशल का सफल परिचय दिया है। इसके बावजूद देश में उच्च स्तर की लैंगिक असमानता है, जिसके कारण महिलाओं को समाज के बुरे बर्ताव का शिकार होना पड़ता है। भारत में अनपढ़ लोगों की संख्या में महिलाएँ सबसे अव्वल हैं। नारी सशक्तीकरण का अभिप्राय तब सफल माना जा सकता है, जब उन्हें शिक्षा के अवसर प्राप्त हों, जिससे आगे चलकर वे आत्मनिर्भर बन सकें और जीवन में स्वतंत्र होकर अपने फैसले ले सकें।

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होती थी। लेकिन मध्य काल तक आते-आते महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आयी। फिर आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाओं ने राजनैतिक, प्रशासनिक क्षेत्रों के उच्च पदों की शोभा बढ़ाई। लेकिन ग्रामीण महिलाएँ आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध नहीं है।

शिक्षा के मामले में भी भारत में महिलाएँ पुरुषों की अपेक्षा काफी पीछे हैं। भारत में पुरुषों की शिक्षा दर 84.7 प्रतिशत है, जबकि महिलाओं की शिक्षा दर मात्र 70.3 प्रतिशत ही है। भारत के शहरी क्षेत्रों की महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की अपेक्षा अधिक रोजगारशील है। आँकड़ों के अनुसार भारत के शहरों में साफ्टवेयर उद्योग में लगभग 30 प्रतिशत महिलाएँ कार्य करती हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 90 फीसदी महिलाएँ मुख्यत: कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करती हैं।

भारत में महिला सशक्तीकरण की आवश्यकता का एक और मुख्य कारण भुगतान में असमानता भी है। एक अध्ययन के अनुसार समान अनुभव और योग्यता के बावजूद भारत में महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम भुगतान दिया जाता है। हमारा देश प्रगति पथ पर तेजी से अग्रसर है। लेकिन इसे हम तभी बरकरार रख सकते हैं, जब हम लैंगिक असमानता को दूर कर पुरुषों के बराबर महिलाओं को शिक्षा, भुगतान और विकास के अवसर मुहैय्या कराएँगे। भारत की लगभग 48 प्रतिशत आबादी महिलाओं की है। अर्थात देश के विकास में इस आधी आबादी की अहम भूमिका होती है, जो कि अभी भी सशक्त नहीं है और कई सामाजिक प्रतिबंधों से बंधी हुई है।

भारत में प्राचीन काल से पुरुषप्रधान समाज का वर्चस्व रहा है। महिलाओं को परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया एवं प्रताड़ित किया जाता रहा है। परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाता रहा है। लेकिन आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकारों के प्रति जागरूक है, जिसका परिणाम यह हुआ कि कई स्वयंसेवी समूह एवं एनजीओ संगठन आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

भारत में महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयास:

आज के दौर में महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु केंद्र एवं राज्य सरकारें भी प्रयासरत हैं। इनमें से कई सारी योजनाएँ महिलाओं को रोजगार दिलाने, कृषि की बेहतर तकनीकों से उन्हें अवगत कराने और उनके बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने से संबंधित हैं। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा भारतीय महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाएँ इस आशा के साथ चलाई जा रही हैं कि एक दिन भारतीय समाज में महिलाओं को पुरुषों के बराबर प्रत्येक अवसर का लाभ प्राप्त होगा।

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना :

इस कार्यक्रम की शुरुआत 22 जनवरी 2015 में पानीपत, हरियाणा से हुई। यह योजना कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिक्षा को ध्यान में रखकर बनायी गयी है। इसके अंतर्गत लड़कियों की बेहतरी के लिए योजना बनाकर उन्हें आर्थिक तौर पर सक्षम करना, जिससे उनके परिवार में फैली भ्रांति 'लड़की एक बोझ है' की सोच परिवर्तित हो सके।

2. महिला हेल्पलाइन योजना :

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को 24 घंटे आपातिक (Emergency) सहायता सेवा प्रदान की जाती है। महिलाएँ

अपने प्रति हो रही किसी हिंसा या अत्याचार की शिकायत इस योजना के तहत निर्धारित 181 नंबर पर कर सकती हैं।

3. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना :

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना उत्तर प्रदेश के बलिया में 1 मई 2016 को शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे आनेवाले कमजोर वर्ग के परिवारों की महिलाओं को राहत देना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार गरीब परिवारों को घरेलू रसोई गैस का कनेक्शन देती है। यह योजना केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से चलायी जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक गैस कनेक्शन पर तेल कंपनियों को 1600 रुपये की सब्सिडी देती है। इस योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान भी तीन महीने तक सिलेंडर नि:शुल्क वितरित किये गए थे।

4. सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एंप्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर विमेन (स्टेप):

स्टेप योजना के अंतर्गत महिलाओं के कौशल को निखारने का कार्य किया जाता है, ताकि उन्हें भी रोजगार एवं जीविका के अवसर प्राप्त हो सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषि, बागवानी, हथकरघा, सिलाई और मछली पालन जैसे विभिन्न विषयों में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

5. महिला शक्ति केंद्र योजना :

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण हेतु साल 2017 में इस योजना की शुरुआत की गयी। इस योजना के तहत गाँव-गाँव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है। यह योजना जिला, राज्य एवं राष्ट्र स्तर पर संचालित की जाती है।

6. पंचायती राज योजनाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण:

2009 में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थानों में 50 फीसदी महिला आरक्षण की घोषणा की। सरकार की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने का प्रयास थी, जिसके द्वारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के साथ दूसरे अन्य प्रदेशों में भी भारी मात्रा में महिलाएँ ग्राम पंचायत अध्यक्ष चुनी गई।

7. वन स्टॉप सेंटर :

यह योजना 1 अप्रैल 2015 को निर्भया फंड के साथ लागू की गई थी। यह योजना भारत के विभिन्न शहरों के अलग-अलग क्षेत्रों में संचालित की जाती है, जिसके अंतर्गत ऐसी महिलाओं को आश्रय दिया जाता है, जो किसी प्रकार की हिंसा का शिकार हुई हों। इसके तहत पुलिस डेस्क, कानूनी, चिकित्सा और परामर्श सेवाएँ प्रदान की जाती हैं और इसका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 181 है।

8. किशोरियों के सशक्तीकरण के लिए राजीव गाँधी योजना - सबला :

यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 11 अप्रैल 2011 को शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की किशोरियों को पौष्टिक आहार और आयरन की गोलियाँ सहित अन्य कई चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

9. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना :

यह कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2 अक्तूबर 2010 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत 19 और इससे अधिक उम्र की महिलाओं को पहले दो बच्चों के जन्म के समय वित्तीय सहायता दी जाती है। कुल 6000 रुपये की यह वित्तीय सहायता दो किस्तों में दी जाती है।

10. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना :

इस योजना की शुरुआत 2004 में हुई। इसके अंतर्गत उन पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को साक्षर बनाया जाता है, जहाँ की शिक्षा दर राष्ट्रीय महिला शिक्षा दर से कम हो। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा 75% और राज्य सरकार द्वारा 25% का योगदान दिया जाता है, जिससे 75% अनुसूचित जाति/ जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की लकड़ियों को तथा 25% गरीबी रेखा से नीचे की लड़कियों को शिक्षित किया जाता है।

11. वर्किंग विमन हॉस्टल योजना :

इस योजना का उद्देश्य है काम करने वाली महिलाओं के लिए सुरक्षित आवास आसानी से उपलब्ध कराना, जहाँ उनके बच्चों की देखभाल और जरूरत की हर चीज की उपलब्धता की सुविधा हो। यह योजना शहरी, अर्द्धशहरी और ग्रामीण सभी क्षेत्रों में संचालित है, जहाँ पर महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं।

12. नारी शक्ति पुरस्कार :

नारी शक्ति पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं। इस योजना की स्थापना 1999 में की गई। केंद्र सरकार द्वारा भारत में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने हेतु महिलाओं

और संस्थानों की सेवाओं को मान्यता प्रदान करने के क्रम में नारी शक्ति पुरस्कार की स्थापना की गई। इस पुरस्कार के अंतर्गत उन्हें नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है।

बदलते समय के साथ आधुनिक युग की नारी पढ़-लिख कर स्वतंत्र है। वह अपने अधिकारों के प्रति सजग है तथा स्वयं अपना निर्णय ले रही है। अब वह चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के विकास में विशेष योगदान दे रही है। महिलाएँ हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा हैं। इसी वजह से राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण कार्य में महिलाओं की भूमिका और योगदान को नजरंदाज नहीं किया जा सकता।

भारत में भी ऐसी महिलाओं की कमी नहीं है, जिन्होंने समाज में बदलाव लाने एवं महिलाओं को सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसी ही एक मिसाल हैं सहारनपुर की अतिया साबरी। अतिया पहली ऐसी मुस्लिम महिला हैं, जिन्होंने तीन तलाक के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया। तेजाब पीड़ितों के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली वर्षा जवलगेकर के भी कदम रोकने की नाकाम कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने इंसाफ की अपना लड़ाई नहीं छोड़ी। हमारे देश में ऐसी कई उदाहरण है जो महिला सशक्तीकरण का पर्याय बन रही है।

आज देश की महिलाएँ जागरूक हो चुकी हैं। आज की महिलाओं ने उस सोच को बदल दिया है कि वे मात्र घर और परिवार की ही जिम्मदारियाँ बेहतर निभा सकती हैं। आज की महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला कर बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, चाहे वह कार्य मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं।

महिला सशक्तीकरण के लाभ :

महिला सशक्तीकरण के बिना देश व समाज में नारी को वह स्थान नहीं मिल सकता, जिसकी वह हमेशा से हकदार रही है। महिला सशक्तीकरण के बिना वह सदियों पुरानी परंपराओं और दुष्टताओं से लोहा नहीं ले सकती। बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णय खुद नहीं ले सकती। स्त्री सशक्तीकरण के अभाव में वह इस योग्य नहीं बन सकती कि स्वयं अपनी स्वतंत्रता और अपने फैसलों पर अधिकार पा सके।

महिला सशक्तीकरण के कारण महिलाओं की जिंदगी में बहुत से बदलाव हुए। महिलाओं ने हर कार्य में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेना शुरु किया है। महिलाएँ धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं। पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं। पुरुष अब महिलाओं के फैसलों की इज्जत करने लगे हैं। कहा भी जाता है कि 'हक माँगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है' और औरतों ने अपनी काबिलियत के बल पर एकजुट होकर अपने हक हासिल कर लिये हैं।

महिलाओं को अपने अधिकारों और समानता के अवसरों की प्राप्ति में महिला सशक्तीकरण की अहम भूमिका होती है। क्योंकि स्त्री सशक्तीकरण महिलाओं को सिर्फ गुजारे-भत्ते के लिए ही तैयार नहीं करता, बल्कि उनमें चेतना जगाने और सामाजिक अत्याचारों से उन्हें मुक्ति दिलाने का माहौल भी तैयारी करता है। जिस तरह से भारत आज दुनिया के सबसे तेज आर्थिक विकास प्राप्त करने वाले देशों में शुमार हुआ है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में भारत को महिला सशक्तीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने पर भी ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए महिलाओं के विरुद्ध बुरी प्रथाओं के मुख्य कारणों को समझकर उनके निर्मूलन की आवश्यकता है, जो पितृसत्तामक और पुरुषप्रधान समाज की देन है।

यह बहुत आवश्यक है कि हम महिलाओं के विरुद्ध अपनी पुरानी सोच को बदलें और संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानों में भी बदलाव लाएँ। भले ही आज के समाज में कई भारतीय महिलाएँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रशासनिक अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदि बन चुकी हों, लेकिन फिर भी काफी सारी महिलाओं को आज भी सहयोग और सहायता की आवश्यकता है। उन्हें शिक्षा और आजादीपूर्वक कार्य करने, सुरक्षित यात्रा, सुरक्षित कार्य करने में सहयोग की आवश्यकता है।

महिला सशक्तीकरण का यह कार्य काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की सामाजिक-आर्थिक प्रगति देश की महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक प्रगति पर ही निर्भर है। महिला सशक्तीकरण महिलाओं को वह मजबूती प्रदान करता है, जो उन्हें उनके हक के लिए लड़ने में मदद करती है। हम सभी को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। इक्कीसवीं सदी, नारी जीवन में सुखद संभावनाओं की सदी है। महिलाएँ अब हर क्षेत्र में आगे आने लगी हैं। आज की नारी अब जागृत और सक्रिय हो चुकी है। वर्तमान में नारी ने रुढ़िवादी बेड़ियों को तोड़ना शुरु कर दिया है। यह एक सुखद संकेत है। लोगों की सोच बदल रही है, फिर भी इस दिशा में और भी प्रयास करने की आवश्यकता है।

- प्रबंधक (सामग्री प्रबंधन)
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम-530031
मोबाइल: +91 8330930899

महिला विकास में सरकार का योगदान

- एस याशीम बी -

इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल कई भारतीय महिलाएँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों को अलंकृत कर समाज की सेवा में लगी हैं। लेकिन वहीं देश में कई ऐसी महिलाएँ हैं, जिन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए आज भी सहयोग एवं समर्थन की जरूरत है। शिक्षा, स्वतंत्रत कार्य निर्वाह, सुरक्षित यात्रा आदि के लिए आज भी उन्हें उपयुक्त सहयोग की जरूरत होती है। इसी के दृष्टिगत भारत सरकार महिलाओं के विकास एवं सुरक्षा के लिए कई योजनाएँ चला रही हैं। इनसे महिलाओं को अपने साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने, सामाजिक दुर्व्यवहार का डटकर सामना करने में सहयोग मिलता है।

महिलाओं के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अलावा कुछ अधिनियम भी पारित किये गये हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:

1. अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956
2. दहेज निषेध अधिनियम, 1961
3. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
4. गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971
5. पूर्व गर्भाधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994
6. बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, 2006
7. कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013
8. घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005

हमारे संविधान के अंतर्गत महिलाओं के कल्याण एवं विकास हेतु निर्धारित उपबंधों का विवरण निम्नवत है:

अनुच्छेद-14	: समस्त नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार
अनुच्छेद-15	: धर्म, मूल, जाति, वंश, जन्म-स्थान के साथ-साथ लिंग के आधार पर किसी भेदभाव के उन्मूलन का अधिकार
अनुच्छेद-15(3)	: महिला आरक्षण की विशेष व्यवस्था
अनुच्छेद-16	: राज्यों द्वारा महिलाओं को भी रोजगार के समान अवसर प्रदान करना
अनुच्छेद 23-24	: शोषण एवं किसी के दुर्व्यवहार व बलात् श्रम के विरोध का अधिकार।
अनुच्छेद-39	: आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाने का अधिकार एवं समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान।
अनुच्छेद-42	: कार्य की न्यायसंगत एवं मानवोचित दशाओं का प्रावधान एवं प्रसूति सहायता का उपबंध।
अनुच्छेद-51(क)(3)	: महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रयासों के त्याग का मौलिक दायित्व निर्धारण।
अनुच्छेद-325(14)	: चुनाव में समान भागीदारी का अधिकार।

इन उपबंधों के साथ-साथ केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण के माध्यम से समाज के विकास में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, जैसे -

1. महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति, 2001:

सरकार द्वारा 20 मार्च, 2001 को लागू की गई महिला सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति का उद्देश्य एक व्यवस्थित कार्ययोजना के माध्यम से महिलाओं का विकास एवं उनका सशक्तीकरण सुनिश्चित करना तथा महिलाओं के साथ हर तरह का भेदभाव समाप्त कर यह सुनिश्चित करना कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र एवं प्रत्येक गतिविधि में बढ़-चढ़कर भाग लें।

2. राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण योजना - सबला:

भारत सरकार ने वर्ष 2010-11 में एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए 200 जिलों में प्रायोगिक आधार पर यह योजना लागू की। यह राज्य सरकारों एवं संघ शासित प्रांतों के माध्यम से संचालित की जानेवाली शत-प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित योजना है। इस योजना के अंतर्गत 11 से 18 वर्ष की आयु की सभी स्कूली छात्राओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। यह परिवार नियोजन, किशोरियों के यौन स्वास्थ्य, उनकी देखभाल सहित कौशल विकास के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने हेतु लक्षित है।

3. प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) :

गर्भवती एवं स्तनपान करानेवाली महिलाओं को सहयोग पहुँचाने हेतु वर्ष 2010-11 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जो योजना शुरु की गई थी, उसी का संशोधित रूप है प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना। यह

योजना असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान होनेवाली वेतनहानि की भरपाई करने हेतु लक्षित है। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को कुल 5,000/- रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के समय 1,000/- रुपये, छ: महीने की गर्भावस्था के उपरांत एक बार प्रसवपूर्व जाँच के उपरांत 2000/- रुपये और शिशु के जन्म के पश्चात 2,000/- रुपये।

4. महिला रोजगार व प्रशिक्षण कार्यक्रम (STEP):

यह योजना वर्ष 1986-87 में महिला व शिशु विकास मंत्रालय द्वारा शुरु की गई थी। यह योजना देश में 16 वर्ष की आयु की बालिकाओं को पशुपालन, डेयरी व्यवसाय, मत्स्य पालन, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम किट पालन, सामाजिक वानिकी एवं बंजर भूमि विकास जैसे परंपरागत क्षेत्रों में कौशल विकास एवं समुचित प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु लक्षित है। विभिन्न सार्वजनिक संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग से यह योजना संचालित की जाती है, जिसमें सरकार द्वारा 90% लागत का वहन किया जाता है और शेष 10% कार्यान्वियन अभिकरण द्वारा।

5. स्वाधार गृह योजना:

स्वाधार गृह योजना आश्रयहीन महिलाओं को सहयोग पहुँचाने के उद्देश्य से वर्ष 1969 में शुरु की गई अल्पावधि प्रवास गृह योजना का परिवर्तित रूप है। यह योजना सामाजिक रूप से वहिष्कृत आश्रयहीन एवं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को आश्रय, भोजन, वस्त्र, चिकित्सकीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु लक्षित है। यह योजना संस्थागत तौर पर आश्रयहीन महिलाओं को कौशल विकास एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाती है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं को अपेक्षित अनुसार विधिक सलाह

6. कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास योजना:

ग्रामीण, अर्द्ध-शहरी, शहरी क्षेत्रों के गैर-सरकारी संगठनों में कार्यरत महिलाओं के लिए छात्रावास की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और साथ ही अपने परिवार एवं रिश्तेदारों से दूर कार्यरत महिलाओं को छात्रावास में रहने की सुविधा दी जाती है। यह सुविधा ग्रामीण एवं अर्द्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों की उन महिलाओं को प्रदान की जाती है, जिनका मासिक वेतन क्रमश: 35,000/- और अधिकतम 50,000/- हो।

7. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना:

देश में अशुद्ध जीवाश्म ईंधन की जगह शुद्ध एवं स्वच्छ ईंधन के उपयोग के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना मई, 2016 में शुरु की गई है। इस योजना के अंतर्गत समाज के गरीब तबके की महिलाओं को मुफ्त में एल पी जी कनेक्शन दिया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन की जगह एल पी जी के उपयोग को बढ़ावा देते हुए महिलाओं के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है।

8. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ :

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना समाज में लिंगानुपात असंतुलन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जनवरी, 2015 में लागू की गई है। यह योजना समाज में भ्रूण हत्या के विरुद्ध आवाज उठाने एवं घर की बहू-बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार के विरुद्ध एक युद्ध है। इस योजना के पीछे सरकार की यह मंशा थी कि बेटियों के प्रति समाज के रूढ़िवादी मानसिकता में बदलाव लाया जाय। साथ ही बालिकाओं के शिक्षा स्तर में वृद्धि, भ्रूण हत्या की रोकथाम, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देते हुए समाज के विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, भेदभाव पूर्ण लिंग चयन की प्रक्रिया के उन्मूलन द्वारा गाँव के अस्तित्व की सुरक्षा आदि सुनिश्चित करना था।

9. राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन :

महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों द्वारा 8 मार्च, 2010 को 'राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन' कार्यक्रम शुरु किया गया।

यह अभियान समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं सम्मेलनों के आयोजन के माध्यम से महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार एवं हिंसा की रोकथाम द्वारा उनके स्वास्थ्य एवं उनके शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने हेतु लक्षित है।

10. परिवार परामर्श केंद्र :

यह योजना वर्ष 1983 में शुरु की गई है। इस योजना के तहत समाज के अत्याचारों एवं पारिवारिक हिंसा व असहयोग तथा सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं को पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जाती है। परिवार परामर्श केंद्र स्थानीय प्रशासन, पुलिस, न्यायालय, नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रकोष्ठों, चिकित्सा एवं मनोचिकित्सा संस्थाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, अल्पावास गृहों आदि के सहयोग से महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करनेवाले विभिन्न सामाजिक मुद्दों के प्रति समाज में जागरूकता लाते हुए एक पुख्ता जनमत बनाने का काम करता है।

11. महिलाओं की शिक्षा के लिए कंडेंस्ड पाठ्यक्रम :

वयस्क लड़कियों एवं महिलाओं, जो शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ी हों अथवा जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी हो, की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यह पाठ्यक्रम शुरु किया गया। इसके तहत जनजातीय, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों की वयस्क लड़कियों एवं महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। 15 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों के लिए प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूलों एवं मेट्रिक स्तर पर शिक्षा का अवसर प्रदान करते हुए उनके दक्षता विकास तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। पाठ्यक्रय स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किये जाते हैं।

12. जागरूकता सृजन कार्यक्रम :

ग्रामीण एवं निर्धन महिलाओं की आवश्यकताओं की पहचान एवं पूर्ति तथा तत्संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना 1986-87 में शुरु की गई है। इसके अंतर्गत शिविर लगाकर स्थानीय मुद्दों सहित महिलाओं की स्थिति, उनके स्वास्थ्य, साफ-सफाई, कानूनन उनको प्राप्त अधिकारों की जानकारी, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार जैसे विषयों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

13. शिशुगृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण :

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 1986-87 में शिशुगृह कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया गया था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिशुगृह संचालन हेतु शिशु सदन के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है। वर्ष 1989-90 से इस प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन का दायित्व स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जा रहा है।

14. स्त्री शक्ति पुरस्कार :

सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के वैयक्तिक योगदान को पहचान दिलाने हेतु केंद्र सरकार ने 'स्त्री शक्ति' के नाम से राष्ट्रीय स्तर पर पाँच पुरस्कार देने की योजना की शुरुआत की है। ये पुरस्कार उन भारतीय महिलाओं को दिये जाते हैं, जो समाज में साहस एवं पराक्रम का प्रदर्शन करती हैं, जैसे देवी अहिल्याबाई होल्कर, कन्नगी, माता जीजाबाई, रानी लक्ष्मीबाई आदि। वर्ष 2007 से इस पुरस्कार की उप श्रेणी में रानी रुद्रम्मादेवी का नाम भी जोड़ा गया है। अभी ये पुरस्कार वैयक्तिक स्तर पर उत्कृष्ट प्रशासनिक कौशल, नेतृत्व क्षमता और साहस का प्रदर्शन करनेवाली महिलाओं को प्रदान किया जा रहा है। इन पुरस्कारों के तहत 3 लाख रुपये का नकद और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है।

सरकार की इन योजनाओं से महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वर्तमान में महिलाएँ जीवन के हर क्षेत्र में बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। अपने जीवन से जुड़े फैसले स्वयं ले रही हैं। महिलाएँ अपने हकों के लिए लड़ने भी लगी हैं और धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बन रही हैं। लेकिन आज भी कई महिलाएँ ऐसी हैं, जो इन योजनाओं की जानकारी नहीं रखती हैं। अत: सरकार को महिलाओं के वास्तविक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़े इलाकों में इन योजनाओं के प्रचार-प्रसार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महिलाओं को इन योजनाओं के तहत प्राप्त होनेवाली सुविधाओं एवं कानूनन उनके प्राप्त अधिकारों से अवगत कराना होगा, जिससे उनका भविष्य वेहतर हो। महिलाओं के विकास के सपने को वास्तव में साकार करने के लिए उनकी शिक्षा एवं उनके रोजगार की समुचित व्यवस्था करनी होगी। तभी महिलाओं के विकास, तद्वारा भारत का विकास संभव हो पाएगा।

- शोधार्थी, एम.फिल.
डॉ अंबेड्कर सार्वत्रिक विश्वविद्यालय
हैदराबाद
मोबाइल: +91 6300263009

सकारात्मक परिणाम के साथ नव वर्ष का शुभारंभ

नव वर्ष 2021 के अवसर पर संगठन के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन द्वारा लगभग 20 महीने के अंतराल पश्चात दिसंबर, 2020 के दौरान 2,100 करोड़ का बिक्री कारोबार पार किया गया। इससे लगभग 29 महीनों के पश्चात दिसंबर, 2020 में 170 करोड़ रुपये निवल लाभ की प्राप्ति की अपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि बाजार की अनुकूल परिस्थितियों एवं 113 हीट प्रतिदिन द्रव इस्पात उत्पादन के कारण संगठन की 6.3 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता के 98% की प्राप्ति के कारण ही यह संभव हो पाया है।

कोक ओवेन बैटरी 5 का प्रवर्तन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ द्वारा 22 दिसंबर, 2020 को पहले कोक पुशिंग के माध्यम से कोक ओवेन बैटरी 5 का प्रवर्तन किया गया। लगभग 2500 करोड़ रुपये की कुल लागत से कोक ओवेन बैटरी 5 के निर्माण की परिकल्पना की गई थी। परियोजना प्रभाग के नेतृत्व में आर आई एन एल समूह के अथक प्रयासों से 21 दिसंबर को पहला कोयला-प्रभरण किया गया और 24 घंटे के अंदर सभी 67 ओवेन प्रभारित किये गये। श्री रथ ने इस अवसर पर परियोजना प्रभाग समूह, परामर्शदाताओं, सेवा प्रदाताओं को बधाई दी।

गार्ड पांड का उद्घाटन

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ ने आर आई एन एल के गार्ड पांड का उद्घाटन किया। गार्ड पांड्स गैर-उपचारित एवं असामान्य वहि:स्रावों के समुद्री जल में बहाव की रोकथाम के लिए 'सुरक्षा कवच' का कार्य करते हैं। आर आई एन एल द्वारा सांविधिक निदेशों के अनुरूप 10 करोड़ रुपये की लागत से गार्ड पांड्स का निर्माण किया गया है। इस गार्ड पांड के अंतर्गत प्रत्येक 9600 घनमीटर भंडारण क्षमता के साथ 4 पांड हैं, जहाँ कोक ओवेन से उत्सर्जित गैर-उपचारित वहि:स्राव का दो दिन तक भंडारण किया जाता है।

आर आई एन एल में कोविड-19 टीकाकरण अभियान

आर आई एन एल के विशाखा स्टील जनरल अस्पताल में 25 जनवरी, 2021 को कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरु किया गया है। संगठन के निदेशक (वाणिज्य) श्री देव कल्याण मोहंती ने अस्पताल के मेन वर्न्स यूनिट परिसर में दो टीकाकरण यूनिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री मोहंती ने अस्पताल में टीकाकरण क्षेत्र की मंजूरी एवं टीका की अपेक्षित मात्रा में प्राप्ति हेतु मुख्य महाप्रबंधक (चिकित्सा) डॉ के एच प्रकाश तथा उनकी टीम के प्रयासों की प्रशंसा की।

राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी निरीक्षण

इस्पात मंत्रालय के उप निदेशक (राजभाषा) श्रीमती आस्था जैन एवं वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी श्री सौरभ आर्या द्वारा **8** फरवरी, **2021** को गाजियाबाद स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया गया। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक (विपणन) श्री विकास कुमार गुप्ता ने निरीक्षण दल का अभिनंदन किया। इस अवसर पर श्रीमती आस्था जैन ने कर्मचारियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की अनिवार्यता का विवरण दिया।

पटना शाखा बिक्री कार्यालय में हिंदी कार्यशाला संपन्न

पटना स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में **15** मार्च, **2021** को एक-दिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक (विपणन) श्री सतीश विलफ्रेड देमता ने कार्यशाला का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को संबोधित किया। मुख्य अतिथि एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के राजभाषा अधिकारी श्री संजय कुमार ने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी देते हुए उन्हें अपने कार्य में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु प्रेरित किया। सभी प्रतिभागियों ने कार्यशाला में सक्रियतापूर्वक भाग लिया।

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) में हिंदी कार्यक्रम आयोजित

क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर) एवं संपर्क कार्यालय के संयुक्त तत्वावधान में **13** मार्च, **2021** को हिंदी दिवस एवं हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। कार्यशाला के अंतर्गत वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा की गई और कार्यालयीन कार्य में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के तरीके बताये गये। क्षेत्रीय प्रबंधक (उत्तर) एवं महाप्रबंधक (विपणन) श्री संजय गर्ग, महाप्रबंधक श्री अरूण कुमार शर्मा, महाप्रबंधक डॉ के सी साहू ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किये।

देहरादून कार्यालय में हिंदी कार्यशाला संपन्न

देहरादून स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में **10** मार्च, **2021** को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक (विपणन) श्री तपन कुमार दास ने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए प्रतिभागियों को कार्यालयीन कार्य में राजभाषा नीति के अनुपालन की अनिवार्यता बताई। मुख्य अतिथि एवं ओ एन जी सी के राजभाषा अधिकारी श्री सुनील कुमार ने प्रतिभागियों को राजभाषा अधिनियम, **1963** एवं संविधान में उल्लिखित विभिन्न अनुच्छेदों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला के सफलतापूर्वक संचालन में सभी प्रतिभागियों ने सहयोग दिया।

हैदराबाद शाखा कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह

हैदराबाद स्थित शाखा बिक्री एवं संपर्क कार्यालय में **24-25** फरवरी, **2021** को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। महाप्रबंधक (राजभाषा) श्री ललन कुमार ने कार्यक्रम में प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन की आवश्यकता, हिंदी के विभिन्न ई-टूल्स एवं ई-ऑफीस में हिंदी के प्रयोग आदि की जानकारी दी। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री शरत सी गोविंद ने प्रतिभागियों को हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया। इस अवसर पर कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं और विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किये गये।

चंडीगढ़ शाखा कार्यालय में हिंदी कार्यशाला संपन्न

चंडीगढ़ स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में **09** मार्च, **2021** को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं उप महाप्रबंधक (विपणन) श्री एस के जेना ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात कार्यक्रम की मुख्य अतिथि महोदया एवं भारतीय जीवन बीमा निगम के राजभाषा व प्रशासनिक अधिकारी श्रीमती नीरु ने संविधान में संघ की राजभाषा के संदर्भ में उल्लिखित अनुच्छेदों की विस्तृत जानकारी दी। प्रतिभागियों ने कार्यशाला में कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग से संबंधित विभिन्न संदेहों का निवारण किया।

फरीदाबाद कार्यालय में हिंदी कार्यशाला का आयोजन

फरीदाबाद स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में **6** मार्च, **2021** को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक एवं महाप्रबंधक (विपणन) श्री ए एस मित्तल ने प्रतिभागियों को कार्यक्रम में सक्रियतापूर्वक भाग लेने हेतु अभिप्रेरित किया। केंद्रीय जल भूमि निगम के उप निदेशक (राजभाषा) श्री राकेश गुप्ता कार्यशाला के वक्ता थे। उन्होंने कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग की अनिवार्यता बताते हुए उन्हें अपने कार्य के दौरान हिंदी के प्रयोग के मामले में बरती जानेवाली सावधानियों से अवगत कराया।

लुधियाना शाखा कार्यालय में हिंदी कार्यशाला संपन्न

लुधियाना स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में **6** मार्च, **2021** को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक श्री सुनीप पॉल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला में वक्ताओं के रूप में केंद्रीय विद्यालय के हिंदी विभाग के श्री फूलचंद विश्वकर्मा एवं श्री नीरज खटक को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने हिंदी भाषा की विस्तृत जानकारी देते हुए कार्यालय में हिंदी के प्रयोग हेतु प्रतिभागियों को अभिप्रेरित किया। इस अवसर पर कर्मचारियों को प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई और विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किये गये।

क्षेत्रीय कार्यालय (पश्चिम) में हिंदी दिवस समारोह

मुंबई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में 19-20 फरवरी, 2021 को हिंदी दिवस समारोह मनाया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक (पश्चिम) एवं महाप्रबंधक (विपणन) श्री प्रशांत सागर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए सभी कर्मचारियों को हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया। प्रशासनिक सहायक (राजभाषा) श्री गोपाल ने इस अवसर पर प्रतिभागियों के लिए भारत सरकार की राजभाषा नीति, अनुवाद, ई-टूल्स आदि विषयों पर सत्रों का संचालन किया। साथ ही कार्यालय में राजभाषा प्रयोग का जायजा लिया गया।

कानपुर शाखा बिक्री कार्यालय में हिंदी कार्यशाला संपन्न

कानपुर स्थित शाखा बिक्री कार्यालय में 6 मार्च, 2021 को हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई। सहायक महाप्रबंधक (विपणन) श्री राजीव रंजन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यशाला में वक्ता के रूप में आई आई टी कानपुर के प्रांगण में स्थित केंद्रीय विद्यालय के हिंदी प्राध्यापक श्री अतर सिंह को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने संविधान में उल्लिखित राजभाषा संबंधी विभिन्न अनुच्छेदों की जानकारी दी और प्रतिभागियों को कार्यालय में उन पर अमल करने का सुझाव सलाह देते हुए बरती जानेवाली विभिन्न सावधानियों का विवरण दिया।

क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) में हिंदी दिवस का आयोजन

क्षेत्रीय कार्यालय (दक्षिण) 19-20 फरवरी, 2021 को हिंदी दिवस समारोह संपन्न हुआ। क्षेत्रीय प्रबंधक श्री ए पी शेखर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और प्रतिभागियों को कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लेने का सुझाव दिया। उप महाप्रबंधक (विपणन) श्री टी टी नारायणन ने सभी को हिंदी के प्रयोग हेतु अभिप्रेरित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं भारतीय खाद्य निगम के उप महाप्रबंधक (सामान्य) डॉ वी एलुमलै ने प्रतिभागियों को कार्यालयीन कार्य में हिंदी को मन से अपनाने की सलाह दी। वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) श्रीमती वी सुगुणा ने भारत सरकार की राजभाषा नीति, ई-ऑफीस में हिंदी के प्रयोग आदि का विवरण दिया।

संगठन में एक-दिवसीय हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन

संगठन के तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान में 10-11 फरवरी, 2021 को एक-दिवसीय दो हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गई। इनमें प्रतिभागियों को भारत सरकार की राजभाषा नीति, हिंदी व्याकरण, प्रशासनिक व वित्तीय शब्दावली की जानकारी दी गई और उनसे हिंदी में अनुवाद का अभ्यास कराया गया। इन कार्यशालाओं में संगठन के विभिन्न विभागों से कुल 49 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही उन्हें कार्यालयीन कार्य में हिंदी के प्रयोग संबंधी विभिन्न समस्याओं का विवरण देते हुए उनके निवारण के उपाय भी बताये गये।

संगीत सरिता

की-बोर्ड सीखने की प्रविधि

प्रस्तुत अंक में 'छिछोरे' फिल्म के 'खैरियत पूछो' गाने का नोटेशन नीचे प्रस्तुत है। यह गीत मिश्र दरबारी राग पर आधारित है। इस राग में कोमल स्वर ग ध नी का उपयोग करने से यह राग गंभीर प्रकृति का बनता है। कहते हैं इस राग को मिया तानसेन ने बनाया है। इस राग में गांधार (ग) का आंदोलन इस गीत में विशेष असर कर रहा है।

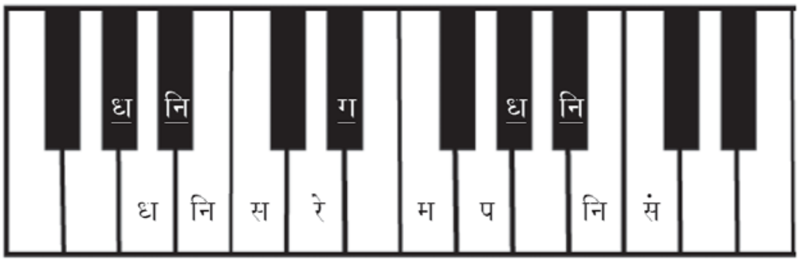

आरोह	:	सा रे ग म रे सा, म प ध नी सां
अवरोह	:	सां ध नी प म प ग, म रे सा
पकड़	:	सा रे ग म रे सा, म प ध प नी सा

सां नि सां गां रें	सं रें सं नि सां नि सां गां रें	गं रें सं नि नी ध नी गां रें	नी धा नि प	
खैरियत पूछो	कभी तो कैफियत पूछो	तुम्हारे बिन दीवाने का	क्या हाल है	
सां नि सां गां रें	सं रें सं नि सां नि सां गां रें	गं रें सं नि नी ध नी गां रें	नी धा नि प	
दिल मेरा देखो	न मेरी हैसियत पूछो	तेरे बिन एक दिन जैसे	100 साल है	
सं रें गं गं मां मं गं पं मं	नी सं रें रें गां गं रें मं गं	ध नी सं सं रें रें सं गं रें	नी धा नि प	नि नी नि ध सां नि ध धा नि प
अंजाम है तय मेरा	होना तुम्हें है मेरा	जितनी भी हो दूरियाँ	फिलहाल हैं	ये दूरियाँ फिलहाल हैं
गं रें सं नि				
ओ				
सां नि सां गां रें	सं रें सं नि सां नि सां गां रें	गं रें सं नि नी ध नी गां रें	नी धा नि प	
खैरियत पूछो	कभी तो कैफियत पूछो	तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है		
सां नि सां रें गं रें	सं रें सं नि सां नि सां गां रें	गं रें सं नि नी ध नी गां रें	नी धा नि प	
दिल मेरा देखो	न मेरी हैसियत पूछो	तेरे बिन एक दिन जैसे	100 साल है	
गं गां रें सं रें गां मं गां रें सं नि सं	गं गां रें सं रें गां मं गां रें सं नि सं	गं रें सं धा गां पा गां	रें सं रें सं रें सं नी ध नि	
तुम्हारी तस्वीर के सहारे	मौसम कई गुजारे	मौसमी न समझो	पर इश्क को हमारे	
गं गां रें सं रें गां मं गां रें सं नि सं	गं गां रें सं रें गां मं गां रें सं नि सं	गं रें सं धा गा पा गां	रें सं रें सं रें सं नी ध नि	
नजरों के सामने मैं	आता नहीं तुम्हारे	मगर रहते हो हर पल	मंजर में तुम हमारे	
सं रें गं गं मां मं गं पं मं	नी सं रें रें गां गं रें मं गं	ध नी सं सं रें रें सं गं रें	नी धा नि प	नि नी नि ध सां नि ध धा नि प
अगर इश्क से है मिला	फिर दर्द से क्या गिला	इस दर्द में जिंदगी	खुशहाल है	ये दूरियाँ फिलहाल हैं
गं रें सं नि				
ओ				
सां नि सां गां रें	सं रें सं नि सां नि सां गां रें	गं रें सं नि नी ध नी गां रें	नी धा नि प	
खैरियत पूछो	कभी तो कैफियत पूछो	तुम्हारे बिन दीवाने का	क्या हाल है	
सां नि सां गां रें	सं रें सं नि सां नि सां गां रें	गं रें सं नि नी ध नी गां रें	नी धा नि प	
दिल मेरा देखो	न मेरी हैसियत पूछो	तेरे बिन एक दिन जैसे	100 साल है	
सं रें गं गं मां मं गं पं मं	नी सं रें रें गां गं रें मं गं	ध नी सं सं रें रें सं गं रें	नी धा नि प	नि नी नि ध सां नि ध धा नि प
अंजाम है तय मेरा	होना तुम्हें है मेरा	जितनी भी हो दूरियाँ	फिलहाल हैं	ये दूरियाँ फिलहाल हैं

इस गाने का नोटेशन सेंट जोसेफ कालेज की छात्रा सुश्री वी अमिता ने दिया है
और राग व स्वरों की जानकारी सी आर जी (रीफ्रैक्टरी) के उप महाप्रबंधक श्री रविदास एस गोने ने दिया है।

बेटी धन

- डॉ लक्ष्मी शर्मा -

'किसन! ओ किसन बेटा।' भवानी बुआ ने गुवाड़ी के दरवाजे से ही आवाज लगाना शुरु किया तो किसन के कमरे पर आ कर ही रुकी। 'आओ बुआ जी, वो तो दूकान चले गये। माता जी मंदिर गई हैं।' साड़ी के किनारे से भीतर से हाथ पोंछती आरती निकली और भवानी बुआ के पैरों की ओर हाथ बढ़ाया। भवानी उसकी सगी बुआ सास हैं, जो इसी मोहल्ले से जुड़े दूसरे मोहल्ले में ब्याही हैं।

'खुश रह बहू। आज जल्दी चला गया किसन?' आरती चुप खड़ी रही तो बुआ ही बोली 'कोई बात नाहीं, मुझे तुझसे ही काम है।' कहती बुआ अपनी भारी देह के साथ कुर्सी पर पसर गई। 'बुआ जी, पानी। थोड़ा दूध गर्म कर दूँ?' पानी का गिलास पकड़ाती आरती ने पूछा, सबको पता है इस समय बुआ चाय नहीं पीती। 'ना बेटी, इस बखत कुछ नहीं' बुआ भी जानती है कि घर में थोड़ा ही दूध होगा, उसने पी लिया तो इसकी बेटी के लिए नहीं बचेगा।

'किसन का धंधा कैसा चल रहा है?' आरती सदा से कम बोलती है तो बुआ ने ही बात बढ़ाई। 'अब थोड़ा ठीक है बुआ जी, गुजारा चल रहा है।' 'हाँ री, ये मरा किरोना सब को बरबाद कर गया। सत्यानाश जाए इसका, लोकडोन खुला तो लोगों के घर दोनों बखत चूल्हे जलने लगे हैं, सुना था सत्तू मेकेनिक ने बीवी का हार गिरवी रख कर दिन निकाले।' बुआ जमाने भर की खबर रखती हैं, इसलिए मोहल्ले भर में 'भटक भवानी' के नाम से जानी जाती हैं।

'ये लच्छू कहाँ गई, स्कूल तो खुले ना हैं अभी।' 'बुआजी, उसकी ऑनलाइन क्लास होती है और स्मार्ट फोन उसके पापा के पास ही है तो उनके साथ ही दूकान चली जाती है।' बुआ हमेशा लक्ष्या को लच्छू कहती हैं। 'ये मरे नए चोंचले, चौबे की स्कूल में एक ढंग की मास्टरनी तो है ना और फोन पर पढाएँगी, हुंह।'

अगली गली के स्कूल की जानकारी बुआ को न हो ये कैसे हो सकता है। आरती के मन में दुख और गुस्से की लहर उठी पर खुद को दबाए खड़ी रही। वैसे भी चुप रहना उसका स्वभाव है। 'और दूकान पर क्यों भेजती है लड़की को, निरे शोहदे आते हैं वहाँ। भाभी बता रही थी छोरी आठ बरस की हो जाएगी इस चौमासे में।' आरती को फिर ताव आया और वो फिर चुप रही।

'बहू, अब तू जल्दी से एक टाबर और कर ले तो काम निपटे।' आरती के दिन चढ़े हैं, ये बात बुआ को मालूम है लेकिन उनका यही तरीका है बात बढ़ाने का। 'अच्छा सुन, मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ।' बाहर कोई नहीं है फिर भी बुआ ने फुसफुसाकर कहा। आरती ने जरा भी उत्सुकता नहीं दिखाई वो बस खड़ी रही।

'ये ले' बुआ ने इधर-उधर देखते हुए एक मटमैली सी पुड़िया निकाल कर बड़े एहतियात से आरती की तरफ बढ़ाई। 'ये क्या है बुआ जी?' आरती ने पुड़िया छुए बिना पूछा। 'अरी, बेटा है इसमें बेटा...। तेरे लिए गणेश टेकरी वाले बाबा से हाथजोरी कर के लाई हूँ। पूरे तीन दिन चक्कर काटे और एक सौ इक्कावन रुपये दिए तब बना कर दिया है बाबा ने।' बुआ एहसान जताने का कोई मौका नहीं छोड़ती।

'बुधवार की रात लड्डू गोपाल का सुमरन करते हुए इसे दूध के साथ फाँक लेना।' 'मुझे नहीं चाहिए बुआ जी' आरती ने धीमे, लेकिन मजबूत स्वर में कहा। 'ये लो, क्यों नहीं चाहिए? एक खर्चा तो छाती पर धरा ही है, दूसरा आ जाएगा तो क्या करेगी? किसन की हालत ना देखी है, जरा सी कोठरी में किराने की दूकान से कैसे गुजारा चलाता है, उसका दिल ही जानता है। एक छोरी के ब्याह के लिए ही पैसे जुटा ले तो बहुत है, दो-दो का भरना कहाँ से भरेगा?'

'अगर लड़की होने का इतना ही डर है तो ठीक है बुआजी, मैं इस बच्चे को ही गिरवा लेती हूँ। और हाँ, आप माताजी को भी बता देना ये बात।' आरती ने सीधी बात करी, वो जानती है ये पुड़िया किस के कारण उस तक पहुँची है। अपनी सास के पोते के चाव को जानती है वो। 'क्या! बावली हो गई है क्या बहू। बच्चा गिराने की बात कहते लाज नहीं आई तुझे?' बुआ को इस प्रतिक्रिया की जरा भी आंशका नहीं थी।

'आप जो भी समझो, मैं ये पुड़िया नहीं लूँगी बस। और ये बात आप माताजी से भी कह देना।' 'बहू..., तू बात क्यों नहीं समझती? कल को कितनी जिम्मेदारी आ जाएगी किसन पर, वो अकेला क्या-क्या करेगा? पहले ही तुम चार लोग हो, बूढ़ी डोकरी की हारी बीमारी है। घर, दूकान का किराया है। ननद भांजियों का खर्चा है। ऊपर से एक छोरी और हो गई तो?'

'तो क्या हो जाएगा? बच्चे तो बच्चे ही हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। उन्हें पालने-पोसने में खर्च तो उतना ही आता है। और लड़कों की पढ़ाई-लिखाई पर या शादी में खर्च नहीं होता?' आरती बोले जा रही है। बुआ ही नहीं सारा मोहल्ला जानता है कि जब कभी आरती बोलती है तो उसकी बात काटना मुश्किल है।

'बुआ जी, एक बात बताओ, आपकी भी तीन बेटियाँ हैं... हैं ना? तो आपने पहली के बाद ही क्यों नहीं ले ली ये पुड़िया? आपको भी तो तीन बेटियों को पालने में कष्ट हुए होंगे।

फूफाजी भी तो किसी दूकान की मुनीमी ही करते थे ना?' 'अरे बहू! वो जमाने और थे, तब कहाँ थीं गर्भ में बच्चे-बच्ची जानने की मशीनें और दवा देने वाले पंडित जी।' फक्क चेहरे के साथ बुआ ने कहा। पाँच बच्चों के साथ उसने कैसे गिरस्थी चलाई है, उसे सब याद आ गया।

'सच बताना बुआजी, क्या आपको अपनी बेटियाँ बुरी लगती हैं?' 'कैसी बात करती है बहू, अपने बच्चे किसे बुरे लगते हैं।' बुआ के चेहरे पर एक झुंझलाहट सी दौड़ गई। 'पर तू समझ, पहले के जमाने और थे, अब जमाना बदल गया है, अब छोरियों को भी छोरों की तरह पालना-पढ़ाना पड़ता है।' बुआ भी हिम्मत नहीं हार रही। 'हाँ बुआजी, वही तो मैं कह रही हूँ। पहले के जमाने और थे, अब जमाना बदल गया है। पहले की तरह लड़कियाँ पराधीन नहीं रहीं। अब वो पढ़ती-लिखती हैं, अपने पैरों पर खड़ी होती हैं और अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठाती हैं।' आरती बोले जा रही है। 'फिर लड़की ही होगी इस बात की क्या गारंटी है। और हुई भी तो आपके महाराज जी कोई भगवान तो नहीं है जो पेट के बच्चे को लड़की से लड़का कर देंगे।'

'अरी वह कर देते हैं, मेरे सामने ही कई जनानियों के बेटे हुए हैं।' बुआ जी को पक्का भरोसा है। 'अच्छा! मैने तो यही पढ़ा है कि माँ बाप के गुणसूत्र के मिलाप से पेट में पड़ने के साथ ही बच्चे का लिंग तय हो जाता है। यह तो मुझे आज पता चला कि गर्भ रहने के डेढ़ महीने के बाद भी पंडित की दवा बेटी को बेटे में बदल देती है।' आरती का चेहरा लाल हो रहा है।

'नाश जाए इस नए जमाने का, आजकल की छोरियाँ तो जरा भी भगवान और धरम-करम में भरोसा नहीं करतीं।' बुआ को कुछ नहीं सूझा तो जमाने को कोसने लगीं। 'खूब विश्वास करती हूँ बुआ जी, धरम में भी और करम में भी। लेकिन धरम यह तो नहीं कहता कि वंश चलाने के नाम पर लड़के और लड़की में अंतर करो, लड़की हो तो उसकी हत्या कर दो। यह तो पाप हुआ ना। आप ही बताओ किस किताब में लिखा है कि लड़कियों को पैदा होने के पहले ही मार दो। जीव हत्या का पाप नहीं चढ़ेगा? और रही बात करम की, तो मैं अपने करमों के लिए खुद जिम्मेदार हूँ। ज्यादा नहीं तो थोड़ी पढ़ी-लिखी भी हूँ और बदलते जमाने की चाल भी समझती हूँ। और बेटियों के ब्याह की परेशानियों की, जो बात आप करती हैं, बताओ आज किसकी लड़की घर पर कुआँरी बैठी है? आप लोगों ने पेट में ही लड़कियों को मार-मार कर यह हालत कर दी है कि आज लड़के ब्याहने के लिए लड़कियाँ ही नहीं मिलतीं।'

बुआ मुँह बाए भौंचक्की सी आरती की ओर देख रही है, उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा 'कुछ भी हो जाए बेटा तो बेटा ही है, बेटे बिना वंश कैसे चलेगा।' आरती अभी भी तैश में थी, 'किस वंश की बात कह रही हो बुआ जी, आप अपने परदादा के दादा का नाम जानती हो या मैं? बेटे हो भी गए तो कौन से अकबर महान या मुगल सल्तनत का राज-पाट जोड़ लेंगे।'

'बुढ़ापे में बेटियाँ मुँह में पानी ना डालने आएँगी, सेवा बेटा-बहू ही करेंगे।' बुआ के तरकश में अभी भी तीर बचे हैं। 'अच्छा फिर आप अकेली क्यों रहती हो बुआ जी? अपने बड़े बेटे-बहू के पास क्यों नहीं चली जाती?' भवानी बुआ के चेहरे से लग रहा है जैसे अभी रो पड़ेंगी। कौन नहीं जानता कि बड़े बेटे की बहू उनका चेहरा तक नहीं देखना चाहती।

'और हाँ, महेंद्र भी तो तीस साल का हो आया है। अच्छा दिखता है, ठीक-ठाक कमाता-धमाता है, फिर उसका ब्याह क्यों नहीं कर लेतीं, बुढ़ापे में खुद रोटी सेंकती अच्छी नहीं लगतीं।' आरती की सास जाने कब मंदिर से आ गई, लेकिन वो भी चौखट पकड़े सन्न खड़ी रही, इस समय किसी की हिम्मत नहीं है जो आरती को टोके। 'ना ना, बुआ जी आप मत बोलो, मैं जानती हूँ कि उसकी पढ़ाई और कमाई इस लायक नहीं है कि कोई माँ-बाप उसे बेटी दे दे। बेटियाँ हैं ही कहाँ आजकल जो कोई कमजोर घर वर को अपनी बेटी देगा।' 'बहू!'..., अब सास से नहीं रहा गया।

'आप तो चुप ही रहो माता जी, पोता-पोता करती रहती हो, आप के किस बेटे ने निहाल कर दिया, बताओ तो जरा। भैया-भाभी को आप कतई न सुहाती हैं और छोटे वाले काले कोसों शिलांग में बैठे हैं, और ये आपका लाड़ला बेटा किसन, आखिरी बार आप से कब बोला था, ये भी याद है?' 'मैं चलती हूँ भाभी, तेरी बहू से मुँह लग कर बहुत इज्जत बिगड़वा ली।' बुआ

जी रूठ कर उठ खड़ी हुई।

'बुरा न मानिए बुआजी। आप इसी घर की बेटी हो, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। लेकिन जब एक औरत होकर दूसरी औरत के हक में नहीं बोलती हैं, तो दुख होता है। आपको बुरा लगा है तो मैं माफी माँगती हूँ।' आरती का सुर नीचे आ गया। 'वैसे बात तो तू भी गलत नहीं कह रही बहू।' आरती की नरमी से या सच बात के असर से बुआ के होठों पर भी सच आ गया। 'आज तीनों बेटियों का सहारा न होता तो मैं पैसे-पैसे को तरस जाती। बड़े की ओर से तो मैं कभी की मर गई और छोटा जितना सा कमाता है सब अपने शौक-मौज में उड़ा देता है।' बुआ ने पल्लू की खूँट से आँसू पोंछे।

'रोओ नहीं बुआ जी, हम हैं न।' आरती का मन पिघल रहा है। 'और महेंद्र की ओर से भी आप चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो अब हँस दो मैं खाना लगाती हूँ।' 'नमस्ते दादी बुआ' अब तक लक्ष्या दूकान से लौट आई थी। अरे मेरी लड्डी, आ गई मेरी चंदा।' बुआ ने हुलस कर बच्ची को गले लगाते हुए झोले से अंगूर भरा लिफाफा निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। 'तू अकेली सड़क पार कर आ गई, डर नही लगता रास्ते में?' 'डर क्यों लगेगा दादी? मैं बहादुर हूँ, और जानती हो मुझे कराटे भी आता है, कोई कुछ कहेगा तो मैं उसका सिर न तोड़ दूँगी।'

'कराटे! ये कब सीखा तूने?' दोनों बुढ़ियाँ हैरान हैं। 'स्कूल के पास ही एक क्लास है, वहीं जाती है। बुरा मत मानना माताजी, आप को इसलिए नहीं बताया कि आप चोट-चपेट लगने के डर से घबरा जातीं।' 'और फीस के पैसे?' 'चिंता न करो माताजी, आपके बेटे पर कोई बोझ नहीं पड़ा है। जब मैं लक्ष्या को पढ़ाती हूँ, उसी समय इसकी क्लास के तीन बच्चे पढ़ने आते हैं। उनकी मम्मियाँ जो कुछ दे देती हैं, उस से काम निकल जाता है। और गर्मी की छुट्टियों में हॉबी क्लास चलाती हूँ, उन पैसों का सहारा भी है।' आरती के चेहरे पर संतोष दमक रहा है। 'जीती रह बेटी, तू तो बड़ी कमेरी है, किसन के कंधे से कंधा मिला के घर चला रही है और बच्ची की जिंदगी सँवार रही है। आज तूने मुझ बूढ़ी की आँखें खोल दी।' 'कभी-कभी तो मम्मी, नानी, नानू के लिए भी पैसा भेजती है दादी बुआ।' 'अरे वाह बहू, तुझ जैसी बेटी राम जी सब को दे।' बुआ सच में खुश है।

'फिर जल्दी आना बुआ जी, आप बहुत दिन में आती हो।' आरती ने खाना खा कर जाने के लिए तैयार खड़ी बुआ के हाथों में सौ रुपये रखते हुए उनके पैर छू लिए। लेकिन ये क्या, आशीर्वाद देने की जगह बुआ ने आरती का कान पकड़ लिया।' कान खोलकर सुन ले बहू, खबरदार जो इस बच्चे को गिरवाने के लिए सोचा।' बुआ जी की आवाज में पुरानी ठसक लौट आई है। 'जो हुकम सासू सरकार।' आरती ने हाथ जोड़कर कान पकड़े तो सब हँस पड़े। 'चलती हूँ भाभी जय श्री कृष्ण।' बुआ निकल ही रही थी कि पीछे से आरती ने टोका, 'बुआ जी, ये पुड़िया तो लेती जाओ।' 'कचरे के डब्बे में फेंक दे।' बुआ ने जिस तरह कहा, एक बार फिर घर भर में सबकी समवेत हँसी बाहर बोलती चिडियों की तरह चहक उठी।

- वृंदांगन
65, विश्वकर्मा नगर
जयपुर-18
मोबाइल: +91 9414322200

बिल्ली

- श्री महेश केसरी -

उस आकृति को देखकर वहाँ मौजूद लोग कयास भर लगा पा रहे थे। बंटी की माँ शायद किसी काम से बाहर गई थी। राधा देवी की दोनों बेटियाँ जया और खुशबू सामने ही सोफे पर बैठकर बंटी की बातों को केवल सुन भर रही थीं। वो माँ के दशकर्म में शामिल होने के लिए अपने नैहर आई हुई थीं। बंटी अपनी बुआ की बेटी से बोला - 'लगता है दादी (राधा देवी) बिल्ली बन गई हैं।'

सुरभि ने नजदीक जाकर बालू पर उग आई आकृति को बड़े ही ध्यान से देखते हुए बोली - 'नहीं... नहीं..., ये बाघिन के पंजे का निशान जैसा लग रहा है। बिल्ली के पंजे जैसा निशान तो बिल्कुल भी नहीं है।' 'दादी को दूध और दूध से बनी रावड़ी बहुत पसंद है। हो, न हो, दादी बिल्ली ही बनी होंगी।' बंटी अपनी ही जिद पर जैसे अड़ा हुआ था।

सामने ही नौकरानी रमा फर्श पर पोंछा लगा रही थी। बंटी और सुरभि की जिरह से तंग आकर बोली - 'बबुआ, मालकिन (राधा देवी) को जब समय पर रुखी-सूखी रोटियाँ भी नहीं मिलती थीं तो दूध और रावड़ी की बात कौन पूछता है? आखिरी समय में बुढ़िया दवाई के लिए झखती-झखती मर गई। चलो अच्छा ही हुआ। बिल्ली बनी होगी तो आराम से कहीं किसी घर में दूध-मलाई खाएगी।'

- श्री बालाजी स्पोर्ट्स सेंटर
मेघदूत मार्केट फुसरो
बोकारो-829144, झारखंड
मोबाइल: +91 9031991875

लेख

'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

- डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस. -

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम जन के लिए किए जानेवाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने **14** सितंबर **1949** को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष **1975** में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी बातें थीं, जिन पर मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो? इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन-चिंतन कर एक निर्णय पर पहुँचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से **14** सितंबर **1949** के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया।

26 जनवरी **1950** को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद **343** में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद **351** के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहाँ आवश्यक या वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियाँ 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए।' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों, मंत्रालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन प्रतिदिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत', 'स्थानीय के लिए मुखर हों' (Self Reliant India-Be Vocal for Local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' का विस्तार कर रहा है, जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, उसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए? इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छ: डी (D)-(Democracy) लोकतंत्र, (Demond) माँग, (Demographic Dividend) जनसांख्यिकीय विभाजन, (Deregulation) अविनियमन, (Descent) उत्पत्ति एवं (Diversity) विविधता से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने **12** 'प्र' की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है जो निम्न प्रकार से है:

1. प्रेरणा (Inspiration and Motivation):

प्रेरणा का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है, लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं।

2. प्रोत्साहन (Encouragement):

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊँचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

3. प्रेम (Love and Affection):

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है, किंतु कार्यक्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है। यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4. प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards):

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिये जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों/उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/बैंकों/उपक्रमों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टियाँ आती हैं। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला, उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव (राजभाषा) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया। इस कदम का परिणाम यह हुआ कि लगभग छ: महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5. प्रशिक्षण (Training):

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं - आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है। कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों '(Be vocal for local)' अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग के प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6. प्रयोग (Usage):

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं '(If you do not use it, you loose it)', हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन-मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है। इसलिए यह आवश्यक होता है कि भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय-समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग अपने काम में मूल रूप से करें, ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7. प्रचार (Adocacy):

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व - माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट-ब्रैंड राजदूत (Brand Ambessadors) के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रवल था, क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ-स्थानों में पहुँचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम हिंदी भाषा थी, जिससे स्वत: ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों का बड़ा योगदान है, इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की माँग है।

8. प्रसार (Transmission):

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों, जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करें। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए

ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होनेवाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बॉलीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9. प्रबंधन (Administration and Management):

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएँ, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जाँच-बिंदु बनवाएँ और उपाय करें।

10. प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion):

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी, केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएँ। समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी।

11. प्रतिबद्धता (Commitment):

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा) अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं, तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच-बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी करते हैं, तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है, जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है। अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है।

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं, तब इसमें हिंदी में काम-काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन) प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दे और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12. प्रयास (Efforts):

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहाँ कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती हैं कि...

> 'लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
> कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
>
> नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
> चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
> मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
> चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
> आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
> कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।'

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। राजभाषा विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है। विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियाँ (Necessary Conditions) हैं। इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियाँ (Sufficient Conditions) हैं।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएँ, ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत, सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

- सचिव, भारत सरकार
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग,
नई दिल्ली

लौह महिला

- डॉ मंजु शर्मा -

'माँ! आज जल्दी घर आ जा, मामाजी आए हैं' फोन पर बेटी सीमा की आवाज सुन रत्ती को चिंता हुई कि अब सेठाणी जी से कैसे पूछेगी वह घर जल्दी जाने की?

उधर से सीमा फिर बोली 'सुन रही है न, जल्दी आना है, कह दे तेरी मालकिन से... मैं घर जा रही हूँ, ज्यादा धौंस मत सहन कर।' 'चुप कर छोरी... ज्यादा बकबक मत कर... मुझे ज्ञान मत दे, फोन काटती हूँ।' कहकर रत्ती झोले में मोबाइल रख ली।

बेड पर लेटी हुई सेठाणी फोन की बातें तो न सुन सकी, पर अनुमान लगा लिया कि रत्ती को घर जल्दी पहुँचने की ही बात होगी। सेठाणी फटाफट अपनी छठी इंद्री को जगाकर बोली। 'रत्ती... सुन, बाबोसा को जूस निकाल दे और शाम का खाना बनाने के बाद चिप्स, पापड़, कैर और ग्वारफली तल कर कटोरदान भर दे। रात को टीवी देखते हुए कुछ चाहिए न।' रत्ती का मन बुझ गया। घर में भाई आया है, पर वह कितनी बदनसीब है, जल्दी नहीं जा सकती। मोबाइल बजते ही सेठाणी कान उधर लगा लेती है, कैसी बैरण है। एक दिन भी जल्दी नहीं जाने देती।

वैसे वो समझ गई फोन आते ही मा सा (सेठाणी) को भतेरे काम याद आएंगे। यूँ अब सेठाणी भी जानती है कि रत्ती उनकी कुचालें समझती है। मन भी कैसा अजीब है एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कर आता है, सामने वाले के दिल को पढ़ आता है। रत्ती बिन बोले जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगी। 'मा सा आलू चिप्स खतम हो गए। कल तलवा लेना न मँगवा कर' रत्ती इस आस में बोली कि आज जल्दी जाने की बात बन जाए।

'कोई न, तो तू यूँ कर बेसन की मसाले वाली पापड़ी बना ले, संपत को भी चाव है।' कुटिल बुढ़िया हार नहीं मानेगी। शातिर आँखों में शतरंज की गोटियाँ लुढ़का रही थी और चाल भी मारक थी। रत्ती भी कहाँ हार मानना चाहती थी, एक प्रयास की गोटी और सरका दी। 'मा सा संपत भाई सा के तो वैसे भी बी पी बढ़ा हुआ है। डॉकटर ने मना किया है तला-भूना खाने से। दिल्ली से गुलाब भाई सा का फोन आया था। मुझे खास हिदायत दी है कि मैं ऐसी कोई चीज मा सा बाबोसा और संपत भाई सा को न बनाकर दूँ, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाए। पिछले महीने भी तो कांजी वड़े, आलू चाट खाकर आप और भाई सा बीमार पड़े थे, मुझे ही डांट पड़ी गुलाब भाई सा और भाभी सा की।' रत्ती डोकरी को डराने का पूरा प्रयास कर रही थी कि कहीं कोई बात बन जाए।

साथ ही जल्दी-जल्दी भी सब्जी काट रही थी। जितनी जल्दी उसके हाथ काम पर चल रहे थे, उतनी ही जल्दी मा सा का दिमाग भी चल रहा था। झट से मालिकाना अंदाज में बोली, 'देख रत्ती अब तू मुझे डाकधरी तो मत पढ़ा और न ही मेरी हेड मास्टरनी बन।'

गड्डे में धंसी आँखों पर मोटा चश्मा लगाए बुढ़िया एक बार तो बड़े बेटे गुलाब की बात याद करके डर गई। गुलाब फोन पर रत्ती को हिदायतें देता रहता है और अगर फिर किसी की तबीयत बिगड़ी और उसे दिल्ली से भागना पड़ा तो आफत आ जाएगी। सेठाणी ने चुप्पी साधना ही ठीक समझा। कुछ देर आँखों को सारे घर पर घुमाकर कोई काम ढूँढ़ने लगी।

'रत्ती इतनी क्या जल्दी है रोटी बनाने की आराम से बनाना, सब्जियाँ अभी से बनाकर मत रख।' 'क्यों मैं मोडा-सन्यासी हूँ? मेरे घर-बार नहीं?' 'तेवर मत दिखा, कहते ही भड़कती है, रोटी तो रोटी के टेम ही खाई जाएगी न?' 'तो क्या यहीं बैठी रहूँ दिन छिपे तक?' रत्ती ने झट से कह दिया।

'तू आजकल बहुत बोलने लगी, मैं बाबोसा को शिकायत लगाऊँगी देखना।' सेठाणी ने धमकी दी। 'लगाओ... लगाओ शिकायत, ग्यारह बरस से हाड़ गला रही हूँ यहाँ। एक दिन छुट्टी लेते ही पैसे काट लेते हो। दिन-भर काम में जोते रखते हो, नहीं होता अब मुझसे। रख लो कोई और कामवाली', रत्ती भरे गले से बड़बड़ाने लगी। 'आदमी सिर पर नहीं तो सौ खसम बन जाते हैं ...अकेली जान होती तो कुंवा-जोहड़ा ही कर लेती, पण टाबरों के खातिर जिंदा हूँ। और आपकी खुसामद करते ग्यारह बरस बिता दिए।' आँखें गंगा-जमुना की धारें बन गई। एक दुख याद आते ही दुखों का काफिला उसके मन में दस्तक देने लगता है।

महीने में एकाध बार होनेवाले इस तमाशे में अंततः सेठजी को ही बीच-बचाव में आना पड़ता है। अंदर माहौल गर्म देख सेठजी ब्याज-बट्टे का काम बीच में छोड़ जल्दी से आँगन में आकर बीच-बचाव में बोले, 'अरे भाई क्या हुआ? रत्ती बेटा क्यों गुस्सा आया, तू मा सा की बातों की परवाह मत कर। तू जानती है न इतने सालों से ये ऐसी ही पड़ी है। इसके स्वभाव पर मत जा बेटा।' 'नहीं बाबोसा अब और नहीं बस, कोई और रख लो, मैं कहीं भी मजदूरी कर पेट भर लूँगी। नौकरीपेशा कितने ही लोग नोहरे निकाल रहे हैं, पण मैं सोचती हूँ इतने बरसों में जो मोह पड़ गया उसे ठोकर कैसे मारूँ। पर अब और न निभेगा मुझसे।'

'ना बेटी ना, ऐसा मत बोल। हम बूढ़े मायत हैं हमारा भी तो मोह है तुझसे, ऐसे नाराज नहीं होते, श्याणी बेटी है।' अब वो सेठाणी की तरफ मुड़कर बोले, 'ये क्या लगा रखा है भई? अन्नपूर्णा है ये, तेरे-मेरे गोडे किसी काम के नहीं, वो गुलाब और

उसकी बहू कभी आना नहीं चाहते, न हमें वहाँ बुलाते। संपत की गृहस्थी तो वैसे ही बिखरी हुई है, लगाई टावर इसे छोड़ गए, तू मुझे बता कैसे पार पड़ेगी तेरे इस स्वभाव से।'

मोटे चश्मे से झाँकती बुढ़िया बड़बड़ करने लगी। कोई जवाब नहीं सूझता, तब यूँ ही अस्फुट शब्दों से बुदबुदाती है। रत्ती रसोईघर में काम करने लगी। बचा हुआ गुस्सा बर्तनों पर निकल रहा था। सेठजी ने सेठाणी के कान में धीरे से कहा, 'ज्यादा मालकिन मत बन, भाग्य भरे की कोई दूसरी नहीं मिलेगी हमें, और इसे काम का घाटा नहीं।' कुछ देर में रत्ती ने भोजन तैयार कर सेठाणी के आगे थाली रख दी और संपत को भी आवाज दे दी। अब सब चुपचाप खाने में लग गए। कोई चूँ भी नहीं बोला।

शाम चार बजे रत्ती सड़क पर निकली तो सोचने लगी, रोजाना सेठजी-सेठाणी को तरह-तरह के पकवान बनाकर खिलाने वाली मैं अपने बच्चों को साँझ-सवेरे कैसे बहला कर आती हूँ। कभी नमक-मिर्च की पूड़ी, कभी कांदा रोटी, कभी पतली दाल-रोटी। मूँग-मोठ भी भाई के खेत से आ जाते हैं तो सालभर बचाकर काम चला लेती हूँ।

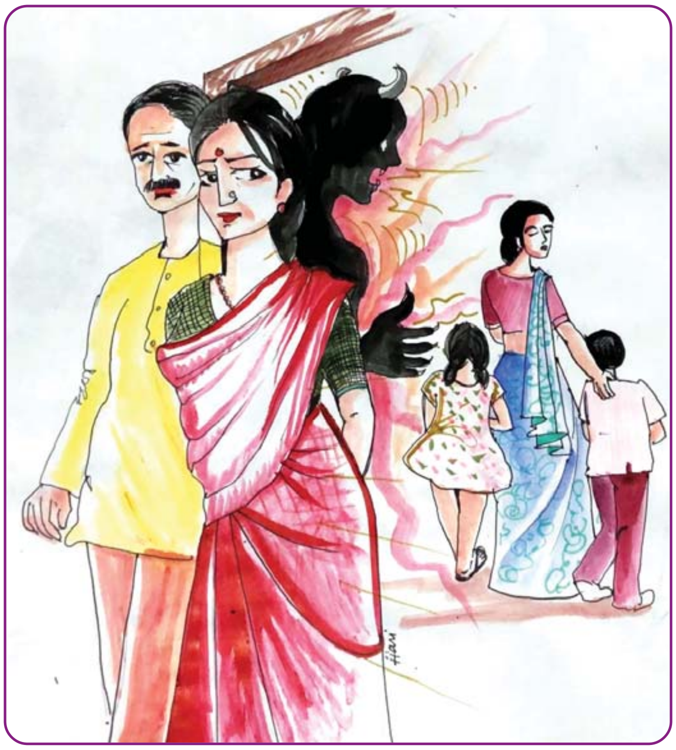

हवेली में तरह-तरह के व्यंजन बना सबको उंगलियाँ चाटने पर मजबूर कर देने वाली रत्ती-पनीर, गट्टे, भरवां सब्जियाँ, हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, गुझिया, पराठे सब बना-बनाकर खिलाती है, तो सेठों के मेहमान बहुत तारीफ करते हैं। सबको व्यंजन परोसते समय अपने घर के खाली कनस्तर उसे बहुत याद आते हैं। यहाँ सबको घी-चीनी डॉक्टर ने बंद कर रखे हैं, तब भी सब खाते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं। इधर उसके बच्चे कमजोर और कुपोषित हैं, पर खाएँ कहाँ से। लड़का सुरेश और लड़कियाँ सीमा और सुनीता सबमें खून की कमी बताई है डॉक्टर ने। बेटे को सूखा रोग हो रहा है। हवेली में पकवान बनाते समय उसकी ममता बहुत रुदन करती है। क्या करे वह, कोई उपाय भी नहीं। बस बेटी से आस है, पढ़ाई में बहुत होशियार है। बी एस सी में पढ़ रही है और कॉलेज के सब गुरुजन कहते हैं कि यह लड़की एक दिन कमाल करेगी। बहुत होशियार है। बस इसी आस में वह जिंदगी की गाड़ी को घिसट कर चला रही।

घर पहुँचते ही भाई ने उलाहना दिया, 'क्या एक घंटे पहले भी नहीं आ सकती भाई से मिलने? अब तो मेरी बस का टेम भी हो गया।' 'भाईजी क्या करूँ सेठाणी के काम सुलटने में ही नहीं आते, आगे से आगे काम ओढ़ाती रहती है।' 'हाँ भई, तू उसके काम करेगी, पण भाई के घर ना रहेगी। इतने सालों से समझा रहा रत्ती तुझे, काहे अपने को झोंक रही? तेरा भाई जिंदा है, अभी तुझे हथेलियों पे रखूँगा, देख भाणिये, भाणकी कित्ते कमजोर हो रहे।'

रत्ती बरसों से चल रही इस मनुहार से ही डरती है। भाई की बात सुनते ही बोली, 'भाईजी सेठ-सेठाणी बुरे नहीं हैं, बेचारे अधमाणस हैं तो कैसे छोड़कर आती काम, वो मेरी बहुत फिकर करते हैं। यहाँ मुझे कोई तकलीफ नहीं और फिर आपका घर तो मेरे लिए सदा खुल्ला ही है, पण जितने दिन निभे उतने दिन काम कर रही हूँ।' कहकर रत्ती ने बेटी को चाय बनाने के लिए कहा।

'मैं तेरे इंतजार में चाय तो कब की पी चुका। अब बहन के घर खा-पीकर क्यों पाप चढाऊँ। चल मैं थोड़े मसाले लाया हूँ, देख ये मिर्च, धनिया, हल्दी और दालें भी हैं', कहकर भाई ने ढेर सारे समान कपड़े-लत्ते आदि कितनी ही चीजों का ढेर लगा दिया। 'तू होशियार है न रत्ती कोई और चीज चाहिए तो बता' कहकर भाई ने पाँच हजार रुपये बहन की हथेली पर रख दिये।

'अब चलता हूँ, ध्यान रखियो अपना, लौहे की औरत है तू भी', कहकर भांजे-भांजियों और बहन के सिर पर हाथ फेरा और रुंधे गले विदा ली। डबडबाई आँखों से बहन जाते भाई की पीठ को गली की मोड़ तक देखती रही। कितनी ही यादें मन में गहराने लगीं। अब तो कलेजा भी लौहे का कर लिया है उसने।

रात खाट पर पड़ी भाई को याद करती रही। वो कहता है 'रत्ती जिद्दी है, सुनती नहीं, पीहर में नहीं रहती।' पर वह क्या करे? आज जो सम्मान दूर रहने पर है, वह साथ रहने पर नहीं होता, वह यह जानती है। यह भी सत्य है कि भाई की जान बसती है उसमें और बच्चों में। पर यह प्रेम बना रहे इसी वास्ते उसने यह कठोर कदम उठाया। जब सीमा के पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, तब छोटे-छोटे बच्चों को लेकर वह महीनाभर भाई के घर ही रही थी। भाई ने बहुत स्नेह लुटाया।

बीते दिनों की खट्टी-मीठी यादें उसकी आँखों के आगे आकार लेने लगी। यूँ तो भाभी भी बहुत अच्छी है, पर भाई

जितनी तो नहीं। भाई से तो माँ पेट का सीर है, पण वो पराई जाई है, उसे क्योंकर ननद इतनी अच्छी लगेगी? ऐसे तो भाभी ने उसे कभी कुछ कहा नहीं, पर बहुत बार इंसान कुछ न कहकर भी सब कुछ जता देता है। भाभी शंकरदेई बहुत चालाक है, भाई के सामने तो बहुत प्रेम दिखाती और भाई के दूकान जाते ही सुबह से शाम रत्ती से कोई बात नहीं करती, बच्चों को भी आपस में घुलने-मिलने नहीं देती। हालांकि भतीजे-भतीजियों का मन करता है सीमा, सुरेश और सरिता के साथ खेलने का। पर वो माँ को देखते ही सहम जाते हैं। भाई शाम को आता तो बहन के पास आ बैठता तभी भाभी भी आ बैठती। तब वह बार-बार आँखें भरकर ननद के दुख में डूब जाती। भाई भी कहता, रत्ती तेरी भाभी तेरी चिंता बहुत करती है, रोजाना मुझे कहती है 'जीजी को अपने ही पास रखूँगी... सच रत्ती ये भी भले घर की जाई है तेरे लिए मेरे साथ खड़ी है।'

वह भी भाई की बात से सहमति जताने के सिवाय और क्या कर सकती थी। भाई को नहीं पता 'जो दिखता है वह सत्य नहीं है। वह क्या बताए कि यहाँ दिन भर क्या होता है। नन्हें-नन्हें भतीजे-भतीजी बिस्कुटों के पैकेट छुप-छुपकर खाते हैं। उसके बच्चे तरसते हैं। दिन पहाड़ की तरह भारी लगता है। शाम को जब भाई आता है, तब कहीं अपनेपन की अनुभूति होती है, वरना दिन भर एक अजनबीपन से घिरी वो अपनी तकदीर को कोसती रहती है।

सुख तो पहले भी नहीं था, पर खुद्दारी से जी रही थी। पति साबुन की फैक्ट्री में काम करता था, ससुर की जमीन में हिस्से में आए दो कच्चे झोंपड़े भी महल से कम नहीं थे। पर किस्मत को यह भी कहाँ मंजूर था। महीने भर बाद जब उसने भाई को कहा कि वो अपने घर जाएगी तो भाई फूट-फूटकर रोया था। भाई ने उसके हाथ को अपने सिर पर रखकर कहा था, 'खा मेरी सौगंध तू नहीं जा रही।' 'मैं जाऊँगी भाईजी, मैं अपने घर को कैसे छोड़ सकती हूँ?' 'तुझे यहाँ कोई कष्ट है क्या? क्या मेरी तरफ से या तेरी भाभी की तरफ से कोई कमी रह गई?' 'ना भाईजी, भाभी और आप तो जान छिड़कते हो, भगवान आपका भला करे, मेरे से भाई-भाभी सबको दे।' 'फिर यह जाने की जिद क्यों? सच बता किसी ने कुछ कहा तुझे? शंकरदेई तूने कुछ कहा इसे?' 'नहीं भाई जी भाभी तो बहुत मान रखती है।'

कुछ डरी सी शंकरदेई बोली, 'जी मैंने तो जीजी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे तो रात-दिन इनकी ही चिंता रहती है।' कह तो दिया, पर शंकरदेई को डर अब भी लग रहा कहीं बहन कुछ कह न दे। हालांकि वह बहुत चतुर है, पति के सामने ननद का बहुत खयाल रखती है... उसको कोई पकड़ ही नहीं सकता। शातिर कातिल की तरह वह अपने गुनाहों का कोई सबूत नहीं छोड़ती। भाई को भनक तक नहीं कि बिन बोले वह सब कुछ कर सकती है। रत्ती ने अपने कानों से सुना उस दिन अपनी माँ से फोन पर बात करती भाभी को कि 'अब तो उस पर ननद की जिम्मेदारी और आ गई। उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। कैसे इतने बड़े परिवार को संभालेगी वह और भाई भी ऐसा, जो बहन पर न्यौछावर है। ये बहन इसे कुछ दिनों में अपने कब्जे में और कर लेगी।'

घर में दो दिन से एक अजीब चुप्पी छाई रही थी। आखिर रत्ती ने भाई को मनाने के लिए बहाना ढूँढ़ ही लिया। वह संकोच करती हुई सी बोली 'भाई जी! देखो मेरे जेठ-देवर मेरे ससुर जी की दी जमीन दबा लेंगे अगर मैं पीहर में बैठी रही तो और वहाँ मैं अपने घर में रहूँगी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी जमीन दबाने की।' 'रत्ती घर कैसे चलेगा बहन, बहुत मुश्किल है तेरा अकेली का जीवन चलाना।'

'भाईजी मैं काम पर जाऊँगी, पढ़ी-लिखी तो नहीं पण, रोटी बनाना झाड़ू-पोंछा करना तो आता ही है, कितनी ही लुगाइयाँ घर के काम करके पेट पाल रही हैं और फिर आपका सहयोग तो रहेगा ही। आप यहाँ जो मदद करते वो मुझे वहाँ भेज देना। फिर धीरे-धीरे मैं हाथ-पैर संभाल लूँगी। जेठ-देवर किसी काम के नहीं, पर फिर भी लोक-लाज के चलते कुछ तो सहारा देंगे ही। मैं आपके घर रही तो कल को कोई ऊँच-नीच हुई या नाते-रिश्तेदारों में बात गई कि ये सासरे नहीं रहती तो बदनामी आपकी होगी।' बहन के तर्कों के आगे भाई को झुकना पड़ा और वहीं से रत्ती का सफर शुरु हो गया। पचास रुपये दिन के देती थी सेठाणी और सुबह आठ से शाम छह बजे तक वो जमकर काम करती।

रत्ती को किसी पड़ोसन ने सेठाणी के घर काम पर ऐसे समय में लगवाया था, जब वो शहर में किसी को नहीं जानती थी। बरसों तक डोकरे-डोकरी का काम डर-डर के करती रही कि कहीं उसे काम से न निकाल दें। पर धीरे-धीरे उसकी पहचान बहुत से लोगों से हो गई और उसे पता चला, कई लोग उसे काम पर रखना चाहते हैं। पर इतने सालों तक इन लोगों की सेवा करते-करते एक मोह के बंधन में बंधी रत्ती अब उन्हें नहीं छोड़ सकती। उनसे खूब झगड़ती भी है, धमकी भी दे देती है काम छोड़ने की। पर अब वह इस बुढ़ापे में उन्हें कैसे छोड़े, बस लड़-झगड़कर पैसे बढ़वा लिए अपनी पगार के।

बेटे सुरेश ने विचारों में डूबी माँ के कंधे को झकझोरा 'क्या सोचने लगी माँ नींद नहीं आ रही क्या?' 'अरे कुछ नहीं बस ऐसे ही सोच की गाड़ी कभी-कभी पीछे सरक जाती है, बहुत से टेसन हैं, जहाँ रुककर लगता है, कुछ भूल आई पीछे, फिर लगता है अब पीछे क्या मुड़ना, जो कुछ है वो आगे ही है और इन हाथों से ही बनाना है। चल, सो जा बेटा मैं भी सोती हूँ, सुबह काम पर जाना है, वही अपना सहारा है।

- विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग
राजकीय लोहिया महाविद्यालय, चुरु (राजस्थान)
मोबाइल: 9414665955

भारत में महिला सशक्तीकरण के प्रयासों में आने वाली बाधाएँ

- डॉ कविता विकास -

आजादी के सात दशक बाद भी स्त्रियों से जुड़ी समस्याओं का पूर्णत: निवारण नहीं हो पाया है। सरकार की नीतियों में स्त्री-विमर्श मुख्य मुद्दा रहा। अनेक नीति संगत बदलाव हुए। कानून की किताबों में उनकी सुरक्षा और उनकी अस्मिता से जुड़े नए पृष्ठ जोड़े गए। फिर भी उनकी स्थिति में कोई सम्माननीय परिवर्तन आया हो, ऐसा नहीं है। आज के ज्वलंत मुद्दों में स्त्री-विमर्श के साथ-साथ पर्यावरण व जल संरक्षण, सामाजिक स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, गरीबी व बेरोजगारी जैसी समस्याएँ देश की प्रगति में बाधक हैं। लेकिन इनमें स्त्री सशक्तीकरण की समस्या सबसे जटिल है, क्योंकि शेष समस्याओं का हल भी इस एक समस्या के निवारण से जुड़ा है।

पीढ़ियों की परंपरा, जिसमें स्त्रियों को एक वस्तु और पुरुषों को कमाने का साधन समझा जाता रहा है, वही बुनियादी तौर पर उनकी कमजोरी का कारण बन गया। इसके कारण वे न केवल अशिक्षित बनी रहीं, बल्कि पुरुषों ने उनके अधिकारों का हनन भी किया है। समाज और देश के विकास में उनका अशिक्षित होना सबसे बड़ा बाधक है। युग बदला, संवैधानिक अधिकार मिले, फिर चेतना की लहर फैली। स्त्रियाँ जब शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगीं तो अपने अधिकारों के प्रति सजग भी होने लगीं, और यहीं से सशक्तीकरण की प्रक्रिया शुरु होती है।

स्त्रियों में बढ़ती जागरूकता के मद्देनजर ही अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाने लगा। इसके बावजूद आज भी उनका औसत विकास दर कम ही है। हालाँकि हमारे समाज में अपने अधिकारों के लिए लड़ना समाज में उथली मानसिकता मानी जाती है। वर्ष **2011** की जनगणना के अनुसार देश में साक्षरता दर मात्र **64.46** फीसदी है, जो पुरुष साक्षरता दर के औसत **82.48** फीसदी से काफी कम है। जब हमारे देश की हर बेटी शिक्षित होगी तो वह अपने अधिकारों के प्रति भी सजग होगी।

भारत में महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। इसकी वजह से आज भी शिक्षा से लेकर नौकरी तक में महिलाओं की भागीदारी कम है। महिला सुरक्षा के लिए इतने कानून हैं, फिर भी कोई ठोस हल नहीं निकल रहा है। शायद इसलिए कि यहाँ विरोधाभास है। क्या हम महिलाओं को तभी सुरक्षित रख पाएँगे, जब तक वे पारिवारिक संरचनाओं से बँधी रहेंगी? पर आश्चर्यजनक व दुखद बात तो यह है कि घरेलू हिंसा और यौन शोषण के आंकड़े बताते हैं कि परिवार भी महिलाओं के लिए सुरक्षित जगह नहीं हैं।

सुरक्षा का अर्थ है, सभी महिलाओं को सशक्त बनाना। साथ ही उन्हें समान नागरिक के रूप में रहने की आजादी देना, उनका यथोचित सम्मान करना। असल में बात यह है कि जो कानून पितृसत्तात्मक मानसिकता के साथ बनाए जा रहे हैं, उनसे हम महिला असुरक्षा का अंत नहीं कर सकते। जरूरी है हम सुरक्षा और सम्मान जैसे शब्दों का कम उपयोग करते हुए सशक्तीकरण, स्वतंत्रता, अधिकार जैसे शब्दों से लैस सकारात्मक भाषा को गले लगाएँ।

स्त्री सशक्तीकरण के क्षेत्र में सुरक्षाजनित समस्या दहेज उत्पीड़न और बलात्कार से भी जुड़ी है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार **2018** के मुकाबले **2019** में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। **2018** में महिलाओं के खिलाफ हुए **3,78,236** अपराधों के मुकाबले **2019** में **4,05,861** अपराध दर्ज किए गए हैं। प्रति एक लाख महिलाओं पर अपराध की दर **62.14%** दर्ज की गई, जो **2018** में **58.8%** थी। स्त्रियों को शारीरिक रूप से कमजोर पाकर दिन दहाड़े उन्हें छेड़ना, फब्तियाँ कसना आदि बहुत ही आम बात हो गयी है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक मोर्चों पर लैंगिक असमानता हर जगह व्याप्त है, जो पुरुषों द्वारा ही गढ़ी हुई है। अन्यथा कोर्ट को यह घोषित क्यों करना पड़ता कि उन्हें भी आत्मसम्मान से जीने का अधिकार है।

हालाँकि पीढ़ियों की सोच को पल में नहीं बदला जा सकता। लेकिन महिलाओं के नए प्रयोगों और उनके लिए बनाए गए नए नियमों और पुरानी प्रथाओं को खारिज करने के उनके प्रयासों को स्वीकृति मिल रही है। जाहिर है, लैंगिक भेदभाव की ओर से आँखें मूँदकर आर्थिक सुधार व महिला सशक्तीकरण के उपाय नहीं किए जा सकते। महिलाओं को भी अपने लिए सकारात्मक माहौल बनाने हेतु अब तक दबी हुई आवाजों को बुलंद करना होगा।

स्त्रियों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना अपूर्ण रह जाने का एक कारण शिशु देखभाल की समस्या का समाधान नहीं होना भी है। दसवीं-बारहवीं तक अव्वल आने वाली लड़कियाँ कॉलेज तक आते-आते शादी व बच्चों में उलझ जाती हैं। भारत में **76%**, नेपाल में **81%** और पाकिस्तान में **66%** महिलाएँ घरेलू कामगार

या फिर छोटे-मोटे काम करती हैं। समन्वित बाल विकास योजना से उन्हें कुछ मदद जरूर मिलती है, पर दिन भर बच्चों की देखभाल इससे संभव नहीं है। सेल्फ एंप्लॉइड विमेंस असोसियेशन के संगिनी केंद्रों में पाँच वर्ष की उम्र तक के बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध है, पर आगे विस्तार होना चाहिए। ऐसे ही असंगठित व संगठित क्षेत्रों में सरकार पितृत्व अवकाश को अनिवार्य बनाए, ताकि शिशु देखभाल के काम को पुरुष भी साझा कर सकें।

यह डिजिटल युग है। अशिक्षित महिलाओं की भारी संख्या ने इंटरनेट प्रयोक्ताओं के रूप में उनकी भागीदारी बहुत कम कर दी है। **2021** में **67%** पुरुष इंटरनेट प्रयोक्ता थे तो महिलाएँ **33%** थीं। ग्रामीण इलाके में तो यह खाई और गहरी है। यह खाई शिक्षा, स्वास्थ्य व वित्तीय सेवाओं तक महिलाओं की पहुँच को रोकती है। इस समस्या से पार पाने के लिए सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की साझीदारी आवश्यक है। आयकर व्यवस्था भी स्त्रियों के श्रम के अनुसार लचीली होनी चाहिए। स्त्रियों के लिए कम आयकर रखते हुए उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इससे महिला रोजगार के प्रोत्साहन में मदद मिलेगी।

लैंगिक आँकड़ा संग्रहण और उसका अनुश्रवण भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। डाटा से ही सफलताओं को मापा जाता है और उस पर आगे बढ़ने की कारवाई की जाती है। आँकड़ों की कमी से किसी भी विकास का अनुश्रवण कठिन है। हर लड़की और महिला की गिनती जरूरी है, उनसे संबद्ध आँकड़े जितने अच्छे होंगे, योजना बनाने और उन्हें लागू करने में उतनी ही सुविधा होगी। महिलाओं से संबंधित आँकड़ों में सुधार के लिए ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने **2016** में 'मेकिंग एवरी विमेन एण्ड गर्ल काउंट' नाम से एक अभियान शुरु किया था। भारत में महिलाएँ भी अर्थव्यवस्था के सुधार में निर्णायक हो सकती है, लेकिन पहले उनका सशक्तीकरण करना होगा।

संचार सुविधाओं में आई क्रांति से उनके प्रयासों को नया आयाम मिल रहा है। आज उनके विवादित मुद्दों को तेजी से सामाजिक माध्यमों में उछाला जाता है। सही-गलत के विचार पोस्ट किए जाते हैं। जब समान विचार वाले लोग जुट जाते हैं तो वे मुद्दे अभियान बन जाते हैं। ये अभियान किसी निर्णय तक पहुँचने में सक्षम होते हैं, जो कि ज्यादातर स्त्रियों के पक्ष में होते हैं।

भ्रूण हत्या पर रोक लगाकर, दहेज प्रथा का समूल नाश करने में स्त्रियों के शिक्षित होने के साथ-साथ पुरुषों के व्यवहार में भी तथ्यात्मक नरमी लाने की जरूरत है। उन्हें भी घर की जिम्मेदारियों में हाथ बँटाना होगा। व्यावसायिक शिक्षा में जिन घरेलू उत्पादों में स्त्रियों की सक्रियता समझी जाती है, उनमें पुरुषों को भी भाग लेना होगा। वर्ल्ड एकनॉमिक फोरम के अनुसार वैश्विक लैंगिक भेदभाव सूचकांक **2016** में **144** देशों की सूची में भारत का स्थान **87** वें पायदान पर है, जब कि **2003** में **17** वें स्थान पर था।

निर्भया कांड के बाद गठित निर्भया फंड में तीन सौ करोड़ की राशि जमा है। इसका उपयोग ऐसे **600** केंद्र खोलने में किया जाना था, जो एक ही छत के नीचे पीड़ित महिला को सामान्य व मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, कानूनी सहायता उपलब्ध करा सकें। लेकिन तंत्र की नाकामी के कारण इस निधि से बहुत ही कम राशि खर्च हो सकी है। महिला उत्पीड़न में पुलिस का असहयोगात्मक एवं असंवेदनशील व्यवहार भी बहुत हद तक जिम्मेदार होता है। पुलिस के उलजुलूल सवालों से बचने के लिए बहुत सी लड़कियाँ अपनी आपवीती भी नहीं बता पातीं। ऐसा पाया गया है कि बेरोजगार युवक इन अपराधिक मामलों में अधिक लिप्त पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक व सामाजिक संरचना भी इन अपराधों के लिए अधिक जिम्मेदार हैं। इसलिए पुलिस, प्रशासन व न्याय-वयवस्था के साथ-साथ रोजगार एवं सामाजिक व्यवस्था में बहुत सुधार की आवश्यकता है।

इन दिनों 'लिव इन रिलेशनशिप' के चलन से असुरक्षा की भावना में कुछ हद तक सुधार हुआ है, लेकिन इससे अवैध प्रेग्नेंसी, समानता की लड़ाई और बीच में अलगाव जैसी कुछ अन्य प्रकार की समस्याएँ सामने आने लगी हैं। इसमें भी पुरुष बहुलतावादी समाज की सोच के कारण महिलाओं का नुकसान अधिक होता है।

हालाँकि हालात बहुत बदले हैं, और भी बदल रहे हैं। इसे हमें रफ्तार देने की जरूरत है। महिलाओं ने अपनी मंजिल सोच ली है। घर-आँगन की रौनक बढ़ाने वाली महिलाएँ अब हर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वे देश की सीमाओं को महफूज रखती हैं। उन्होंने आसमान की ऊँचाइयों को छुआ है, तो सागर की गहराइयों तक को अपने अदम्य साहस का लोहा मनवाया है। कभी खेल के मैदान में तो कभी शिक्षा के क्षेत्र में देश के गौरव को चार चाँद लगाया है। आज हर तरफ महिलाओं की धमक है। सरकारी सेवाओं और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं में भी वे बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यह सच है कि अगर सुविधा लेने वाला जागरूक नहीं होगा तो हमारे सभी प्रयास असफल होंगे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में महिलाएँ और जागरूक होंगी और महिला सशक्तीकरण के प्रयासों में तेजी आएगी।

- डी-15, सेक्टर-9
कोयलानगर
धनबाद-826005, झारखंड
मोबाइल: +91 9934519534

आर आई एन एल के पर्यावरण प्रबंधन पहल

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखपट्टणम भारत का पहला इस्पात संयंत्र है, जिसे पर्यावरण हेतु आई एस ओ 14001 मानक से प्रमाणित किया गया है। संगठन में पर्यावरण संरक्षण के कारण सामग्री की घनता में कमी, ऊर्जा बचत, विषैले रसायनों के विसर्जन में कमी तथा पुन:चक्रण को बढ़ावा देने जैसे व्यापक प्रदूषण नियंत्रण उपाय अपनाये गये हैं। इन्हीं प्रयासों के अंतर्गत संगठन द्वारा पुराने उपस्कर की जगह नई प्रौद्योगिकियों एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपनाते हुए पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित किया जा रहा है।

इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान धूल उत्सर्जन को कम करने एवं बहि:स्रावों के उपचार हेतु 3.0 मिलियन टन उत्पादन स्तर पर लगभग 468 करोड़ रुपये और 6.3 मिलियन टन उत्पादन स्तर पर 1283 करोड़ रुपये के निवेश से प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाये गये। इन उपस्करों के प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रतिवर्ष लगभग 337 करोड़ रुपये का व्यय किया जाता है।

संयंत्र के पर्यावरण प्रबंधन विभाग द्वारा इस्पात उत्पादन प्रक्रिया के दौरान उत्सर्जित विषैले रसायनों एवं बहि:स्रावों के प्रतिकूल प्रभाव से संयंत्र एवं परित: क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। साथ ही ग्लोबल वार्मिंग के नियंत्रण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कई स्वच्छ प्रौद्योगिकियाँ अपनाई जा रही हैं, जिनके माध्यम से अपशिष्ट ऊष्मा, अपशिष्ट गैस, दाब ऊर्जा, ठोस अपशिष्ट, स्लड्ज आदि का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा संयंत्र द्वारा एक वृक्ष प्रति टन इस्पात के लक्ष्य के साथ अभी तक 5.0 मिलियन पौधरोपण किया गया है और संयंत्र 7.3 मिलियन पौधरोपण की दिशा में अग्रसर है।

धूल निष्कर्षण प्रणाली

बेल्ट कन्वेयरों/क्रशरों/स्क्रीन आदि के माध्यम से कच्चामाल प्रहस्तन के दौरान उत्सर्जित धूल की पुन: प्राप्ति एवं पुन: चक्रण हेतु उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर साइक्लोन, स्क्रबर, बैग फिल्टर, इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटर जैसी धूल शमन प्रणालियाँ उपलब्ध कराई गई और सौहार्द्रपूर्ण कार्य वातावरण सुनिश्चित किया गया।

अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियाँ

संगठन में इस्पात उत्पादन प्रक्रियाओं में प्रयुक्त अधिकतम जल के उपचार हेतु व्यापक जल पुन:चक्रण सुविधाएँ प्रचालन में हैं। इसके अलावा अपशिष्ट जल एवं दूषित जल के उपचार हेतु 26 अत्याधुनिक व बहि:स्राव उपचार प्रणालियाँ प्रयोग में हैं। इनमें से बहि:स्राव उपचार संयंत्रों से उत्सर्जित जल के उपचार संबंधी 3 अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियों के अंतर्गत अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एवं रिवर्स ऑस्मोसिम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, ताकि उपचारित जल का विभिन्न प्रणालियों के अंतर्गत पुन: उपयोग किया जा सके। इस पहल से जल की अत्यधिक मात्रा की बचत हो पाई है, जिसका विवरण निम्नवत है:

जल पुन:चक्रण प्रणाली (मैगा गैलन)

जल पुन:चक्रण प्रणाली	2018-19	2019-20	2020-21
वालचेरुवु पुन:चक्रण	364.35	349.63	360
अप्पिकोंडा पुन:चक्रण	185.59	192.46	337
अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट	165.27	177.67	172
कोक ओवेन व कोयला रसायन आर ओ प्लांट	4.54	24.93	20.39
कुल	719.75	744.69	889.39

संयंत्र में लौह व इस्पात उत्पादन के दौरान कोक ओवेन गैस और धमन भट्ठी व एल डी गैस जैसी बहुमूल्य ईंधन गैसों की पुन: प्राप्ति की जाती है। इन्हें शुद्ध करके विभिन्न विभागों में किल्न, पुनर्तापन भट्ठियों, ताप विद्युत संयंत्र में विद्युत उत्पादन आदि प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में पर्यावरण संरक्षण हेतु अपनाये गये विभिन्न पहल:

- चिमनी उत्सर्जन स्तर 100-115 एम जी/सामान्य घनमीटर से 50 एम जी/सामान्य घनमीटर से नीचे बनाये रखने हेतु धमन भट्ठी-1 व 2 एवं सिंटर संयंत्र-1 के 6 इलेक्ट्रो प्रेसिपिटेटरों का पुनरोद्धार एवं उन्नयन
- रूफ टॉप उत्सर्जन एवं सेकेंडरी उत्सर्जन के निवारण हेतु 75.23 करोड़ रुपये की लागत से इस्पात गलन शाला-1 के तीन कन्वर्टरों का पुनरोद्धार
- वालचेरुवु में अपशिष्ट जल उपचार की अतिरिक्त सुविधाओं सहित अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यूनिट एवं अप्पिकोंडा व कोक ओवेन कोयला रसायन संयंत्र में स्थापित आर ओ प्लांट के माध्यम से लगभग 750-800 मेगा गैलन जल की बचत
- कोक ओवेन बैटरी 5 के साथ नये यांत्रिकी, रसायनिक एवं जैविक उपचार संयंत्र के प्रवर्तन से अतिरिक्त बहि:स्राव उत्सर्जन में कमी
- कोक ओवेन बैटरी 5 में उत्सर्जन की रोकथाम हेतु पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण प्रणाली, एच पी एल ए आदि जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं का प्रावधान

- सीमेंट उत्पादन में लाइमस्टोन की जगह धमन भट्ठी स्लैग के उपयोग को बढ़ावा देने, तद्वारा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु सीमेंट संयंत्रों को शतप्रतिशत धमन भट्ठी स्लैग की बिक्री
- माल प्रहस्तन व उसके उपयोग के दौरान उत्सर्जन की रोकथाम हेतु 83 क्षेत्रों में 10 ड्राई फॉग प्रणालियों का प्रवर्तन

- कोयला प्रहस्तन क्षेत्र में उत्सर्जन की रोकथाम हेतु 5 ड्राई फॉग प्रणालियों का प्रवर्तन
- सिंटर मशीन-1, 2 एवं 3 में लाइमस्टोन की जगह अतिरिक्त प्रभरण सुविधाओं के माध्यम से एल डी स्लैग की खपत में वृद्धि

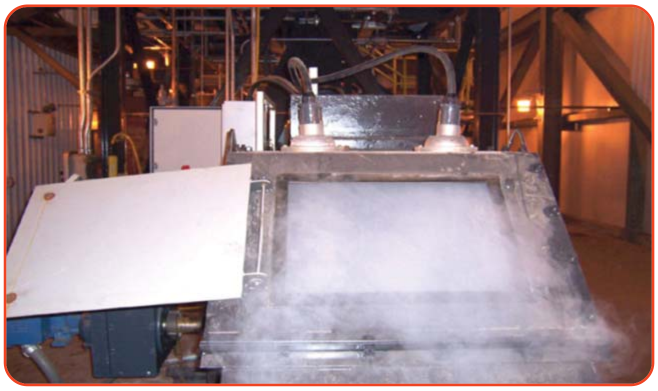

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की सांविधिक आवश्यकताओं के अंतर्गत पाँच बॉयलरों से प्रतिमाह मेसर्स रामको सीमेंट, मेसर्स माई होम इंडस्ट्रीज, तुशाल सीमेंट व अन्य जैसे वाह्य अभिकरणों को 10000-12000 टन ड्राई फ्लाई एश की आपूर्ति
- मौजूदा उत्सर्जन स्तर 115 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर के नीचे लाने हेतु ताप विद्युत संयंत्र के एक बॉयलर के इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर का आवर्धन

पर्यावरण संरक्षण संबंधी भावी योजनाएँ:

- मौजूदा उत्सर्जन स्तर 115 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर के नीचे लाने हेतु ताप विद्युत संयंत्र के शेष 4 बॉयलरों के इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटरों के आवर्धन की योजना है। इसके लिए परामर्शदाता को नियुक्त किया जा रहा है और 4 इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटरों का पुनरोद्धार कार्य जून, 2022 तक पूरा होने का अनुमान है।
- स्टैक उत्सर्जन स्तर 115 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर से 50 मिलिग्राम प्रति सामान्य घनमीटर तक कम करने के लिए सिंटर मशीन-2 के वायु शुद्धीकरण संयंत्र एवं गैस शुद्धीकरण संयंत्र के इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटरों का पुनरोद्धार एवं उन्नयन कार्य फरवरी, 2021 से चल रहा है।
- इस्पात उत्पादन के दौरान उत्सर्जित अपशिष्टों के पुन:चक्रण के लिए अपेक्षित सुविधाओं की स्थापना की जा रही है, ताकि पुन: चक्रण पश्चात अपशिष्टों के उपयोग से इस्पात गलन शाला-1 व 2 के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के 1,50,000 टन प्रतिवर्ष बी ओ एफ ब्रिकेटों एवं सिंटर संयंत्र-1 व 2 के लिए 4,00,000 टन प्रतिवर्ष माइक्रो पेलेटों का उत्पादन किया जा सके। मार्च, 2021 में बी ओ ओ (Build, Own & Operate) आधार पर परियोजना कार्य शुरु किया गया और वर्ष 2022-23 तक इसके प्रवर्तन की योजना है।
- प्रतिवर्ष 1.5 लाख टन फ्लाई एश के उपयोग हेतु आटोक्लेव्ड एरेटेड कंक्रीट ब्लॉक इकाई की स्थापना हेतु निविदा जारी की गई है। तकनीकी विनिर्देशों के मुताबिक दो अभिकरणों को योग्य पाया गया है और भूमि पट्टे पर देने के संबंध में मंत्रालय से अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात संविदा को अंतिम रूप दिया जाएगा।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों का अनुपालन किया जाता है। साथ ही संगठन द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा निर्धारित सभी मानकों एवं दिशानिर्देशों का अनुपालन भी किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाते हुए संगठन द्वारा प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर कर्मचारियों, उनके आश्रितों को पर्यावरण प्रदूषण के प्रति सचेत करते हुए उन्हें पौधरोपण हेतु अभिप्रेरित किया जाता है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में उत्कृष्ट निष्पादन दर्ज करने वाले कर्मचारियों को 'हरित पुरस्कार' देकर सम्मानित किया जाता है।

श्री जी फणि कुमार
महाप्रबंधक (पर्यावरण प्रबंधन) के सौजन्य से

असत्य

असत्य, मिथ्या और झूठ का सामान्य अर्थ प्राय: एक ही है। असत्य का विपरीतार्थक शब्द सत्य अथवा सच होता है। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले सत्य अवतरित हुआ, जिससे पंचमहाभूतों का निर्माण हुआ। परंतु असत्य का निर्माण मनुष्य ने अपनी कल्पना, भूल व अज्ञानवश एवं गलतियों की सजा से बचने के लिए कर लिया है।

शास्त्रों में तो ब्रह्म को 'सत्य' और जगत को 'मिथ्या' अथवा 'असत्य' करार दिया गया है। क्योंकि सत्य का विनाश नहीं होता और जगत का विनाश अवश्यंभावी है। शास्त्रों में विभिन्न विद्वानों ने तथा अध्यात्मिक व धार्मिक समाज में कथा वाचकों व उपदेशकों के द्वारा कभी-कभी जगत की असत्यता या नश्वरता को इतना निकृष्ट व दोषपूर्ण बता दिया जाता है कि एक सामान्य मनुष्य दिग्भ्रमित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इस जगत में रहना है या नहीं। कई बार इन्हीं भ्रामक व काल्पनिक व्याख्याओं के कारण कई नौजवान संन्यास धारण कर लेते हैं और अकारण व अस्त-व्यस्त तरीकों से सत्य अथवा ब्रह्म का अन्वेषण करते रहते हैं।

तर्क यह है कि यदि जगत वास्तव में मिथ्या है तो प्रकृति ने इसका निर्माण ही क्यों किया? इसमें माया का भाव क्यों भरा? चर-अचर के लिए जीवन-मरण का उपक्रम क्यों बनाया? इस तरह सोचने से तो संसार महत्वहीन है। फिर प्रश्न यह उठता है कि यदि संसार इतना ही महत्वहीन है तो इसके लिए संत-महात्माओं, ऋषि-मुनियों से लेकर राजा, रंक व फकीर तक क्यों इसकी माया में डुबकी लगाना चाहते हैं अथवा इसका आनंद लेते हैं?

वस्तुत: जगत मिथ्या का अर्थ मात्र उसकी नश्वरता तक ही सीमित है। यह सच है कि जगत अल्पायु है, पर इसमें बसे आकर्षण, आनंद, मानसिक व शारीरिक सुख, छद्म ऐश्वर्य आदि सभी को आकर्षित करते हैं और अल्प समय के लिए ही सही सभी उसका आनंद उठाना चाहते हैं। इस प्रकार आधुनिक परिस्थितियाँ तो यही कहती हैं कि ब्रह्म और जगत दोनों ही सत्य हैं, क्रमश: एक अमर है तो दूसरा नश्वर और जगत भी ब्रह्म का एक अंश है, जो मिट कर ब्रह्म में समाहित हो जाता है।

असत्य की व्याख्या का एक सांसारिक अथवा व्यावहारिक पक्ष भी है। मान लीजिए, एक हिरण जंगल में चहल कदमी कर रहा हो और अचानक कोई शेर उसका शिकार करने के उद्देश्य से उसे दौड़ा ले। अब हिरण को अपनी जान बचानी है। पहले वह सीधी रेखा में भागता है और जब शेर अपनी वेग को बढ़ाकर उसका पीछा करते हुए उसके बहुत नजदीक आ जाता है, तब वह शेर को भ्रमित करने के लिए अचानक अपनी दिशा बदल कर विपरीत दिशा में भागने लगता है और इस प्रकार अधिक वेग होने के कारण शेर से बहुत आगे निकल जाता है और जब तक वह शेर पुन: मुड़कर हिरण का पीछा करता है, तब तक हिरण और शेर के बीच का फासला काफी बढ़ जाता है।

शास्त्रों के अनुसार हिरण का व्यवहार प्रथम दृष्ट्या मिथ्या कहलाएगा। क्योंकि उसने किसी को दिग्भ्रमित किया है। लेकिन न्याय के तर्कानुसार हिरण का अपनी जान बचाने के लिए ऐसा करना उचित है। शेर को क्या अधिकार है कि वह किसी की जान ले? लेकिन पुन: एक प्रश्न उठता है कि शेर तो हिंसक व माँसाहारी प्राणी है और उसका निर्माण तो स्वयं प्रकृति ने ही किया है। फिर प्रकृति दोषी कैसे हो सकती है? इसीलिए विज्ञान में 'सभी प्राणी एक दूसरे पर निर्भर हैं' पढ़ाया जाता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सांसारिक सत्य-असत्य और सच-झूठ देश-काल-परिस्थिति के अनुसार उचित-अनुचित होते हैं। जैसे कि अंग्रेजों के अनुसार सरदार भगतसिंह व अन्य क्रांतिकारियों की बगावत देशद्रोह अथवा आतंक की श्रेणी में गिना जाता था। परंतु भारतीय जनमानस की दृष्टिकोण से वह देशप्रेम व स्तुत्य कर्म है। अत: देश-काल-परिस्थिति के अनुसार सत्य-असत्य दोनों ही आवश्यक भावनाएँ हैं। बस ध्यान यह रहना चाहिए कि किसी असत्य से किसी को किसी तरह की क्षति न हो।

शास्त्रों के अनुसार अपनी जान बचाने के लिए तो असत्य का सहारा लिया जा सकता है। महाभारत कथा में तो मिथ्या भाषण, मिथ्या सूचना और मिथ्या कर्म के कई उदाहरण मौजूद हैं। असत्य व्यावहारिक रूप से लोक जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। इसके बिना कई बार लोक-व्यवहार भी बाधित होता है। कभी-कभी असत्य से लोक-जीवन आकर्षक व सकारात्मक होता है। कई बार असत्य के प्रयोग से लोक जीवन की रक्षा भी होती है।

अस्तु, असत्य सर्वदा निंदनीय ही नहीं, बल्कि कभी-कभी श्लाघनीय भी होता है। असत्य भी अन्य मानवीय भावों की भाँति एक अत्यंत आवश्यक भाव है, जो शास्त्र सम्मत एवं लोक हितकारी है। लेकिन असत्य की एक सीमा है। उस सीमा के बाहर जाते ही असत्य अनुचित और अन्यायपूर्ण बन जाता है। इस सीमा को पार करने का दुस्साहस करना न्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन होता है और दंडनीय भी। असत्य के उपयोग को वर्जित तो किया जा सकता है, लेकिन उसका निषेध नहीं किया जा सकता। असत्य विश्व व्यापार को आगे बढ़ाने का मुख्य आधार होता है। इसके आड़ में आर्थिक लाभ-हानि की अर्थ-नीति खूब पुष्पित-पल्लवित होती है और इसका उपयोग करने वाला महान कहलाने लगता है।

कविता

डॉ अनु अनामिका की कविताएँ

माँ अकेली रह गयी

माँ अकेली रह गयी
खाली समय में बटन से खेलती है

वे बटन जो वह पुराने कपड़ों से
निकाल लेती थी
कि शायद काम आ जाए बाद में

हर बटन को छूती
उसकी बनावट को महसूस करती
उनसे जुड़े कपड़े और कपड़े से जुड़े लोग
उनसे लगाव एवं बिछड़ने को याद करती

हर रंग हर आकार व बनावट के वे बटन
ये पुतली के छठे जन्मदिन के गाउन वाला
लाल फ्राक के ऊपर कितना फबता था न

मोतियों वाला ये सजावटी बटन
ये उनके रेशमी कुर्ते का बटन
ये बिट्टू के फुल पैंट का बटन

कभी अखबार पर सजाती
कभी हथेली पर रख खेलती
कौड़ी, झुटका खेलना याद आ जाता
नीम पेड़ के नीचे काली माँ मंदिर के पास

फिर याद आ गया उसे
अपनी माँ के ब्लाउज का बटन
वो हुक नहीं लगाती थी
कहती थी बूढ़ी आँखें बटन को
टोह के लगा भी ले
पर हुक को फँदे में टोह कर
फँसाना नहीं होता

बाबूजी के खादी के कुर्ते का बटन
होगी यहीं कहीं, ढूँढ़ती रही दिन भर

अपनों को याद करना भूल कर
दिन कटवा रहा है बटन
अकेलापन बाँट रहा है बटन।

माई ली गाँव की बच्चियों की कब्र (1968)

माई ली गाँव में मारी गयी
कुछ बच्चियाँ शिन्ह पेंटिंग बन गयीं
कुछ फूलों की क्यारियाँ
कुछ प्राचीन लाल टाइलों वाली छत
और दीवारें

कुछ अब भी विचरती रहती हैं
गोल नाव में बैठकर, वे देखती हैं
कभी आकाश, तो कभी नारियल के पेड़

संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में रो रही थी
एक ईराकी लड़की
उसके रोने भर से जाग गयी थी कब्रों में
सोयी, उन बच्चियों की आत्माएँ
जिनके देह पर उम्र से ज्यादा बड़े घाव थे

उस यजीदी लड़की ने एक बार कहा था
कि काश युद्ध में सतायी गयी वह अंतिम
लड़की हो पाती
और आमीन से गूँज उठी थीं सब कब्रें।

लज्जा परंपरा है

माँ! टीका कितना सुंदर है?
रख दे ठीक से।
मुझे दोगी?
नहीं?
क्यों?
भाई की पत्नी को दूँगी।
क्यों?
तू पराया धन है,
तुम्हें क्यों दूँगी?
बेटी के हाथ से लेकर
माँ ने डिब्बे में रख दिया
बेटी ने उस दिन ही अपनी सब चाहें डिब्बे
में रख दिया, और
परायेपन को नम आँखों से ढोती रही
उसकी चुप्पी को लज्जा और
त्याग को परंपरा कह दिया गया।

अवसाद

मैं उम्र के चौथे दशक में हूँ
एक रिक्ति है
जो दीवारों से घिरती जाती है
अकेलापन भीतर की ओर ढहाता जाता है
प्लेटफार्म सी आँखें
इंतजार में हैं रेल के
जिससे मित्र आएगा

मन में मित्र को बुनते रहना
कितना श्रमसाध्य है!
खाँचा बना कर हर मिली मूरत को
उसमें समायोजित करने की
कठिन जद्दोजहद
उम्मीद फाँसी के फंदे की तरह
आ लटकती हैं
चेहरे के ठीक सामने गले के बिल्कुल पास

ज्यों ज्यों रिक्ति गहरा होता है
और अंधेरा बढ़ता है
दीवारें पहले से ज्यादा अभेद्य हो जाती हैं
ख्वाबों में विपदाएँ पीछा करती हैं
कलम किताब से अलग खड़ी
मैं व्यक्ति ढूँढ़ती हूँ
कुछ सफेद नीले चेहरे रंग पुते
सामने विचित्र मुद्राओं में खड़े

मित्र की तलाश
जो बैठे थामे हाथ सुने घंटों
तोड़ी चुप्पी साथ हँसे साथ रोए
जो निर्णय नहीं दे सलाह भी नहीं
पर समझ सकने का हुनर रखता हो

इससे पहले कि उन दीवारों के भीतर
अवसाद की कंटीली झाड़ियाँ उग आएँ
साँपों की नस्लें फुफकारें
विष के चढ़ने से ठीक पहले
मुझे ढहानी होंगी दीवारें
वे अभेद्य किले
भरना होगा उस रिक्ति को
कविता से या फूलों की खेती से।

कविता

पूरा वृक्ष

मैं सिर्फ खोह नहीं पूरा वृक्ष हूँ
मैं सिर्फ योनि नहीं
जहाँ मेरी सारी इज्जत
और पवित्रता को स्थापित कर रखा है

मैं पूरी शख्सियत
मजबूत सवल सफल
किसी ने चोट दिया तन हार गया होगा
मन कभी नहीं हारेगा
नेपथ्य से कहा था
अव सम्मुख आकर कहूँगी
मैं नहीं हारूँगी

खोह में विषधर की घुसपैठ
मैं रोक नहीं पाती
पर इससे मेरी जड़ें भी हिल नहीं पातीं
मेरा बढ़ना, फलना, फूलना
इससे कम नहीं होता
मैं वृक्ष ही रहती हूँ

कितने पत्ते टूटे
कितनी टहनियाँ आँधी उड़ा ले गयी
पर मैंने नये पत्ते गढ़े
नयी टहनियाँ उपजाई
अपने बीजों से नए वृक्ष बनाए
मैं सिर्फ खोह नहीं पूरा वृक्ष हूँ

मेरे खोह से वहते लाल रक्त को
अपावन मत कहना
इसमें सृजन की आश्वस्ति है
इसमें सततता का दंभ है,
यह यूँ ही लाल नहीं
इसमें जीवन की हुँकार है
प्राण उगाने की शक्ति है
ये सुंदरतम स्राव है मेरा
जीवन से भरा
इसमें सोंधी सुगंध मातृत्व की
श्रृंगार मेरा, पहचान मेरी
सब कुछ न भी हो
पर वहुत कुछ है ये मेरा।

न्यूटन का तीसरा नियम

तुम मेरे लिए शरीर मात्र थे
क्योंकि मुझे भी
तुमने यही महसूस कराया
मैं तुम्हारे लिए आसक्ति थी, तो तुम
मेरे लिए प्रार्थना कैसे हो सकते हो?

मैं तुम्हें आत्मा नहीं मानती
क्योंकि तुमने मुझे अंत:करण नहीं माना।
तुम आस्तिक धरम करम मानने वाले,
मैं नास्तिक! न भौतिकवादी
न भौतिकीविद
पर फिर भी मानती हूँ,
न्यूटन का तीसरा नियम
क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है
और हम विपरीत दिशा में चलने लगे

तथाकथित प्रेम

अलप्पुझा रेलवे स्टेशन पर,
ई एस आई अस्पताल के पीछे जो मंदिर है
वहाँ मिलते हैं,
फिर रेल चढ़कर दरवाजे पर खड़े होकर,
हाथों में हाथ डाल वस एक वार जोर से हँसेंगे

वस इतने से ही वहती हरियाली में वने
ईंट और फूस के घरों से झाँकती
हर पत्थर आँखों में एक संशय दरक उठेगा,

डिव्वे में वैठी
हर सीट पर लिपटी फटी आँखों में
मेरा सूना गला और तुम्हारी उम्र चोट करेगी,
मेरा यौवन मेरे साधारण चेहरे पर भारी,
तेरी उम्र तेरी छवि को लुढ़काकर
भीड़ के दिमाग में ढनमना उठेगी

चरित्र में दोष ढूँढ़ते चश्मों में वल्व जल उठेंगे,
हमारी आँखों की भगजोगनी भूक-भूक
उनकी आँखों के टार्च भक से,

हम पलकें झुकाएँगे और भीड़ हमें दिन दहाड़े
या मध्यरात्रि में मौत की सेंक देगी,
तथाकथित प्रेम, मिट्टी से रिस-रिस कर
उस नदी में मिल जाएगा
जिसे लोग पेरियार कहते हैं।

लड़कियाँ जो दुर्ग होती हैं

जाति को कूट पीस कर खाती
लड़कियों के गले से
वर्णहीन शब्द नहीं निकलते
लेकिन निकले शब्दों में वर्ण नहीं होता

परंपराओं को एड़ी तले कुचल चुकी
लड़कियों के पाँव
नहीं फिसलते
जब वे चलती हैं, रास्ते पत्थर हो जाते हैं

राख लड़कियों के देह की माटी से वनी हैं
सभी देव प्रतिमाएँ
इसलिए ईशपूजा से भागती हैं ये लड़कियाँ।

जो लड़कियाँ धर्मच्युत बताई जाती हैं
वास्तव में धर्ममुक्त होती हैं

धर्म को ताक पर रख चुकी लड़कियाँ
स्वयं पुण्य हो जाती हैं, और वताती हैं
पुण्य कमाने से नहीं,
खुद को सही जगह पर
खर्च करने से होता है

वे न परंपरा ढोती हैं
न त्यौहार, वे ढूँढ़ती हैं विचार
वे न रीति सोचती हैं न रिवाज
वे सोचती हैं आज, नई तारीख लिखती
इन लड़कियों की हर यात्रा तीर्थ है

जाति, धर्म और परंपरा पर
प्रवचन नहीं करनेवाली
इन लड़कियों की रीढ़ में लोहा
और सोच में चिंगारी होती है

ये अपनी रोटी ठाठ से खाते वक्त
दूसरों की थाली में नहीं झाँकतीं
ये रेत के स्तूप नहीं वनातीं
क्योंकि ये स्वयं दुर्ग होती हैं।

- अनामिका विल्ला, मकान नं.31,
कावु लेन, श्रीनगर, वल्लकादाउ,
त्रिवेंद्रम-695008
मोवाइल: +91 8075845170

डॉ जीवन एस रजक की कविताएँ

तुम

तुम मेरी जंदगी हो
या शायद
जिंदगी से थोड़ी - सी कुछ ज्यादा
शायद मेरी आत्मा
या आत्मा का परमसत्
मैं, अब मैं कहाँ हूँ
मेरे भीतर तो तुम जी रही हो
तुम्हारे होने से ही तो मैं हूँ
अगर तुम न रहोगी मेरे साथ
तो मैं, मैं कहाँ रहूँगा?
तुम मेरा अस्तित्व हो
या शायद
मेरे अस्तित्व से कुछ ज्यादा

तुम्हारे न होने का अर्थ

तुम्हारे न होने का अर्थ
तुम्हारा न होना नहीं है
क्योंकि मेरे जीवन में
ऐसा कोई क्षण नहीं होता
जब तुम मेरे साथ नहीं होती
तुम्हारे न होने का अर्थ
सिर्फ इतना है कि तुम
आ जाती हो मेरे और भी करीब
समा जाती हो अंतस में
और अधिक भीतर तक
तुम्हारे न होने का अर्थ
सिर्फ इतना है कि फिर
मिट जाता है भेद
तुम्हारे और मेरे होने का
तुम्हारे न होने का अर्थ
सिर्फ इतना है कि फिर
अपनी-अपनी देह छोड़कर
एक हो जाती हैं दो आत्माएँ।

तब बहुत याद आती हो तुम

रात्रि के अंतिम प्रहर
नितांत एकाकी क्षणों में
जब विदा ले रहा होता है तिमिर
और सूर्य की किरणें आकाश को चीरकर
बेचैन होती हैं समा जाने को धरा में
तब तुम बहुत याद आती हो
जैसे मंदिर की घंटियों में
स्वमेव बज उठता है संगीत
जैसे चंद्रमा का आकर्षण
उत्पन्न कर देता है ज्वार
जैसे किरणों के स्पर्श से
खिल उठते हैं पुष्प
प्रेम के उन नितांत अकेले क्षणों में
रहना चाहता हूँ मैं सिर्फ तुम्हारे साथ
महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारा स्पर्श
और तुम्हारा हृदयस्पर्शी आलिंगन
लेकिन तुम कोई ख्याल तो नहीं हो न
जिससे तृप्त हो सके अंतर्मन
तुम शाश्वत हो न प्रिय
इसलिए प्रेम के उन मधुर पलों में
रह जाता हूँ मैं नितांत अकेला

मेरा तत्व ज्ञान

मेरे भीतर एक प्रवाह है
लेकिन मेरा तत्व ज्ञान
किसी अलौकिक शक्ति की ओर
उन्मुख नहीं है
मेरी आकांक्षा
सिर्फ तुम तक पहुँचने की है
तुम्हें पाकर अभिभूत होना चाहता हूँ मैं
तुम्हारे प्रेम की एक बूँद
संपूर्ण सागर को
प्रतिबिंबित कर रही है मेरे भीतर
अपने भीतर
भर लेना चाहता हूँ तुम्हें
तुम्हारे अंर्तमन से
करना चाहता हूँ साक्षात्कार
मेरा यही तत्व ज्ञान है

मैं तुम्हें सिर्फ प्रेम ही नहीं करता

मैं तुमसे सिर्फ प्रेम ही नहीं करता
तुम्हें अपने भीतर जीता भी हूँ
कदाचित मैंने
तुम्हारे लिए ही जन्म लिया है
जीवन की कठिनतर यात्रा में
राह के किनारे की तरह
थामकर तुम्हारा हाथ,
चलूँगा अंतिम छोर तक
मेरा सर्वस्व तुमसे शुरु होकर
तुम पर ही हो जाता है खत्म
देह के पंच तत्वों का तुम्हीं सत्व हो,
राख के बिकरे हुए कणों के अतिरिक्त
कुछ भी नहीं हूँ मैं तुम्हारे बिना
तुम मेरे पुरुषार्थ की बुनियाद हो
तुम्हारा निश्छल प्रेम
मेरी धार्मिक आस्थाओं का उत्कर्ष है
तुम्हारे होने से ही अर्थपूर्ण है मेरा जीवन
तुम मेरी समस्त कामेच्छाओं की पूर्णता हो
अपनी आत्मा तुम्हें सौंपकर
स्वयं को रिक्त कर लिया है मैंने
कोई संशय नहीं रह गया है
मोक्ष मिलने में

यह भी तो सुख है

सुख तो यह भी है
कि मैं
आँखें बंद करके
देखता हूँ तुम्हें अपने भीतर
याद करता हूँ
तुम्हारे साथ बिताए मधुर पल
तुम्हारे प्रेम को
समझता हूँ अपना सौभाग्य
तुम्हारे समर्पण को
करता हूँ अनुभूत, पल-प्रतिपल
यह भी तो सुख है
कि मैं
सपनों में ही सही
जी-भर जी लेता हूँ तुम्हारे साथ

तुम्हारे बिना मैं शून्य हूँ

तुम मेरा दर्शन हो
मेरे चिंतन का केंद्र
और अध्यात्मिक अभ्युदय

तुम्हारा प्रेम
मेरी आत्मशक्ति है
एक परम शुभ है
अनिर्वचनीय सत् की तरह

निराकार व्रह्म के सदृश
समाहित हो तुम
मेरी आत्मा के अंत:पृष्ठ पर

तुम से ही जागृत हैं
मेरे प्राण और मेरी चेतना
तुम्हारी अनुभूति
लौकिक सुख है
और इहलौकिक परम सुख

तुम्हारे बिना
मैं एक शून्य हूँ
सिर्फ एक शून्य
और इससे अधिक कुछ नहीं

बहुत कुछ होता रहा

वहुत कुछ होता रहा
तुम्हारे जाने के वाद भी
श्वासें चलती रहीं
हृदय धड़कता रहा
तुम एहसास बनकर
कंपित होते रहे मेरे भीतर
तुम्हारी यादों के टुकड़े
निपट सन्नाटे को चीरकर
अक्सर तड़पा जाते हैं मुझे
और मेरी रक्तिम आँखों से
रिसने लगती हैं
ताजी गर्म ओस की बूँदें

दूर जाने के वाद भी
तुम दूर नहीं हुए मुझसे
मेरे अंतर्मन में
शाश्वत विद्यमान हो तुम
साँसों में
धड़कनों में
और वहते आँसुओं में

तुम्हें न पा सकने से

चिंतित है अंतर्मन
थका हुआ सा है स्पंदन
कुछ न्यून हो गई है प्राण वायु
उद्विग्न सी हो गई हैं आँखें
वेदना का क्षितिज
उतर आया है आँसुओं में
और व्यथित हृदय में
गहरा गया है एक अपरिमित नैराश्य
तुम्हारे न होने से

तुम्हारी स्मृतियों की सरिता से
अंजुली भर जल लेकर
रक्षित कर रखा है प्राणों को
जानता हूँ मैं मेरे आँगन में
कभी नहीं आओगी तुम,
वर्षा की वूँदें बनकर
फिर भी चातक की तरह
जिये जा रहा हूँ मैं

तुम्हें न पा सकने से
सूनी हो गई है मेरी दुनिया
लेकिन विरह की आघात से
कई गुणा वढ़ गया है मेरा प्रेम
तुम्हारे लिए

मेरी दुनिया में अंधेरा

कितना खूवसूरत है
दिन और रात के बीच
तुम्हारे वारे में सोचना
दूर क्षितिज में उत्तरोत्तर
व्याकुल धरा और आतुर रवि का
हो रहा अभिराम एकाकार
और मैं डूवता जा रहा हूँ
तुम्हारी यादों के अगाध सागर में
याद है तुम्हें
धरती और सूरज की तरह
एक सुहानी शाम, मिले थे हम
पलकें वंद करके तुमने
अपनी साँसों में समेट लिया मुझे
अभी भी ताजा है
तुम्हारी सुगंध अंगुलियों में

आज की शाम
खत्म होती प्रभा
और तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी
यादों के साथ
विल्कुल अकेला हूँ मैं
मेरी दुनिया में
हर तरफ छा गया है अंधेरा
तुम्हारे न होने से

दूर होने का अर्थ

दूर होने का अर्थ
हमेशा दूर होना नहीं होता
जैसे तुम
दूर जाने के वाद
आ जाती हो
मेरे और भी करीब

दूर होने का अर्थ
हमेशा भूल जाना या
भुला देना नहीं होता
जैसे तुम
जव दूर जाती हो
तव आती हो मुझे
और भी ज्यादा याद

दूर होने का अर्थ
प्रेम का उत्सर्ग नहीं होता
जैसे तुम
जव दूर जाती हो
तव और भी वढ़ जाता है
मेरा प्रेम तुम्हारे लिए

दूर जाने का अर्थ
हमेशा विछड़ना नहीं होता
जैसे तुम
जव दूर होती हो
तव अच्छा लगता है मुझे
तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करना

- डिप्टी कलेक्टर
'कला निकेतन' गांधीनगर
आज्ञाराम कॉलोनी
विदिशा - 464001
मोवाइल: +91 9826333598

बाल कविताएँ

काश! जिंदगी किताब होती

काश! जिंदगी सचमुच किताब होती
पढ़ सकती मैं कि आगे क्या होगा?
क्या पाऊँगी मैं और क्या दिल खोएगा?
कब थोड़ी खुशी मिलेगी,
कब दिल रोएगा?
काश! जिंदगी सचमुच किताब होती,
फाड़ सकती मैं उन लम्हों को
जिन्होंने मुझे रुलाया है
जोड़ती कुछ पन्ने जिनकी
यादों ने मुझे हँसाया है
हिसाब तो लगा पाती,
कितना खोई, कितना पाई?
काश! जिंदगी सचमुच किताब होती,
वक्त से आँखें चुराकर पीछे चली जाती
टूटे सपनों को फिर अरमानों से सजाती
कुछ पल के लिए मैं भी मुस्कुराती,
काश! जिंदगी सचमुच किताब होती।

- सुश्री के किरणमयी
कक्षा दसवीं, सी
केंद्रीय विद्यालय, उक्कुनगरम
विशाखपट्टणम

मुझे पसंद है

हम सब अपने घरों में बंद हैं,
पर यह वक्त मुझे पसंद है।
मम्मी-पापा रहते हैं आस-पास,
खेलते-खाते-हँसते हैं साथ-साथ,
पहले कभी ऐसा यहाँ नहीं हुआ था,
कोई ना कोई हमेशा नामौजूद होता था।
वक्त जैसे नया सवेरा लाया है,
हम सबको फिर से साथ मिलाया है,
घर में खुशियों की तरंग है,
रंगीन चित्रों से सजी दीवारें भी संग हैं।
हम सब अपने घरों में बंद हैं,
पर यह वक्त मुझे पसंद है।

- मास्टर नैतिक शर्मा
कक्षा छठवीं, बी
केंद्रीय विद्यालय, उक्कुनगरम
विशाखपट्टणम

वसंत ऋतु

हो गया शिशिर का अंत
आ गया मधुर वसंत,
डाल पे रसाल के पिक कूकने लगे, बल्लरी, लता के कुंज में
ले मकरंद पुंज चंचरीक मंजरी में रस घोलने लगे
खेत में किसान के, सरसों में
फूल लगे डाल-डाल पात-पात
मस्ती में झूमने लगे।
फागुन की बेला में खुशियों के
मेला में बाल वृंद वृद्ध, तरुण
होली खेलने लगे।
पेड़ों में फूल लगे, फल झूलने लगे
आम के टिकोरा पर, जामुन के कोश पर
देख-देख लोगों के मन डोलने लगे
फाग में, अनुराग ले, विहाग को विसार सभी,
विरही विरहिणी वियोग करने लगे।

- सुश्री शुभदर्शिनी बेहेरा
कक्षा दसवीं, सी
केंद्रीय विद्यालय, उक्कुनगरम
विशाखपट्टणम

मेरा वंदन

नौ महीने गर्भ में रख, जन्मदायी, पालनहारी,
ममतामयी माँ को मेरा वंदन।
परिश्रम से हमें पालने-पोसनेवाले
पिता महान को मेरा वंदन।
विद्या देकर ज्ञानवान बनाने वाले
गुरुगरीयान को मेरा वंदन।
रोग-व्याधि को ठीक करने वाले
डॉक्टर श्रीमान को मेरा वंदन।
श्रम से अपने हमें अन्न प्रदान करने वाले
किसान को मेरा वंदन।
दिन-रात देश की रक्षा करने वाले
वीर जवानों को मेरा वंदन।
जिन्होंने मुझे पत्थर से मूरत बनाया,
उन सभी इंसान को मेरा वंदन।

- सुश्री मधुरा तुकाराम कोरी
कक्षा आठवीं, बी
केंद्रीय विद्यालय, उक्कुनगरम
विशाखपट्टणम

मेरे सपनों का भारत

काश! जिंदगी की कीमत का
सबको भान होता
तो आज मेरा भारत
विश्व में कितना महान होता
न गरीबी, न भुखमरी न बेकारी होती
हर शख्स शिक्षित व धनवान होता
हर हाथ को काम व खेत को पानी मिलता
नंगा-भूखा नहीं कोई इंसान होता
जिधर देखूँ उधर तांडव मचा है
रक्तपात, घूसखोरी का बोल-बाला है
अनैतिकता व पशुता का माहौल सजा है
दया-धर्म-मानवता है शून्य के कगार पर,
धर्म नहीं धंधा है पीर और मजार पर
दानव दहेज नहीं होता तो
असमय मरघट मसान नहीं होता
काश जिंदगी...

- सुश्री हर्षिता दीक्षित,
कक्षा बारहवीं, ए
केंद्रीय विद्यालय, उक्कुनगरम
विशाखपट्टणम

आजादी का अमृत

वक्त आदमी को भगवान और स्वार्थ हैवान बना देता है,
स्वार्थ ने इंसान को मजबूर कर दिया
इंसान को इंसान से दूर कर दिया
यह मुल्क कभी फिरंगियों का गुलाम था,
इसी आजादी खातिर कोई किसी को मारता था, कोई मरता था,
एक प्रश्न मन में अब बार-बार उठता है,
कहूँ या ना कहूँ, नहीं कहने में भी दम मेरा घुटता है
वतन पे जान देना हँसी-खेल नहीं है
आजादी का स्वाद मुरब्बा या बेल नहीं है
आजादी का मोल, कुर्बानी का इतिहास जाने बिना
कोई लंगूर भला क्या जाने
आजादी अमृत है जो पान करे सो जाने
गुलामी गरल का प्याला है, वो पहचाने
देश हमारा सबसे प्यारा है हमारी शान।
इसकी बलि-वेदी पर हो जाएँगे कुर्बान।

- सुश्री मोनिका राउल
कक्षा बारहवीं, बी
केंद्रीय विद्यालय, उक्कुनगरम
विशाखपट्टणम

माँ

माँ के आँचल में आकर हर दु:ख भूल जाऊँ,
हाथ रखे जो सर पे चैन से मैं सो जाऊँ।
हम बच्चों की नादानी थी, जीती थी वह बच्चों खातिर
माँ यही कहानी थी।
अपने आँचल की छावों से बचा लेती हर दुख से वो
एक दुआ दे दे तो काम सारे पूरे हों।
दु:ख के बादल जो छाए हम पर तो धूप सी खिल जाती वो,
जिंदगी की हर रेस में हौसला बढ़ाती वो।
मेरी तकलीफों में हरदम मेरी माँ ही ज्यादा रोई है,
खिला-पिला के मुझको, माँ मेरी कभी भूखे पेट भी सोयी है।
सीधी-सादी भोली-भाली,
मैं ही सबसे अच्छी हूँ,
कितनी भी हो जाऊँ बड़ी,
माँ मैं आज भी तेरी बच्ची हूँ।

- तनीशा शहर
कक्षा दसवीं
दिल्ली पब्लिक स्कूल
उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम

मोबाइल का साथ

मोबाइल... मोबाइल, मोबाइल देख जब माँ ने झल्लाया,
तो एक बारगी उन पर गुस्सा आया,
पर क्यों? इसने माँ के गुस्से को एड़ी से सिर तक चढ़ाया?
तब मोबाइल ने चुपके से समझाया और मुझसे मोबाइल पर ही यह कविता लिखवायी।
उसने अपना गुण-दोष बताया, कहा...
दुनिया के कोने-कोने से बात कराती हूँ,
विश्व का हर कोना अपना है,
ऐसा महसूस कराती हूँ, मेरा उपयोग करो सुबह जगाऊँगी
जरूरत पर भोजन भी मंगवाऊँगी, आफत में जान भी बचाऊँगी
गीत-संगीत व ज्ञान की बातें सुनाऊँगी, कठिन काम आसान बनाऊँगी
जैसा कोरोना में साथ निभायी थी,
घर बैठे पाठ पढ़वाया था, दुनिया को अँगुलियों पर नचाया था।
मैं संबंध तोड़ने के लिए नहीं जोड़ने के लिए बनी हूँ
आप अपने पर काबू रखो मेरे दोषों को बाजू रखो
नहीं तो फिर जैसी करनी वैसी भरनी
विज्ञान मेरी माँ है, लक्ष्य मेरा विकास
चुन लो अनुपम विज्ञान या अपना नुकसान।

- सममिंगा निहारिका,
कक्षा दसवीं, दिल्ली पब्लिक स्कूल
उक्कुनगरम, विशाखपट्टणम

प्रधान बुआ

- इंजीनियर आशा शर्मा -

किसी ने सच कहा है कि 'जिंदगी मुफ्त में सबक भी नहीं सिखाती।' जिंदगी अपने हिसाब से सीख के अनुरूप शुल्क वसूलती है। कई दफा यह कीमत किश्तों के रूप में नहीं बल्कि रिश्तों के रूप में चुकानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि कनिका कुछ जानती-समझती नहीं। उसने भी खूब पढ़ा-सुना है कि दुनिया में तमाम मुश्किलों की जड़ जर, जोरू और जमीन ही रही है। सभी बड़ी लडाइयों के पीछे कमोबेश यही कारण रहे हैं। लेकिन पढ़ने-जानने व यथार्थ के अंतर को तो वह अभी-अभी ठीक से समझ पाई है।

आज कनिका को इस बात का एहसास बहुत निराशा और हताशा के साथ हो रहा है कि काश! जिंदगी उसके इन मटमैले पन्नों को पढ़े बिना ही आगे बढ़ गई होती...। काश... कि मीठे सपनों वाली नींदें कभी पूरी न होतीं। लेकिन जिंदगी इन तमाम काश-वाश से कहीं अधिक निर्मम होती है। जिंदगी ऐसे कठिन वक्त पर चेहरों से मास्क हटाती है, जब उन बीभत्स चेहरों से डरा हुआ व्यक्ति अपनी आँखें तक बंद नहीं कर सकता।

चमन के रहते कितनी सुनहरी थी उसकी जिंदगी। हर रिश्ता विश्वास भरा हुआ। हर रिश्तेदार जान छिड़कने वाला। हर मित्र आधी रात में भी हाजिर होने का दावा करने वाला। लेकिन उसके जाते ही रिश्तों के रंग यूँ उतरने लगे मानों पीतल के गहनों पर सोने का मुलम्मा चढ़ा हुआ हो। जो जेठजी, बेटा-बेटा कहकर सिर पर हाथ फेरते रहते थे, वे उससे चमन के बैंक खाते का हिसाब पूछने लगे। कैसे कहे उनसे कि उसके बैंक खाते में केवल रिश्तों की पूँजी ही जमा थी। आज वह खाता बंद हो गया। वह एकदम कंगाल हो गई।

किसी को क्यों, खुद उसे भी कहाँ विश्वास हुआ था। जब उसने चमन के खाते का बैलेंस देखा था। कौन मानेगा कि लाख रुपये महीने कमाने वाले के खाते में बैलेंस के नाम पर मात्र कुछ हजार की रुपल्ली होगी। कैसे किसी को विश्वास दिलाए कि वह अपने पति के खाते का हिसाब नहीं जानती। लेकिन इतना जरूर विश्वास के साथ कह सकती है कि चमन ने एक पाई भी किसी ऐब की भेंट नहीं चढ़ाई होगी।

'जरूर कोई दूसरा खाता भी है। ये खाता तो केवल लोगों को दिखाने के लिए है। असल पैसा तो इसने अपने कब्जे में कर रखा होगा। बहुत तेज है ये।' एक रोज जेठानी के कमरे के आगे से गुजरती कनिका ने सुना तो जड़ ही हो गई। जेठानी शायद किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसका कोई दूसरा बैंक खाता नहीं है। कनिका किसी को ये बताती भी तो, कौन भरोसा कर लेता उसकी मासूमियत का? दुनिया की सारी मासूमियत तो जाने वाले अपने साथ ले जाते हैं। पीछे रह जाने वाले तो बस तेज होते हैं।

जेठ-जेठानी की सोच से मन तो खराब हुआ ही था। यूँ भी चमन के जाने के बाद उसके पास ससुराल में जीने का कोई विकल्प भी नहीं रहा। शादी को मात्र तीन साल ही तो हुए थे। विकल्प आया भी था, उसके गर्भ में लेकिन वह भी सिर्फ छलावा ही निकला। उस गर्भपात से वह इतना घबरा गई थी कि अगले दो साल तक चमन उसे हिम्मत बँधाता-बँधाता ही चला गया और कनिका दूसरे अवसर की हिम्मत जुटा नहीं पाई।

दो महीने बाद पापा आये थे उसे लिवाने के लिए। जेठ ने भी 'मन दूसरा हो जाएगा' कहते हुए जाने को कहा था। पर देहरी लाँघते हुए न जाने कनिका क्यों टूट रही थी। भीतर से मन जाने के कैसा कच्चा-कच्चा सा हो रहा था। दरवाजे में अड़ा साड़ी का पल्लू मानो रोक रहा था। पल्लू छुड़ाते-छुड़ाते उसने धीरे से दरवाजे को सहला दिया। इसी दरवाजे की देहरी को लाँघकर वह इस घर का हिस्सा बनी थी... घर की छोटी बहू। लग रहा था जैसे कोई उँगली छूटने को है।

माँ के आंचल में छिपकर कनिका अपने आँसुओं को सुखाने की कोशिश करने लगी। ऊपर से जख्म कुछ भरे तो सही, पर अंदर में अभी भी थोथ थी। इस तरह के घावों पर समय के अतिरिक्त कोई दूसरी दवा कारगर भी नहीं होती। इधर कनिका कुछ बोलने-बतलाने लगी ही थी कि उधर से जिठानी का फोन आ गया। 'जेठ लिवाने आ रहे हैं। कब तक मायके में रहोगी। आखिर अपने घर तो आना है ना।' जेठानी ने प्यार और अधिकार के साथ कहा तो कनिका के मन में भी अपने घर का एहसास सिर उठाने लगा। उमगी हुई वह वापसी की तैयारी करने लगी।

माँ ने तो कहा भी था कि 'अब वहाँ क्या रखा है। जब जिंदगी नए सिरे से ही शुरु करनी है तो पुराने बंधन क्यों रखने।' माँ समझाती तो सब है कि पुराने बंधन इतनी सहजता से कैसे छूट सकते हैं भला? लेकिन कनिका भी जानती है कि माँ उसकी हिम्मत बनाये रखने के लिए खुद हिम्मत वाली बनने का दिखावा कर रही है। कितना अजीब रिश्ता होता है माँ-और संतति का। संतान के सारे दु:ख माँ अपने कलेजे में भर लेती है। कनिका जेठजी के साथ वापस अपने घर आ गई।

रात को कमरे में अकेली हुई तो डर गई। फिर जेठानी ने लाकर अपने बच्चे को कनिका की गोद में डाल दिया। 'आज से तुम्हीं इसकी माँ हो।' जेठानी ने स्नेह से कहा। कनिका अचकचा गई। बच्चा रोज कनिका के कलेजे से चिपककर सोने लगा। उसे

भी उससे मोह होने लगा। बच्चा सीने से लगा तो जेठानी के प्रति मन का मैल भी धुलने लगा ।

'इसे घर में ही रखने का उपाय करो। अभी भोली है, टिक जाएगी। कहीं दुनियादारी की समझ आ गई तो जमीन की दो फाड़ होते देर न लगेगी।' एक रोज जेठ को कहते सुना। जेठानी ने भी उसकी 'हाँ' में 'हाँ' मिलाई तो कनिका चकरा गई। 'मैं तो घर में ही हूँ, फिर दूसरा कौन सा उपाय किया जाएगा।' कनिका उस उपाय के बारे में सोचने लगी, पर कुछ समझ में नहीं आया।

एक दिन जेठानी के भाई की तबीयत खराब हुई तो वह उसके हालचाल लेने मायके चली गई। घर सँभालने को तो कनिका थी ही। आखिर उसका भी घर है यह। कनिका उत्साह से भरी भागकर काम निपटाने लगी। रात को रसोई समेटकर बिस्तर से लगी तो पड़ते ही आँख लग गई। अचानक शरीर पर दबाव महसूस हुआ, लेकिन नींद चेत पर हावी थी। कनिका सपना समझकर करवट बदलने की कोशिश करने लगी। कसकर पकड़ी गई कमर के कारण वह करवट नहीं बदल सकी। तभी उसे होश आ गया।

'यह सपना नहीं हकीकत है।' जेठ के मुँह की दुर्गंध ने उसे सचेत कर दिया। कनिका ने एक जोरदार लात जेठ के दोनों जंघों के बीच मारी तो वह दर्द से दोहरा होता हुआ पलंग से नीचे जा गिरा। वह बदहवास कमरे से बाहर आई, कुंडी लगाई और बच्चे के साथ बैठक में घुसी और भीतर से सिटकनी लगा ली। ऐसे में नींद भला किसे आती? पूरी रात आँखों में ही निकल गई। सुबह होते ही कनिका ने जेठानी और अपनी माँ-पापा को भी फोन करके बुला लिया। जेठ अभी भी कनिका के कमरे में बेसुध पड़ा था। कनिका तो रात से भरी ही बैठी थी। सबको देखते ही फूट पड़ी। जेठानी ने आँखें दिखाई। 'इसमें इतने बवाल की क्या जरूरत थी? कौन नई बात हो गई।' जेठानी ने यूँ कहा मानो यह कोई परंपरा हो। कनिका का दिमाग सुन्न हो गया। जमीन की खातिर कोई इतना गिर सकता है, यह उसने पहली बार जाना। 'नई न होगी, लेकिन घिनौनी अवश्य है।' कहकर क्रोध में उफनती कनिका उन्हीं कपड़ों में अपने माँ-पापा के साथ घर से बाहर निकल गई।

यहाँ से शुरु होती कनिका के प्रधान बुआ बनने की कहानी। टूटे दिल व बिखरे अरमानों को समेटने की कोशिश करती कनिका अपने जख्मों की मरहमपट्टी, पीड़ितों की पीड़ा में साझीदार बनकर करने लगी। बेजुबान पशु-पक्षियों से होते हुए उसके मदद के हाथ समाज के वंचित तबके तक पहुँचने लगे। घर में काम करने वाली विमला के बच्चे को शिक्षा के अधिकार के तहत जब एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया तो प्राप्त सुकून की गणना न कर सकी।

धीरे-धीरे कनिका गाँव के स्कूल-अस्पताल में पसरी अव्यवस्थाओं पर सवाल उठाने लगी। बिजली-पानी-सड़क जैसी सुविधाओं को लेकर लोगों को जगरूक करने लगी। कभी किसी को पढ़ाई का महत्व समझाती तो किसी को सरकारी योजना की जानकारी देती। किसी के अटके काम कराने में मदद कर देती तो कभी किसी की सहायता रुपए-पैसे से कर देती।

पढ़ी-लिखी, सौम्य व्यवहार की धनी कनिका को अपनी पहचान बनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। गरीब जनता तो उसी को भगवान मान लेता है, जो उसके दुखड़े सुन ले। जरा अपनेपन से कंधे पर बस हाथ रख दे या फिर आँसू पोंछने को अपना गमछा ही आगे बढ़ा दे। कनिका ने न केवल ये सब किया, बल्कि उनके उन मुद्दों पर उनकी आवाज बनकर उनके साथ खड़ी हुई, जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती थी। इस बीच कनिका ने लॉ की पढ़ाई भी शुरु कर दी। डिग्री मिलने तक कानून की अच्छी जानकारी उसे हो गई थी, जो उसके काम में सोने पर सुहागा सी साबित हुई। अब उसके पास मुद्दों पर बहस करने के लिए कानूनी जमीन भी थी।

पिछड़े और वंचितों का साथ देने के कारण जल्दी ही वह स्थानीय नेताओं की निगाहों में भी आ गई। पहले तो सभी ने इसे कनिका का वक्ती फितूर समझा, लेकिन जब उन्हें लगा कि वह गंभीर है तो हर बड़ी राजनैतिक पार्टी उसे अपना कार्यकर्ता बनाने का प्रयास करने लगी। कनिका ने किसी राष्ट्रीय या स्थानीय पार्टी को घास नहीं डाली। वह बस मदद कर रही थी जरूरतमंदों की। पिता की बेदाग प्रतिष्ठा और उनका पैसा भी उसकी भरपूर सहायता कर रहा था।

उन्ही दिनों सरकार ने उसके और आसपास के गाँवों की बिजली संबंधी समस्याएँ दूर करने के लिए गाँव में बिजलीघर

स्थापित करने की स्वीकृति इस शर्त पर दी कि बिजलीघर हेतु आवश्यक जमीन गाँव द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अपनी जमीन भला सरकार को कोई क्यों दान करेगा? इसी कारण कई बिजलीघर बरसों से स्वीकृति की मोहर लगाये अपने अस्तित्व में आने की बाट जोह रहे हैं।

कनिका जानती है कि निर्बाध बिजली का ना होना गाँवों के लिए एक बड़ी समस्या है। एक बार बिजली गुल हो जाए तो वापस आने का कोई समय तय नहीं होती। आम दिनों की ताप छोड़िए आँधी, बरसात व तूफानी मौसम का तो कहना ही क्या? कई बार बिजली नहीं होने से केवल पशु ही नहीं, बल्कि इंसान भी जहरीले जंतुओं का शिकार हो जाते हैं। रात में पढ़ने बैठो तो बल्ब रोशनी देने के बदले मुँह चिढ़ाता है। कनिका को याद आते ही मन खट्टा हो गया कि इसी जमीन की लालच ने पिता सरीखे जेठ को बदनीयती पर आमादा कर दिया था। कनिका ने उसी समय तय कर लिया कि गाँव के बिजलीघर के लिए वह अपने पति के हिस्से वाली जमीन दान करेगी।

गाँवों में जहाँ एक-एक पग जमीन के लिए लाशें बिछ जाती हैं, वहाँ कनिका को उसके हिस्से की जमीन थाली में परोस कर मिल जाएगी, ऐसा सोचना भी मूर्खता थी। जेठ ने सुना तो वह भड़क गया। जेठानी सौ लानत भेजी। अपने बच्चे के हवाला भी दिया। लेकिन कनिका किसी भी तरह टस से मस नहीं हुई। यहाँ कनिका का लॉ पढ़ना काम आया। गाँव वालों का भी सहयोग अच्छा मिला। आखिर कनिका ने अपने पति की पुश्तैनी जमीन का आधा हिस्सा अपने नाम करवा लिया। अपने हिस्से की जमीन कनिका ने बिजलीघर के नाम कर दी। कुछ साल लगे, लेकिन बिजलीघर के चालू होते ही कनिका का नाम चमकने लगा।

इधर कार्यकारी ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने वाला था। पिता और शुभचिंतकों के आग्रह पर कनिका ने भी चुनाव लड़ना तय किया। क्योंकि वह भलीभाँति समझ गई थी कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सत्ता में भागीदारी आवश्यक है। कनिका चाहती तो किसी भी राजनैतिक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती थी। लेकिन वह अपने उसूलों में किसी अन्य का घालमेल नहीं चाहती थी। इसलिए उसने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपनी उम्मीदवारी जताई।

संयोग से लॉटरी में कनिका के गाँव की पंचायत समिति महिला आरक्षित सीट निकली। कनिका लड़ी और तमाम बाधाओं को पार करती हुई सर्वाधिक मतों से जीती भी। कनिका पंचायत समिति की प्रधान बन गई। उसने अपनी जीत गरीब, वंचितों और जरूरतमंदों को समर्पित करते हुए उनके विकास की शपथ को दोहराया तथा उस पर कायम भी रही।

कनिका ने अपने लिए ऐसी जिंदगी की चाहत कभी नहीं की थी। वह तो चमन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिताना चाहती थी। एक आम गृहिणी की तरह बच्चों के बालपन का आनंद लेना चाहती थी। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। हमेशा की तरह आज भी कनिका आँखें मूँदे अपनी जिंदगी के फ्लैशबैक का लेखालेखा कर रही थी, तभी एक शोर हुआ और कनिका की आँख खुल गई।

'देखो न प्रधान बुआ! कहती है कि आगे पढाई नहीं करूँगी। बुआ की तरह प्रधान बनूँगी।' पड़ोस में रहने वाली श्यामा अपनी किशोर बेटी का हाथ पकड़कर लगभग खींचती हुई सी कनिका के पास ला रही थी। लड़की कसमसाकर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन श्यामा की पकड़ जरा भी कमजोर नहीं हुई। अलबत्ता लड़की की कलाई पर श्यामा की उंगलियों के दबाव से नीले निशान जरूर उभर आये थे। कनिका मुस्कुरा दी।

'नहीं पढ़ना चाहती, तो रहने दो ना भाभी। वैसे भी प्रधान बनने के लिए पढ़ना-लिखना जरूरी योग्यता नहीं होती।' कनिका ने हँस कर कहा, तो श्यामा ने बेटी की कलाई पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। लड़की फुदककर कनिका की बगल में आकर खड़ी हो गई। 'जा बिटिया, वो सामने गमले में गुलाब लगा है ना! फूल तोड़कर ले आ।' कनिका ने लड़की को इशारा किया। लड़की गमले की तरफ चल दी। गमले तक पहुँचने के रास्ते में कच्ची मिट्टी, जिसमें पत्थर भी शामिल थे, बिछी थी। लड़की अपने नंगे पाँवों में पत्थर की चुभन को महसूस करती हुई गमले तक पहुँची। फूल को हाथ लगाते ही दो कांटे उसकी उंगलियों में चुभ गए। एक हल्की सी सिसकी के साथ रक्त की बूँद छलक आई। लड़की ने अपने हाथ को सहलाते हुए फूल कनिका की मेज पर रख दिया।

'प्रधानी भी बिलकुल ऐसी ही है बिटिया। पढ़ाई भी नंगे पाँव गुलाब तक पहुँचने जैसी ही है। लेकिन वह पाँवों को चप्पल जैसी सुरक्षा देती है। जिस तरह पाँव की चप्पल पत्थरों से सुरक्षा देती है, उसी तरह पढ़ाई हमें आस्तीन के साँपों को पहचानने की समझ देती है। बिना पढ़े-लिखे तुम प्रधान तो बन जाओगी, लेकिन लोग तुम्हें कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे। इसलिए पढ़-लिखकर पहले अपनी खुद की समझ विकसित करो। उसके बाद तुम कुछ भी बनोगी, तो वह बहुत उम्दा बनोगी, समझी...?' कनिका ने गुलाब के फूल को हाथ में उठाते हुए कहा।

लड़की, शायद प्रधान बुआ की बात समझ गई थी। वह चुपचाप अपनी माँ का हाथ थामे चली गई। कनिका के दिमाग में एक बार फिर से कनिका से प्रधान बुआ बनने तक का सफर घूमने लगा। सच ही कहा है 'जिंदगी के सबक भी मुफ्त नहीं मिला करते।'

- ए 123, करणीनगर (लालगढ़)
बीकानेर-334001, राजस्थान
मोबाइल: +91 9413369571

सीन ऑफ सुई पर स्वांग ऑफ स्वैग

- श्री मलय जैन -

चुनाव के दौरान ऐलान ए वोटिंग में उंगली और उंगली वाली फोटो का महत्व किसे नहीं पता। इतिहास की छोड़िए, वर्तमान भी गवाह है कि एक उंगली ही है, जो वोटिंग के दौरान फेसबुक की पीठ पर विराज कर सबसे आगे सबसे तेज चलती है। आज बात उंगली की नहीं, भरी पूरी बाँह की है। अमिट स्याही की नहीं, अचूक वैक्सीन की है।

सोचिए, कोरोना काल में समूची मानुसजात ने कितने पुण्य किये होंगे। तब जाकर यह सुकून भरा मौका आया है कि वैक्सीन बाँह में ही लग रही है, इधर-उधर नहीं। फर्ज कीजिए, यदि वैक्सीन बाँह की बजाय उधर ही लग रही होती जिधर का सीन अभी-अभी आपके दिमाग में उभरा है तो क्या होता! लोगों के सामने अभिव्यक्ति का कैसा भयंकर संकट खड़ा हो जाता। कैसे तो अस्पताल के पलंग से औंधे चिपके आप उस सुईपठार की फोटो खिंचाते और कैसे तो उसे फेसबुक पर चिपकाते, जो जबरवीर इस संकट की भी परवाह नहीं करते और अपनी वॉल पर उपलों की नाई सुईपठार के ताजे चित्र चेंपते। उन्हें ब्लॉक करते-करते जुकरबर्ग जी की अपनी उंगली ब्लॉक हो जाती।

आज हम सभी ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते-करते बाँह आगे कर फोटो खिंचा रहे हैं। मगर साथियों, वैक्सीन लगवाते वक्त कुछ सावधानियाँ जरूर बरतें, ताकि आपकी प्रोफाइल से जलवे का जो जबर्दस्त सीन खिंचता चला आ रहा है, उसमें चार चांद और लग जाएँ। पहली बात तो यह है कि घर से पूरी बाँह की कमीज पहनकर हरगिज न निकलें।

एक रोज हमने एक इज्जतदार शख्स की ताजा फोटो उनकी वॉल पर देखी। जैसाकि बगल में खड़ी नर्स और आला लटकाए डॉक्टर साहब को देखकर ही समझ आ रहा था, दृश्य अस्पताल का था। उनकी कमीज के सारे बटन खुले थे। कमीज एक ओर से बड़ी विचित्र हालात में उतरी हुई थी और बनियान बाहर झाँक रही थी। एक पल को तो हमें भ्रम हो आया कि हुजूर कहीं से पिटपिटा कर अस्पताल पहुँचे हैं और मामला मरहमपट्टी का समझ आ रहा है। मगर जब गौर से देखा तो पाया कि वह वैक्सीनोत्सव मना रहे हैं। इससे पहली सलाह तो यह गाँठ बाँध लीजिए कि पूरी बाँह की कमीज पहनकर एकदम न जाएँ, वरना आपकी भी लटकी हुई कमीज को देखकर लोगों को कहीं ऐसी ही गलतफहमी न हो जाए।

दूसरी बात यह है कि यदि आपने मान ही लिया है कि ऐसी लटकी कमीज के बिना अस्पताल वाले सुई लगाने से ही इंकार कर देंगे तो इतनी सलाह तो मान ही लीजिए कि घर से निकलते वक्त यह देख लें कि आपकी बनियान फटी हुई तो नहीं है, वरना कमीज के ऊपर आप भले गुच्ची का सूट, पुच्ची की पतलून या बुच्ची के बूट डाँट कर इतराते हुए पहुँच जाएँ। मूँछों पर ताव देते सुई क्या, सुई के बाप से भी न डरने का स्वांग धरते बाँह उघाड़ें। कमीज के नीचे लटकते ही एक फटी हुई बनियान सारा रायता बिखेर देगी और आपकी अंदर की बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सुई तो गुच्चगुचा कर एक ओर हो जाएगी, मगर आपका गुच्ची का सूट और बुच्ची का बूट किसी काम का न रह जाएगा। आप नर्स के सामने भले वीरतापूर्वक बाँह उघाड़ चुके हों, मगर छनी हुई बनियान के ऐसे छेदों को याद कर करके मुँह जिंदगी भर छुपाते फिरेंगे।

अब एक बात और... सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने वैक्सीन को असरदार बनाने के लिए कितने ही प्राण क्यों न दिए हों, यह तय है कि वैक्सीन लगवाते वक्त फोटो खिंचाए बगैर और फेसबुक, इंस्टा पर उसे डाले बगैर वैक्सीन बेअसर हो टें बोल जाएगी। इसलिए यह सलाह भी गाँठ बाँध लीजिए कि उत्साह में कमीज आधी उतारकर कुर्सी पर पूरे कूद पड़ने से पहले संभव हो तो क्यू में लगे-लगे कैमरे के एंगिल का आकलन कर लें।

सारे प्रबंधन एक तरफ, प्रोफाइल प्रबंधन एक तरफ। प्रोफाइल प्रबंधन के लिए बहुत जरूरी है कि आप सही जगह से ही फोटो खिंचाएँ। इसके एक नहीं, दो फायदे होंगे। आपको भी पता है कि हर बाँह सलमान खान की तरह आपकी जंघाओं को मुँह चिढ़ाती नहीं होती। फिर टिटहरी की टांगों की तरह आपकी बाँहों की मरियलता आपसे भी कहाँ छिपी है।

कैमरे का एंगल सही होगा तो उपरोक्तानुसार वर्णित पिलपिली बाँह भी छिप जाएगी और सुई देखकर आपके भीतर से 'ओ दैया, मर गया मैया' के चिल्लाने की जो आवाजें चेहरे पर आकर कलई खोलने को कमर कसी हैं। उन्हें भी आप साफ छिपा ले जायेंगे और इस प्रकार सामने गुर्राती सुई के होते हुए भी फुई से फुहार मारती आपकी खिलखिलाहट आपकी प्रोफाइल में चार चाँद लगा देगी। ध्यान रखिए, वैक्सीन ही सब कुछ नहीं है। वो तो आज नहीं तो कल लगनी ही है। समय स्वांग और स्वैग का है। सीन ऑफ सुई पर आपका यही स्वांग और यही स्वैग ही सब कुछ तय करेगा।

- सहायक पुलिस महानिरीक्षक
सेक्टर के एच 50, अयोध्या नगर
भोपाल-462041
मोबाइल: +91 9425465140

महिला समस्याओं के मुख्य कारण एवं उनका निवारण

- श्री शुभम् कुमार सिंह -

भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में महिलाओं के अधिकारों तथा उनके विकास के मूल्यों की हत्या करने वाले सभी तत्वों जैसे दहेज, अशिक्षा, यौन उत्पीड़न, धार्मिक व सामाजिक असमानता, उनके खिलाफ घरेलू हिंसा, देह व्यापार और उनके कारणों आदि को खत्म करने की जरूरत है। हालाँकि संवैधानिक तौर पर उनके विकास एवं उनकी समस्याओं से निजात दिलाने के सभी उपाय किए गए हैं, लेकिन सामाजिक, धार्मिक व प्रशासनिक अकर्मण्यता के कारण अब तक उन्हें अपने निर्धारित हिस्से नहीं मिल पाए हैं। हालाँकि यह सच है कि संवैधानिक अधिकारों ने महिलाओं की दशा को पहले की अपेक्षा बहुत बेहतर बनाया है। आजादी के बाद इस मामले में सरकारों ने कई बेहतर काम किए हैं। फिर भी कई नई समस्याएँ उभरकर सामने आई हैं, जो महिला सशक्तीकरण के प्रयासों में बाधा बनी हुई हैं।

हमारे देश में लड़कियों को जन्म से पहले व बाद में भी समस्याओं से जूझना पड़ता है। ये समस्याएँ उन्हें जन्म लेने व आगे बढ़ने में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन एवं उसकी गुणवत्ता उसके जीने, शिक्षा ग्रहण करने, स्वतंत्रता, समानता, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान एवं उसके संरक्षण जैसे 4 मौलिक अधिकारों पर केंद्रित है।

1. जीने का अधिकार

जीने का अधिकार सबके लिए सबसे प्रमुख और मौलिक अधिकार है। बिना किसी भेदभाव से किसी को जीने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारत में लिंगानुपात देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ लैंगिक भेदभाव कितना अधिक है। इस समस्या के कारण न जाने कितनी कन्याओं से उनके जीने का अधिकार छिन जाता है। इसके लिए हमारा सामाजिक ढाँचा व कोढ़-ग्रसित संस्कार पूर्णत: जिम्मेदार हैं।

अमेरीकी नेता मार्गरेट हेकलर के अनुसार 'किसी महिला के लिए जीने का अधिकार मुद्दा नहीं है। प्रभु जीवन का दाता है और केवल वही जीवन के बारे में उचित फैसला कर सकता है। जीवन सभी के लिए एक वरदान सा है, जीवन देने का और लेने का अधिकार केवल ईश्वर को है।'

◆ भ्रूण-हत्या (प्री-नेटल लिंग निर्धारण)

भारत में अल्ट्रासाउंड सेवा सस्ता होने के कारण 1990 के दशक से भ्रूण-परीक्षण-हत्या में तेजी आई है। देश में भ्रूण-परीक्षण व हत्या को अवैध माना गया है। फिर भी अनुमान है कि 1990 के दशक से आज तक भारत में लगभग 10 मिलियन से अधिक कन्या भ्रूण-हत्याएँ हो चुकी हैं।

◆ दहेज प्रथा व महिला उत्पीड़न

लिंगानुपात में कमी का एक कारण दहेज प्रथा भी है। बेटी की शादी में लड़के वालों को दहेज देने की प्रथा भी महिलाओं के लिए अभिशाप है। इस प्रथा को बड़ी ही चालाकी से धर्म के साथ जोड़ दिया गया है। इसके चलते माँ-बाप बेटी के जन्म को नकारते हैं और बचपन से ही उसे बोझ मानने लग जाते हैं। साथ ही शादी के बाद भी अक्सर दहेज के लिए बहुत सी महिलाओं के साथ उत्पीड़न होता है और कई मामलों में तो लड़की की हत्या भी कर दी जाती है।

◆ गरीबी और शिक्षा की कमी

गरीबी और अशिक्षा में कमी के कारण महिला लिंगानुपात को सुधारने में बाधाएँ आ रही हैं। अगर लड़की और लड़की के घरवाले समृद्ध व शिक्षित होंगे तो इससे महिलाओं को सामाजिक व संवैधानिक न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार व शोषण में कमी आएगी।

◆ शिशु व मातृ-मृत्यु दर तथा बाल-विवाह

2019 के आँकड़ों के अनुसार भारत में हर 1000 शिशु में से 28.3 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। इससे भी लिंगानुपात प्रभावित होता है। साथ ही प्रसव के दौरान मातृ मृत्यु दर भी घटते लिंगानुपात में सहयोग करती है। क्योंकि अनुचित देखभाल और कम सुविधाओं के कारण बहुत सी महिलाओं की प्रसव के दौरान मृत्यु हो जाती है। इसका मुख्य कारण बाल-विवाह है।

◆ महिला उत्पीड़न एवं अपर्याप्त सुरक्षा प्रणाली

महिलाओं पर निरंतर बढ़ते अत्याचार भी गिरते लिंगानुपात का एक बड़ा कारण है। यह बेहद शर्म की बात है कि यौन-शोषण, बलात्कार, देह व्यापार, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, ऑनर-किलिंग जैसे कई सामाजिक जहर महिलाओं के जीवन में घुले हुए हैं। इन घिनौने अपराधों को अंजाम देने के बाद लड़की को या तो मार दिया जाता है या लड़कियाँ अपनी बदनामी के भय से आत्महत्या का सहारा ढूँढ़ लेती हैं। ऐसे अपराधों के मुख्य कारण पुरुष के विद्रूप मानसिक विकार हैं।

निपटने के लिए सरकार की पहल

लिंगानुपात में कमी को रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं, यथा:

- **बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ:**

  यह योजना महिलाओं को जागरूक एवं सशक्त बनाने के लिए बनाई गई है।

- **सुकन्या समृद्धि खाता:**

  यह योजना 2 दिसंबर, 2014 से वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित की गई है। इसका उद्देश्य बालिकाओं के लिए नया खाता खोलना और उनके लिए सहायता राशि सीधे उनके खाते में डालना है।

- **द गर्ल चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम:**

  इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए लैंगिक भेदभाव को रोकना है। यह बालिकाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण और प्रथाओं को खत्म करने की कोशिश करती है।

- **आपकी बेटी-हमारी बेटी:**

  हरियाणा राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है। अत: इस मुद्दे से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की बालिकाओं, विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं गरीबी रेखा से नीचे के (बी पी एल) परिवारों की बालिकाओं को सहयोग प्रदान करना है।

- **प्री-नेटल डायग्नॉस्टिक टेकनिक्स (रेगुलेशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मिसयूज) बिल**

  (1991 में संसद में पेश किया गया, 1994 में महिला शिशु हत्या और कई ऐसे अधिनियमों को रोकने के लिए पारित किया गया है।)

  पर इतने कानूनों के बावजूद इनको लागू करने में सरकार को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन कानूनों का निरीक्षण और निगरानी के लिए संसाधनों और योग्य ऊकर्मचारियों की कमी है। सरकार विभिन्न स्तरों पर सामाजिक जागरूकता फैलाने में असफल रही है।

2. शिक्षा का अधिकार

शिक्षा तर्कसंगत चिंतन का द्वार खोलती है। यह व्यक्ति के समग्र विकास एवं स्वास्थ्य के लिए जरूरी है एवं लोकतांत्रिक भागीदारी व सक्रिय नागरिकता के नए आयाम बनाती है।

- कोफी अन्नन

कोफी अन्नन द्वारा कही गई इस बात से मानव जीवन पर शिक्षा का प्रभाव एवं देश हित में शिक्षित नागरिकों की भूमिका का पता चलता है। अगर सभी बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर मिले तो यह उनके सशक्तीकरण और देश के विकास के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है।

2011 की जनगणना के आधार पर भारत में महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता दर क्रमश: 65.46% और 82.14% थी। हालाँकि अब भारत सरकार ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत सभी के लिए शिक्षा हेतु एक मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की है। लेकिन महिला साक्षरता के मामले में भारत अभी भी एशिया में सबसे पीछे है। साक्षरता के इस निम्न स्तर का न केवल महिलाओं के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बल्कि उनके परिवारों के जीवन पर और उनके देश के आर्थिक विकास पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। किसी देश के विकास में शिक्षित महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब देश आजाद हुआ था, तब भारत में महिला साक्षरता मात्र 8.6% थी, जो अब बढ़कर 64% से अधिक हो चुकी है।

3. स्वतंत्रता, समानता और आत्मनिर्भरता का अधिकार

कई दशक बीत गए भारत को आजाद हुए, पर यहाँ महिलाएँ आज भी समाज की बेड़ियों में जकड़ी हुई हैं। स्वाधीनता, समानता और आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से हमारे देश में हर जगह महिलाओं के लिए संघर्ष की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं। आज बड़े शहरों में जहाँ महिलाएँ आत्मनिर्भरता की साँस ले रही हैं, वहीं दूर-दराज के गाँवों में महिलाएँ अब भी बंद दरवाजों में खुद को पल्लू में छुपाए हुए अपनी ख्वाहिशों का दम घोंट रही हैं।

श्रमशक्ति आकलन, 2020 में पाया गया है कि भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में से पुरुषों के 7.60% की तुलना में महिलाओं का हिस्सा केवल 2.03% है। भारत की कुल श्रमशक्ति में से महिलाओं का हिस्सा 1.99% है।

भारत में महिलाओं की श्रम में कम भागीदारी दर के मुख्य कारण, उन पर लगाए गए सांस्कृतिक व धार्मिक प्रतिबंध, सामाजिक मानदंड, अशिक्षा, लैंगिक वेतन-अंतर, यौन-शोषण और अपर्याप्त सुरक्षा नीतियाँ और सुविधाजनक रोजगार की कमी आदि हैं।

4. सम्मान और संरक्षण का अधिकार

भारत में महिलाओं के खिलाफ बलात्कार व यौन शोषण सबसे आम अपराध हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की 2019 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देश में बलात्कार के 32033 मामले दर्ज किए गए थे। कहने का मतलब यह है कि देश में हर 16वें मिनट में एक बलात्कार की घटना हो जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 94.2% अपराध परिचितों द्वारा किए गए थे।

हार्मोनल बदलाव से लेकर बच्चे को जन्म देने तक, एक महिला के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। शायद प्रकृति ने महिलाओं को जननी बनने की जिम्मेदारी इसीलिए दी है कि वे पुरुषों की अपेक्षा अधिक बहादुर व जिम्मेदार हैं और ममता एवं करुणा से परिपूरित हैं। साथ ही वे दया, क्षमा और उल्लास जैसी संवेदनाओं की प्रतिमूर्ति होती हैं, जैसाकि हम अपनी माताओं, बहनों, शिक्षिकाओं, जीवन संगिनियों, बहन-बेटियों के व्यवहार में मृदुलता व कोमलता का अनुभव करते हैं। फिर भी, उन्हें वह सम्मान नहीं मिल रहा है, जिसके वे पात्र हैं।

वर्तमान दौर में महिलाओं की तस्करी ने प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है और कई लोगों की जिंदगी तबाह कर दी है। मेरा मानना है कि अगर गलत धारणा बीमारी है तो सही धारणा का निर्माण ही इलाज है। इस संवेदनशील मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न रचनात्मक तरीके लागू किए जाने चाहिए।

संविधान के अनुच्छेद 16 में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि हर वयस्क लड़की व महिला को कामकाज के बदले पुरुषों के बराबर वेतन प्राप्त करने का अधिकार है। केवल महिला होने के नाते रोजगार से वंचित करना, किसी नौकरी के लिए अपात्र घोषित करना लैंगिक भेदभाव माना जाएगा। महिलाओं की श्रम शक्ति में अगर मात्र 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए तो 2025 तक भारत की जीडीपी में 770 बिलियन तक जुड़ सकते हैं और इस से भारत की विकास गति तेजी से बढ़ सकती है।

सरकारी नियमों में बदलाव से अधिक पुरुष प्रधान समाज की कुंठित सोच को बदलने की जरूरत है। महिलाएँ मात्र संतति जनने, उनकी परवरिश करने तथा पुरुषों की जूती नहीं हैं। बल्कि सभ्य समाज के निर्माण में पुरुषों की अपेक्षा अधिक योगदान देने वाली हैं। वे पुरुषों से अधिक अनुशासित, कर्मठ, आज्ञाकारी और अपने काम में श्रेष्ठता की हिमायती होती हैं। दुनिया की किसी शोध ने उन्हें मंदबुद्धि अथवा अकर्मण्य नहीं बताया है, बल्कि सभी ने उनके लिए और अधिक अवसर सृजित करने की संस्तुति दी है। इसलिए आज जरूरत है कि महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकार पूर्ण रूप से दिए जाएं और उनकी प्रज्ञा, सामर्थ्य एवं कौशल का उपयोग किया जाए। इससे उनका, समाज का और देश के साथ-साथ मानवता का बहुत विकास होगा।

- सहायक प्रबंधक (विद्युत)
विशेष बार मिल
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम
मोबाइल: +91 9808742844

समय

- श्री महेश केसरी -

मनेसर बाबू चिलचिलाती हुई धूप से बचने के लिए बस स्टैंड से निकलकर सीधे नजदीक की एक जनरल स्टोर की दूकान पर चले गये। दूकान में दोपहर का वक्त होने के कारण ग्राहक कुछ खास नहीं थे। दूकान खाली-खाली ही थी। एक आठ-दस साल के लड़के ने पूछा, 'क्या दूँ साहब थम्स अप, कोको कोला, सेवन अप, मिरिंडा या मजा...!!'

मनेसर बाबू पीठ को सीधा करते हुए वहीं बैठ गये। फिर उन्होंने फ्रीज के ऊपर नजर घुमाई। साफ-सुथरे फ्रीज के अंदर लड़के ने जितने नाम गिनाये थे, वे तमाम कोल्डड्रिंक्स वहाँ मौजूद थे।

'कुछ नहीं, एक सादा पानी का बोतल दो, लेकिन ठंडा मत देना', उन्होंने लड़के को सख्त हिदायत देते हुए कहा।

लड़के ने पूछा - 'क्यों साहब, आप ठंडा नहीं पीते क्या...?'

वे पानी की बोतल खोलते हुए बोले - 'इधर श्युगर लेवल बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए नहीं पीता।' एक बार फिर उन्होंने फ्रीज पर नजर डाली और जैसे अपने आप से बोले 'बचपन में मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे। तब कोल्डड्रिंक पीने का मन करता था... और आज पैसे हैं, लेकिन पी नहीं सकता...!!'

- श्री बालाजी स्पोर्ट्स सेंटर
मेघदूत मार्केट फुसरो
बोकारो-829144, झारखंड
मोबाइल: +91 9031991875

आओ भाषा सीखें

पिछले अंक की भाँति इस अंक में भी कुछ ऐसे ही शब्दों का जिक्र वार्तालाप के क्रम में किया गया है, जो उच्चारण की दृष्टि से तेलुगु और हिंदी में एक जैसे शब्द लगने के बावजूद उच्चारण एवं अर्थ की दृष्टि से अलग हैं, जैसे -

मास्टर जी : रामा! दरअसल तेलुगु के 'वादन' शब्द के दो अर्थ हैं, एक संगीत का कोई वाद्य बजाना...
మాస్టర్ జీ : రామా! దర్‌అసల్ తెలుగు కే 'వాదన' శబ్ద్ కే దో అర్థ్ హైం, ఏక్ సంగీత్ కా కోయీ వాద్య్ బజానా...
మాస్టర్ జీ : రామా! నిజానికి తెలుగు 'వాదన' పదానికి రెండు అర్థాలున్నాయి, ఒకటి ఏదేని వాద్యయంత్రం వాయించడం...
मास्टर जी : रामा! निजानिकि तेलुगु 'वादन' पदानिकि रेंडु अर्थालुन्नायि, ओकटि एदेनि वाद्ययंत्रम् वाइंचडम्...
Master Ji : Rama! In fact there are two meanings for 'Vadana' in Telugu, one is to play any musical instrument...
रामा : जैसे, 'वीणा वादन', 'सितार वादन', 'तबला वादन' आदि...
రామా : జైసే 'వీణా వాదన', 'సితార వాదన', 'తబలా వాదన' ఆది.....
రామా : అంటే 'వీణా వాదన', 'సితార వాదన', 'తబలా వాదన' మొదలైనవి...
रामा : अंटे 'वीणा वादन', 'सितार वादन', 'तबला वादन' मोदलैनवि...
Rama : Like 'Veena Vadan', 'Sitar Vadan', 'Tabala Vadan' etc...
मास्टर जी : बिल्कुल, और दूसरा 'वाद-विवाद', जिसे अंग्रेजी में 'argument' कहा जाता है।
మాస్టర్ జీ : బిల్‌కుల్, ఔర్ దూస్‌రా 'వాద్-వివాద్', జిసే అంగ్రేజీ మేం 'argument' కహా జాతా హై.
మాస్టర్ జీ : అవును, ఇంకా రెండవది 'వాద్-వివాద్', దానినే ఆంగ్లంలో 'argument' అంటారు.
मास्टर जी : अवुनु, इंका रेंडवदि 'वाद-विवाद', दानिने आंग्लम्लो 'आर्ग्युमेंट' अंटारु।
Master Ji : Yes, and the other one is 'Vad-vivad', which means 'argument' in English.
रामा : मास्टर जी, मैं तो भूल ही गया... आज समालोचना कार्यक्रम है न...
రామా : మాస్టర్ జీ, మైం తో భూల్ హీ గయా.... ఆజ్ సమాలోచనా కార్యక్రమ్ హై న...
రామా : మాస్టర్ గారు, నేను మర్చే పోయాను... ఈ రోజు సమాలోచన కార్యక్రమం ఉంది కదా...
रामा : मास्टर गारु, नेनु मर्चे पोयानु... ई रोजु समालोचन कार्यक्रमम् उंदि कदा...
Rama : Master Ji, I forgot..., today there is a Samalochana program....
मास्टर जी : हाँ... हाँ..., अच्छा समालोचना से याद आया, तेलुगु में 'आलोचना' शब्द है न...
మాస్టర్ జీ : హాం.... హాం...., అచ్ఛా సమాలోచనా సే యాద్ ఆయా, తెలుగు మేం 'ఆలోచనా' శబ్ద్ హై న...
మాస్టర్ జీ : అవునవును..., సరే సమాలోచన అంటే గుర్తొచ్చింది, తెలుగులో 'ఆలోచన' అనే పదం ఉంది కదా...
मास्टर जी : अवुनवुनु..., सरे समालोचन अंटे गुर्तोच्चिंदि, तेलुगु लो 'आलोचन' अने पदम् उंदि कदा...
Master Ji : Yes...yes..., o.k. Samalochana reminds me the word ' Alochana' in Telugu.
रामा : जी मास्टर जी, जिसे हिंदी में 'सोच', यानि कि 'विचार' कहा जाता है।
రామా : జీ మాస్టర్ జీ, జిసే హిందీ మేం 'సోచ్', యాని కి 'విచార్' కహా జాతా హై.
రామా : అవును మాస్టర్ గారు, దానినే హిందీ లో 'సోచ్, అంటే 'విచార్' అని అంటారు.
रामा : अवुनु मास्टर गारु, दानिने हिंदी लो 'सोच', अंटे 'विचार' अनि अंटारु।
Rama : Yes Master Ji, it is said 'Soch', which means 'Vichar' in Hindi.
मास्टर जी : लेकिन हिंदी में भी 'आलोचना' एक शब्द है, जिसका मतलब है 'विमर्श'।
మాస్టర్ జీ : లేకిన్ హిందీ మేం భీ 'ఆలోచనా' ఏక్ శబ్ద్ హై, జిసే 'విమర్శ్' భీ కహా జాతా హై.
మాస్టర్ జీ : కాని హిందీ లో కూడా 'ఆలోచనా' అని ఒక పదం ఉంది, దానినే 'విమర్శ్' అని కూడా అంటారు.
मास्टर जी : कानि हिंदी लो कूडा 'आलोचना' अनि ओक पदम् उंदि, दानिने 'विमर्श' अनि कूडा अंटारु।
Master Ji : But in Hindi also there is a word 'Alochana', which means 'Vimarsh'
रामा : विमर्श, यानि एक तरह से 'समीक्षा'।
రామా : విమర్శ్, యాని ఏక్ తరహ్ సే 'సమీక్షా'.

రామా : విమర్శ, అంటే ఒకరకంగా 'సమీక్ష'.
रामा : विमर्श, अंटे ओकरकम्गा 'समीक्षा'।
Rama : Vimarsh, means some sort of 'review'.
मास्टर जी : जैसे प्रेमचंद जी का उपन्यास 'निर्मला' को लेते हैं तो ...
మాస్టర్ జీ : జైసే ప్రేమ్‌చంద్ జీ కా ఉపన్యాస్ 'నిర్మలా' కో లేతే హైం తో.....
మాస్టర్ జీ : ఎలా అంటే ఇప్పుడు ప్రేమ్‌చంద్ గారి నవల 'నిర్మలా' ను తీసుకుంటే..
मास्टर जी : एला अंटे इप्पुडु प्रेमचंद गारि नवल 'निर्मला' नु तीसुकुंटे...
रामा : कई लोगों ने उसकी समीक्षा, यानि कि आलोचना की..., जिन्हें आलोचक कहा जाता है।
రామా : కయీ లోగోం నే ఉస్‌కీ సమీక్షా, యాని కి ఆలోచనా కీ...., జిన్హేం ఆలోచక్ కహా జాతా హై.
రామా : చాలా మంది దానిని సమీక్షించారు, అంటే విమర్శించారు..., వాళ్ళను విమర్శకులు అని అంటారు.
रामा : चाला मंदि दानिनि समीक्षिंचारु, अंटे विमर्शिंचारु... वाल्लनु विमर्शकुलु अनि अंटारु।
Rama : Many have reviewed, means criticized the book, who were called as critics.
मास्टर जी : सही कहा, और यह आलोचना सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी।
మాస్టర్ జీ : సహీ కహా, ఔర్ యహ్ ఆలోచనా సకారాత్మక్ భీ హో సక్‌తీ హై ఔర్ నకారాత్మక్ భీ.
మాస్టర్ జీ : నిజం చెప్పావు, ఇంకా ఈ విమర్శ అనుకూలమైనది కావచ్చు, ఇంకా ప్రతికూలమైనదీ కావచ్చు.
मास्टर जी : निजम् चेप्पावु, इंका ई विमर्श अनुकूलमैनदि कावच्चु, इंका प्रतिकूलमैनदी कावच्चु।
Master Ji : It's true, and criticism may be positive, and also negative.
रामा : जी... मास्टर जी! तेलुगु में भी तो 'विचारम' एक शब्द है न...।
రామా : జీ... మాస్టర్ జీ! తెలుగు మేం భీ తో 'విచారమ్' ఏక్ శబ్ద్ హై న....
రామా : అవును... మాస్టర్ గారు! తెలుగులో కూడా 'విచారము' అనే పదం ఉంది కదా...
रामा : अवुनु... मास्टर गारु! तेलुगुलो कूडा 'विचारमु' अने पदम् उंदि कदा...
Rama : Yes.. Master Ji! There is a word 'Vicharamu' in Telugu also...
मास्टर जी : जिसका मतलब है हिंदी में 'चिंता'।
మాస్టర్ జీ : జిస్‌కా మత్‌లబ్ హై హిందీ మేం 'చింతా'.
మాస్టర్ జీ : అంటే హిందీ లో 'చింత'.
मास्टर जी : अंटे हिंदी लो 'चिंता'।
Master Ji : Which means 'Chinta' in Hindi.
रामा : जी... मास्टर जी...
రామా : జీ..., మాస్టర్ జీ.....
రామా : అవును... మాస్టర్ గారు...
रामा : अवुनु... मास्टर गारु...
Rama : Yes.... Master Ji.....
मास्टर जी : चलो अव अगले अंक में कुछ और शव्द देखेंगे।
మాస్టర్ జీ : చలో అబ్ అగ్‌లే అంక్ మేం కుఛ్ ఔర్ శబ్ద్ దేఖేంగే.
మాస్టర్ జీ : పద వచ్చే సంచికలో ఇంకొన్ని పదాలు చూద్దాం.
मास्टर जी : पद वच्चे संचिकलो इंकोन्नि पदालु चूद्दाम्
Master Ji : O.K. we will see some more words in the next issue.
रामा : जी... मास्टर जी, प्रणाम।
రామా : జీ... మాస్టర్ జీ, ప్రణామ్.
రామా : సరే... మాస్టర్ గారు, నమస్కారం.
रामा : सरे... मास्टर गारु, नमस्कारम्।
Rama : O.K. Master Ji, Namaskar.

जरा गौर करें

उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। लगे भी कैसे, गरीबी के कारण जीने की जद्दोजहद उसे पढ़ाई के बारे में सोचने दे तब न। जीवन की गाड़ी खींचने के लिए वह जल्दी ही बढ़ईगिरी का काम सीखने लगा। दसवीं तक नियमित पढ़ाई करने के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगा। जब वह आठवीं कक्षा में था, तब विकीपीडिया पर अपने गाँव के बारे में जानकारी ढूँढ़ रहा था। पर उसके गाँव की जानकारी वहाँ उपलब्ध नहीं थी। साथ ही उसने यह भी देखा कि विकीपीडिया पर अंग्रेजी भाषा में पढ़ने के लिए बहुत अधिक और हिंदी में बहुत कम सामग्री है, जबकि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। इस बात से उसे बहुत ठेस लगी। उसने ठान लिया कि हिंदी की सामग्री बढ़ाने के लिए वह काम करेगा और जुट गया अपने मिशन 'हिंदी बढ़ाओ' में।

लेकिन यह क्या उसके पास तो न लैपटॉप था और ना ही कंप्यूटर। उसके पास तो टच स्क्रीन वाला स्मार्ट फोन भी नहीं था। फोन के नाम पर उसके पास मात्र की-पैड वाली सैमसंग एस 5610 मॉडल की एक साधारण सी मोबाइल थी। पर जुनून भी कुछ होता है...। उसके पास इन सुविधाओं के नहीं होने के बावजूद कुछ कर गुजरने के लिए जुनून शेष था। इसी जुनून के बल पर वह अपनी इच्छाओं को साकार करने लगा।

वह रोज लगभग 10-12 घंटे बढ़ई के काम में लगाता था। लेकिन जैसे ही खाली समय मिलता, उसी की-पैड वाली मोबाइल से विकीपीडिया के हिंदी पृष्ठों को संपादित या लिखना शुरु कर देता। उसने सन् 2015 में विकीपीडिया पर संपादन, अनुवाद व लेखन का काम शुरु किया। इस तरह उसने अपनी साधारण सी मोबाइल की सहायता से लगभग 1800 से अधिक पृष्ठ हिंदी में बना डाले। राजू के जुनून को देखते हुए विकीपीडिया ने 2016 में उसे एक लैपटॉप भेंट किया और मुफ्त में इंटरनेट कनेक्शन भी दिया। फिर तो राजू के जुनून को पंख लग गए। उन्होंने हिंदी में लगभग 57000 से अधिक पृष्ठों का संपादन कर डाला। देखते-देखते राजू एक कुशल विकीपीडिया संपादक बन गए। अब वे एक सफल मीडिया संपादक हैं और कई बड़े-बड़े साइबर सम्मेलनों में भाग ले चुके हैं।

जी हाँ, यह राजू जांगिड की कहानी है। राजू जांगिड का जन्म 08 मई 1998 को राजस्थान राज्य के जोधपुर जिले के ठाडिया नामक गाँव में हुआ था। दसवीं के बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा उन्होंने प्राइवेट माध्यम से पास की। उन्होंने पत्राचार माध्यम से हिंदी साहित्य में बी.ए. किया है और अभी वे पूरी तरह से एक ब्लॉगर व विकीपीडिया संपादक हैं। वर्तमान में राजू विकीपीडिया की एक विशेष परियोजना 'विकी हेल्थ' के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने क्रिकेट के चाहने वालों के लिए भी 'विकी क्रिकेट' नामक परियोजना आरंभ की है और इसके लिए हिंदी में लगभग 700 से अधिक लेख लिखे हैं।

हिंदी भाषा के प्रति अप्रतिम प्रेम रखने व उसके विकास के लिए प्रयास करने के लिए 'सुगंध' की ओर से राजू जांगिड जी को बधाई और शुभकामनाएँ।

आपकी पाती-हमारी थाती

आदरणीय बंधुवर,
आपके यशस्वी संपादन में प्रकाशित प्रतिष्ठित पत्रिका 'सुगंध' का अभिनव अंक मिला। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस पर केंद्रित इस अंक का संपादकीय आपके प्रबुद्ध चिंतन का परिचायक है। श्रम एवं श्रमिकों की दशा-दिशा को शब्दाकार देने वाले विविध चिंतन एवं शोधपूर्ण आलेख रोचक, प्रेरक, उद्‌बोधक तथा ज्ञानवर्धक कहानियाँ तथा रचनाएँ 'सुगंध' के महत् सदुद्देश्य एवं संकल्प का दर्पण हैं। अंक की उपयोगी एवं स्तरीय सामग्री के चयन-संयोजन में आपका संपादन कौशल स्वत: प्रचलित है। इस अभिनंदनीय, अविस्मरणीय एवं उल्लेखनीय महत सत्कार्य हेतु शतश: साधुवाद, बधाई...

- *श्री भानुदत्त त्रिपाठी मधुरेश,* अंबेड्करनगर

'सुगंध' का अंक प्राप्त हुआ। सभी लेख, कहानियाँ, लघुकथाएँ एवं स्थाई स्तंभ रोचक, पठनीय एवं ज्ञानवर्धक लगे। श्रम एवम् श्रमिकों पर केंद्रित सभी लेख पठनीय एवम् उपयोगी हैं। व्यंग्य 'मर्ज बढ़ता गया' गुदगुदाने वाला है। लघुकथा 'उम्मीद' वृद्धों के प्रति पारिवारिक दायित्व को बेनकाब करती है। अन्य सभी कहानियाँ मार्मिक एवं पठनीय हैं। लेख 'शब्द संसार भी बहुत जटिल व कठिन है...' बहुत उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। उदाहरण देकर समझाने से शब्दों के उच्चारण, वर्तनी और अर्थ स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। मानक स्तंभ के अंतर्गत 'जरा गौर करें' में जन्म, संघर्ष और अभावों में अपने अस्तित्व को बचाने वाली बेबी हल्दर की जीवन यात्रा सभी के लिए प्रेरक है। घोर विपरीत परिस्थितियों में भी पढ़ने की अदम्य इच्छा और एक साहित्यकार के रूप में स्थापित होना अनुकरणीय है।
पत्रिका के कुशल संपादन के लिए संपादक और उनके सहयोगियों को शुभकामनाएँ...

- *श्री विष्णु वर्मा,* ककोली

'सुगंध' के सितंबर 2020 अंक वास्तव में अघोषित 'श्रमिक विशेषांक' है। संपादकीय से लेकर अंतिम, स्तांभिक लेख तक सर्वस्व या सर्वाधिक सर्वहारा श्रमिक पक्ष में ही लिखा गया है। लेखों में कोरोना की छाया भी यत्र-तत्र परिलक्षित है। संपादकीय 'हम विरोधाभास में क्यों जिएँ' को लें तो हिंदी संवर्धन के लिए कृतसंकल्प पत्रिका और श्रमिक वर्ग को समर्पित अंक में इससे अधिक अच्छा और प्रतिनिधि दूसरा संपादकीय नहीं हो सकता। संपादक ने अपने वक्तव्य में भारतीय मनीषा के एक और चिंतनीय लक्षण 'भयातुरता' को उठाया है। हम इस भयावह सच को सरल भाषा में 'दुविधा' कह सकते हैं। इसी को 'संशय' भी कहा जाता है। सनातन से 'धर्म निरपेक्ष', हिंदी से 'अंगरेजी' और समाज से 'वर्ग' आदि की प्रतिस्थापना करने के मूल में यह द्विविधा ही है। गीता में 'संशयात्मा विनश्यति' कहा गया है।
जहाँ तक श्रम व श्रमिक से संबद्ध लेखों की बात है, 'भारत में श्रम कानूनों में बदलाव...' श्री आनंद कुमार के लेख में श्रमिकों के हित संरक्षण के लिए बनी अद्यतन विधियों, व्यवस्थाओं का वर्णन है। 'श्रमिक और उद्योगपति परस्पर विरोधी नहीं, पूरक हैं', 'श्रमेव जयते' तथा 'समाज निर्माण में श्रमिक संघों की भूमिका' लेखों में यत्किंचित उद्योगपति, श्रमिक तथा श्रमसंघों की पक्षधारित है, तथापि तीनों लेख समावेशी स्वभाव के हैं और अंतत: श्रमिक वर्ग के हित में हैं। 'इस्पात क्षेत्र में संविदा श्रमिकों की भूमिका' में लौह-इस्पात उद्योग से संबद्ध संविदा श्रमिकों के कल्याणार्थ बनाये गये सरकारी कानूनों, नियमों एवं प्रावधानों का वर्णन है। शेष सभी लेखों में बाल मजदूरों, कामकाजी महिला श्रमिकों, प्रवासी मजदूरों तथा घरेलू बाल श्रमिकों पर अति संवेदनशील हृदय और खुली आँखों से देखी गयी आँखों को खोलने वाली सहानुभूति और संवेदना से संपूरित सामग्री है। 'चूर्णित कोयला प्रेषण' लेख काफी हटकर है, तथापि अच्छा लेख है। यहाँ तक कि 'समाज के निर्माण में श्रमिकों की भूमिका' जैसा साहित्यिक लेख भी श्रमिकों को ही श्रेय देने वाला है। इसमें विद्वान लेखक ने मार्क्सवादी श्रम व श्रमिक की जो व्याख्या एवं आलोचना की है, वह भी अच्छा लगा।
'सुगंध' विशेषत: अपनी कहानियों के लिए जानी जाती है। यह कथन इस अंक में संकलित 'बीस साल बाद', 'शहनाई', 'जुग्गी' और 'छतरी वाले अक्षर' पर भी पूर्णत: लागू होता है। कहानियों की भाषा सारगर्भित है और चारों कहानियाँ मार्मिक हैं। चारों ही कहानियों को किसी न किसी रेखागणितीय कौशल से दुखांत होने से बचाया गया है। 'बीस साल बाद' में कल्पना का अकल्पनीय सहारा लिया गया है। तथापि इसकी रासायनिकता अच्छी लगी। वहीं 'छतरी वाले अक्षर' में एक बात समझ में नहीं आयी। वाक्य है 'शायद बचपन में वह ऐसे ही पालथी मारकर बैठता रहा होगा पंथलू नाम को चरितार्थ करते हुए'। 'पालथी' से चरितार्थ होने के लिए 'पलथू' नाम तो बनाया जाना समझ में आ सकता है, 'पथलू' नहीं। हालाँकि यह कहानी अपने प्रतीकों, रूपकों और बोलीगत सौष्ठव की निजता से संपन्न है। डॉ शैल चंद्रा की तीनों लघुकथाएँ 'उम्मीद', 'डॉगी का बिस्कुट' तथा 'खतरा' अपनी संवेदनपूरिता तथा मार्मिकता के कारण अच्छी लगीं।
श्री राजेंद्र तिवारी की सामयिक, राजनैतिक, कुछ व्यक्तिगत और कुछ समष्टिगत गजलों की जितनी प्रशंसा की जाय, कम है। श्री प्रभात कुमार झा की कविताएँ भी यथार्थ के धरातल पर लिखी गयीं, चलती-फिरतीं, गतिशील लाइव रचनाएँ हैं। बाल कविताएँ भी अच्छी हैं, जिन्हें पढ़कर थोड़ी देर के लिए कोई भी अपने बचपन के आँगन में टहल आता है। व्यंग्य 'मर्ज बढ़ता गया...' बढ़ते हुए मर्ज को भी ठीक करनेवाला है। अध्यात्म के अंतर्गत 'संन्यास' भी अच्छा लेख है। शेष सारी सामग्री भी श्रेष्ठ है। पत्रिका को 'यथा नाम तथा गुण' की सार्थकता प्रदान करने वाले 'सुगंध' के इस सुगंधित अंक के लिए हार्दिक बधाई।

- *डॉ ओम प्रकाश मंजुल,* पीलीभीत

अर्धवार्षिक पत्रिका 'सुगंध' मिली। पत्रिकाएँ जब सामाजिक चेतना से जुड़ी हों, तब उनका महत्व बहुत बढ़ जाता है। हाल ही में कोविड-19 परिस्थिति तथा श्रम कानूनों में किए गए बदलाव 'अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस' पर इस विशेषांक को अत्यंत प्रासंगिक बनाते हैं। विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित, सामाजिक चेतना से परिपूर्ण 'सुगंध' की रोचक रचनाओं को पढ़ने के लिए पाठक स्वत: स्फूर्त होकर इसके पन्ने उलटने को विवश हो जाता है।
पत्रिका में एक ओर जहाँ 'श्रम कानूनों में बदलाव और समाज पर उसका प्रभाव' लेख स्वतंत्रता पूर्व तथा स्वतंत्र भारत में श्रम संबंधी कानूनों के क्रमिक विकास की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, वहीं 'समाज निर्माण में श्रमिक संघों की भूमिका' लेख श्रमिक संघों की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति में श्रमिकों पर उसके प्रभाव का वर्णन और तुलनात्मक चित्रण करता है। 'समाज में किसी उलट-फेर का प्रभाव सबसे अधिक कमजोर वर्ग पर ही पड़ता है' पत्रिका के एक लेख की यह पंक्ति लॉकडाउन और कोविड-19 परिस्थिति के दौरान श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्ग पर आई विपदा की विभीषिका और लाचारी की याद दिला गई।
पत्रिका में बाल मजदूरी, महिला कामगार की समस्याएँ, श्रमिक-उद्योगपति संबंध जैसे कई ज्वलंत मुद्दे शामिल किये गये हैं, जो संपादकीय टीम सहित पत्रिका से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति की सार्थक भूमिका का परिचायक है। 'उम्मीद', 'बीस साल बाद' जैसी कहानियों को पढ़कर लगता है कि पत्रिका में सृजनात्मकता के साथ तथ्यपरक रचनाओं का अद्‌भुत सामंजस्य है। रचनाएँ सूचनापरक हैं तथा महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करती हैं। कुल मिलाकर पत्रिका बेहद दिलचस्प है। भविष्य में भी पत्रिका सफलता की नई ऊँचाइयाँ प्राप्त करती रहे, इसके लिए मेरी शुभकामनाएँ...

- *श्री डी वी शास्त्री,* नोएडा

आपके निगम की गृहपत्रिका 'सुगंध' का नवीन अंक प्राप्त हुआ। पत्रिका के आवरण पृष्ठ पर मुद्रित छवियाँ इस्पात निर्माण के विभिन्न चरणों का परिचय करा रही हैं। पत्रिका में प्रकाशित श्री दिलीप कुमार शर्मा 'अज्ञात' का आलेख 'कामकाजी महिलाओं के भाग्य लिखने के राह आसान हो' हृदयस्पर्शी है। आपकी पत्रिका के सभी आलेख एक से बढ़कर एक हैं। अपितु, यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि पत्रिका का वर्त मान अंक श्रम एवं श्रमिकों को समर्पित है। आपकी यह पत्रिका आपके निगम की राजभाषा के प्रति अगाध प्रेम को प्रदर्शित करती है। संपूर्ण प्रकाशन दल को इस उत्कृष्ट पत्रिका के प्रकाशन हेतु हार्दिक बधाई और साधुवाद।

- *श्री मणि भूषण सिंह,* पिलानी

'सुगंध' के सितंबर 2020 अंक के सभी लेख महत्वपूर्ण हैं। हर अंक की तरह इस अंक में भी कहानियाँ, कविताएँ, लघुकथाएँ अच्छी लगीं। बस एक बात खलती है कि पहले सुगंध पत्रिका त्रैमासिक थी। लेकिन अब छ: महीने में निकलने लगी है। काफी लंबा इंतजार करना पड़ता है।

- *श्री विक्रम सिंह,* हरिद्वार

सी डी वाई के 25 के वी ए सी ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन के बाद परिचालन हेतु हरी झंडी दिखाते हुए
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ एवं मंडल रेल प्रबंधक (पूर्व तट रेलवे) श्री सी के श्रीवास्तव

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री पी के रथ
एवं अन्य निदेशकगण द्वारा सत्यनिष्ठा शपथ ग्रहण

वॉयर रॉड मिल

- हाई स्पीड नो-ट्विस्ट 4 स्ट्रैंड मिल
- 8,50,000 टन वार्षिक वॉयर रॉड उत्पादन क्षमता
- 2000 Kcal/Nm^3 सी.वी. ईंधन गैस का ऊष्मीकरण हेतु उपयोग
- 200 टन/घंटे की क्षमता वाली वाकिंग हर्थ-सह-वाकिंग बीम फर्नेस
- लगभग 71 मिनट का हीटिंग और प्रत्येक वाकिंग बीम की आवृत्ति 72 सेकेंड
- क्वॉयल अप-लोडर तक स्वचालित ऑनलाइन मेटीरियल ट्रैकिंग
- रोलिंग दर 190 टन/घंटा
- विशिष्ट ऊर्जा व विद्युत खपत क्रमशः 260 Kcal/टन तथा 125 KWH/टन बिल्लेट

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
विशाखपट्टणम इस्पात संयंत्र
विशाखपट्टणम